सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

2019–20

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)
फोन: 0294-2427004 फैक्स: 0294-2428721
ईमेल: comm.tad@rajasthan.gov.in वेबसाइट: www.tad.rajasthan.gov.in

SCHEDULED AREA OF RAJASTHAN

(As per Notification of Govt. of India 2018)

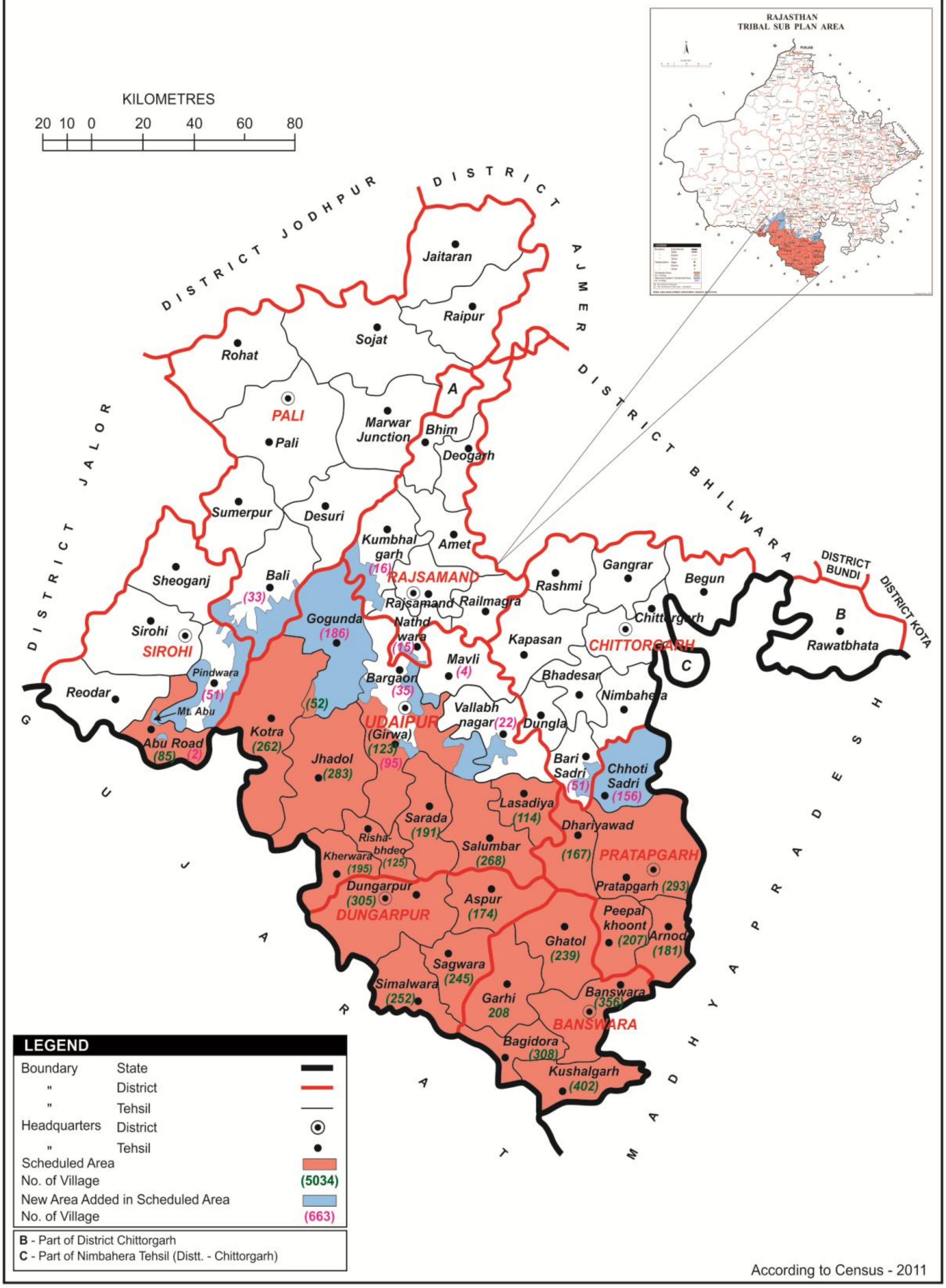

विषय–सूची

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	अनुसूचित जनजातियॉ, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	14–21
2.	जनजाति विकास के प्रमुख कार्यक्रम/योजनाऐं	22–28
3.	जनजाति विकास के लिए विभिन्न योजनाऐं	29–57
4.	माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रषिक्षण संस्थान,उदयपुर	58–62
5.	राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि0, उदयपुर	63–68
6.	स्वच्छता, जल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना, उदयपुर (स्वच्छ परियोजना)	69–75
7.	अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित अधिनियम/ नियम/परिपत्र	76–83

परिशिष्ठ

1	अनुसूचित क्षेत्र की जनसंख्या का विवरण	84
2	अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19.05.2018	85–88
3	माडा क्षेत्र एवं माडा कलस्टर क्षेत्र की जनसंख्या का विवरण	89–90
4	बिखरी जनजाति की जनसंख्या का विवरण	91
5	सहरिया क्षेत्र की जनसंख्या का विवरण	92
6	राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद नियम, 1980 में संशोधन की अधिसूचना दिनांक 15.06.16	93
7	राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य के मनोनीत आदेश दिनांक 27.11.2019	94–95
8	विभाग द्वारा संचालित आश्रम छात्रावासों की सूची	96–108
9	विभाग द्वारा संचालित आश्रम छात्रावासों, आवासीय छात्रावासों, खेल छात्रावास, एकलव्य मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल स्कूल बहुउद्देशीय छात्रावासों में प्रवेश एवं क्षमता का विवरण व सूची	109–112
10	अनुसूचित क्षेत्र में राज्य सेवा के अतिरिक्त अन्य सभी राजकीय सेवाओं पदो पर सीधी भर्ती में अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों का आरक्षण संबंधी अधिसूचना दिनांक 04.07.2016	113–114

11	अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर पदोन्नति में अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के कार्मिकों को 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति के कार्मिक को 5 प्रतिशत आरक्षण की अधिसूचना दिनांक 04.07.16	115
12	सम्पूर्ण राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति वर्ग को देय 12 प्रतिशत आरक्षण में से 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित किये जाने की विभिन्न विभागों के आदेश की प्रतियां।	116–122
13	सहरिया क्षेत्र में आरक्षण संबंधी कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.05.2013	123–124
14	कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21.10.2019	125–127

विभागीय उपलब्धियां एवं अभिनव पहल

SKOCH Governance Civilian Award एक विशिष्ट उपलब्धि

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्वच्छ परियोजनान्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप विभाग को प्रतिष्ठित **राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु SKOCH Governance Award** प्रदान किया गया। जिसमें Maternal Infant Young Child Nutrition & Swasthya Karmi Yojana में "Governance Silver Award" दिया गया तथा Strengthening of Quality Education Program through MAA-BADI Centers एवं Solar Pump Based Lift Irrigation System में "Order of Merit award" प्रदान किया गया।

तूणीर : करियर मार्ग दर्शिका

प्रथम बार जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों एवं छात्रावासों के विद्यार्थियों को करियर मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु एक मार्गदर्शिका का निर्माण किया गया, दो बड़े करियर चार्ट्स तैयार कर छात्रावासों एवं विद्यालयों लगवाये गये, तथा वार्डनों को इसके उपयोग करने हेतु प्रशिक्षण दिया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्र की जनजाति प्रतिभाओं को सही करियर के चुनाव हेतु परामर्श भी दिया जा रहा है। छात्र–छात्राओं के लिये तूणीर का मोबाईल एप्लीकेशन भी सर्वसुलभ किया जा रहा है।

विश्व आदिवासी दिवस

9 अगस्त 2019 को राज्य स्तरीय विश्व आदिवासी दिवस का विशाल आयोजन बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में किया गया। जिसमें लगभग 50000 व्यक्तियों ने भाग लिया। इसके साथ ही अनुसूचित क्षेत्र में जिला एवं ब्लॉक स्तर पर भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

मुख्य समारोह स्थल पर विभिन्न विभागों/संस्थाओं – राजससंघ, ट्राईफेड, वन विभाग, टी.आर.आई, कृषि उपज मण्डी, सेवा मंदिर आदि द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जायेगा। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जायेगा जिसमें विशेष रूप से गवरी एव सहरिया स्वांग आदि नृत्यों का प्रदर्शन किया जायेगा। समारोह में आदिवासियों के ऐतिहासिक महापुरूषों, स्वतंत्रता सैनानियों एवं संतों की जीवनी को भी प्रदर्शित किया गया।

समारोह के दौरान राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में करवाये गये कार्यों व लाभान्वितों/उपलब्धियों पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन एवं आदि महोत्सव–2019 की लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जायेगा। समारोह में जनजाति वर्ग के 40 प्रतिभावान छात्र–छात्राओं, प्रबुद्धजनों, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि को उल्लेखनीय योगदान एवं उपलब्धि अर्जित करने पर मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया।

ई.एम.आर.एस, राष्ट्रीय संगीत एवं नृत्य प्रतियोगिता–2019

जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में एकलव्य मॉडल रेजिडेन्सियल स्कूलों की राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का भव्य आयोजन 28 नवम्बर 2019 से 30 नवम्बर 2019 तक किया गया, जिसमें 18 राज्यों के लगभग 500 छात्र–छात्राओं ने भाग लिया। माननीय राज्य मंत्री जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार श्रीमती रेणुका सिंह एवं सचिव श्री दीपक खाण्डेकर सहित सभी राज्यों के प्रतिभागीयों, टीम प्रभारियों, निणार्यकों एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा इस आयोजन की सरहाना की गई।

प्रतिभागियों ने अपने सांस्कृतिक कौशल का प्रर्दशन करते हुए चार क्षेत्रों में यथा एकल नृत्य, समूह नृत्य, एकल गायन व समूह गायन में अपनी प्रभावी प्रस्तुतियां दी। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा आयोजित इस विशाल आयोजन में भाग लेने वाले छात्र–छात्राओं को अपने प्रदेश की विभिन्न सांस्कृतिक वेश–भूषा, परम्पराओं, लोक नृत्य, गायनों की जीवंत प्रस्तुतियों से पारस्परिक आदान–प्रदान हुआ। समस्त अतिथियों का परम्परागत स्वागत किया गया, भोजन, आवास एवं यातायात की समुचित व्यवस्थाएं की गई।

एकल गायन एवं एकल नृत्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 50 हजार रू, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 40 हजार रू तथा

तृतीय स्थान प्राप्त करने प्रतिभागियों को 30 हजार रू का पुरस्कार प्रदान किया गया।

विभिन्न राज्यों से आने वाले प्रतिभागी दलों एवं अतिथियों को विश्व की प्रसिद्ध झीलों की नगरी के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण करवाया गया। राजस्थान की समृद्ध लोक परम्पराओं में से भवई नृत्य एवं डांग नृत्य के कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी गई एवं छात्र–छात्राओं के मनोरंजन हेतु जादूगर की प्रस्तुति भी करवायी गई जो छात्र–छात्राओं के लिये आन्नदायक रहा।

राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (NBT) एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 12 से 20 अक्टूबर, 2019 तक राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया जिसकी मुख्य थीम महात्मा गांधी की 150वीं जयंति वर्षगांठ रखी गई। गांधी पवेलियन में फिल्म डॉक्यूमेन्ट्री एवं गांधी साहित्य प्रदर्शित किया गया जो कि छात्र–छात्राओं, साहित्यकारों के लिए बहुत उपयोगी रहा। इस साहित्यिक आयोजन में बाल साहित्यकारों, शिक्षकों, पुस्तकालय प्रभारियों के लिए पुस्तकों की समीक्षा की क्षमता संवर्धन कार्यशालाएं आयोजित की गई।

आदि महोत्सव

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा प्रथम बार उदयपुर में 14 से 16 जून 2019 तक जनजाति संस्कृति को बढावा देने एवं लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने के उद्‌देश्य से आदि महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में 368 जनजाति कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी गई।

राजस्थानी आदिम लोक कला एवं लोक संस्कृति से सराबोर आदि महोत्सव 2019 में आदिम सास्कृतिक धरोहर व लोक कला को प्रदर्शित करने के लिये एक वृहद **"आदि शिल्प हाट"** का आयोजन भी किया गया। जिसमें राजस संघ, वन विभाग, स्थानीय संस्थाओं एवं राजस्थान के विभिन्न अंचलों से आये लोक कलाकारों, हस्त शिल्पकारों, वनौषधी–वन उत्पादों के गुणीजनों द्वारा भाग लिया गया तथा उत्पादों का प्रदर्शन व विक्रय किया गया।

महोत्सव में आदिवासी हस्तशिल्प कला–**माण्डना, भितिचित्र, गौत्रेज,** भील जनजातिय अलंकरणों, घरों की साज सज्जा, पशु पक्षी चित्रण आदि को विभिन्न अंचलो से आये हुए शिल्पकारों व चित्रकारों द्वारा प्रदर्शित किया।

तीन दिवसीय महोत्सव के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये हुए जनजातीय लोक नाट्‌य–लोक नृत्य कलाकारों के 11 दलों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गयी।

महोत्सव के दौरान **"आधुनिक समय में आदिम संस्कृति एवं कला का महत्व तथा इसे कैसे आजीविका से जोड़ा जा सकता है"** विषय पर **विचार संगोष्ठी** का आयोजन किया गया

आदि महोत्सव में **जनजाति प्रतिभा खोज प्रतियोगिता** का आयोजन किया गया जिसमें जनजाति प्रतियोगियों द्वारा एकल, सामूहिक एवं हस्तशिल्प प्रतियोगिता में भाग लिया गया।

वन महोत्सव

पर्यावरण संरक्षण की एक सार्थक पहल स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त, 2019 को एक ही दिन जनजाति क्षेत्र के 450 छात्रावासों, 21 ईएमआरएस विद्यालयों, 2500 मां बाडी केन्द्रों एवं लिफ्ट सिंचाई के लाभार्थियों हेतु लक्ष्य निर्धारित करके एक लाख पौधे लगाये गये जिनकी नियमित मॉनीटरिंग की जा रही है।

IIT, JEE, NEET प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु विशेष प्रयास

कमजोर आर्थिक, सामाजिक स्थिति के मद्देनजर जनजाति क्षेत्र की प्रतिभाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की पूर्व तैयारी हेतु विशेष प्रयास करके 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थीयों को प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में कोचिंग हेतु कार्यशालाएं आयोजित की गई। विद्यार्थियों के अभिभावकों से सम्पर्क कर पहली बार विशेष प्रयास किया गया जिससे लगभग 250 छात्र–छात्राएं कोटा व उदयपुर के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से लाभान्वित हुए।

वनाधिकार अधिनियम, 2006 : प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विशेष प्रयास

1. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 नियम 2008 संशोधित नियम 2012 का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए पूर्व में निरस्त 36131 व्यक्तिगत वनाधिकार दावों की पुर्नसमीक्षा व पुनर्सत्यापन करने तथा पात्र दावेदारों को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए जून 2019 में विशेष ग्राम सभाओं एवं उपखण्ड व जिला स्तरीय वनाधिकार समितियों की बैठकों का आयोजन किया गया । जिसके परिणामस्वरूप कुल 4216 पूर्व निरस्त पात्र दावों को स्वीकार कर वनाधिकार पत्र जारी किये गये। जिससे राज्य में प्राप्त दावों के विरूद्व वनाधिकार पत्र जारी करने का प्रतिशत 51.17 प्रतिशत से बढ़कर 56.25 प्रतिशत हो गया।
2. वनाधिकार अधिनियम अन्तर्गत प्राप्त वनाधिकार दावों के निस्तारण में पारदर्शिता (Transpency) लाने एवं संबंधित अधिकारियों की जवाबदेयता (Accountability) सुनिश्चित करने के लिये FRA Online MIS Portal विकसित कर फरवरी, 2019 में प्रारम्भ किया जा चुका है। इस पोर्टल के माध्यम से दावेदार स्वयं की सिटीजन आई,डी., ई–मित्र, ग्राम पंचायत के माध्यम से वनाधिकार दावा ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकता है। दावे की जांच से लेकर वनाधिकार पत्र जारी करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी/समिति द्वारा ऑनलाईन की जा रही है।
3. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 नियम 2008 संशोधित नियम 2012 अन्तर्गत वनवासियों के वनाधिकारों को मान्यता प्रदान करने के लिए जांच एवं सत्यापन की प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रषिक्षण आदि दिये गये।

स्पन्दन ग्रीष्मकालीन अभिरूची शिविर

ग्रीष्मावकाश में दिनांक 30.04.2019 से 06.05.2019 तक जनजाति क्षेत्र के जिलों में छात्र–छात्राओं के लिये सृजनात्मकता एवं व्यक्तित्व विकास हेतु माननीय जनजाति राज्य मंत्री महोदय की परिकल्पना एवं निर्देशों की पालना में 10 प्रमुख अभिरूचि क्षेत्रों में रूची संवर्धन हेतु विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में शिविर लगाये गये जिसमें 27505 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

छात्रावासों में प्रवेश में पारदर्शिता हेतु ऑनलाईन प्रक्रिया

प्रथम बार जनजाति क्षेत्र के छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की गई जिसमें 50 प्रतिशत अंक ऑनलाईन टेस्ट एवं 50 प्रतिशत पूर्व कक्षा के अंक को आधार बनाया गया।

जनजाति रोजगार मेला

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर द्वारा 10 जनवरी, 2020 को जनजाति वर्ग के बेरोजगार युवक—युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विशाल रोजगार मेले का आयोजन विवेकानन्द जयन्ति युवा सप्ताह के अवसर पर यह मेला मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय के विवेकानन्द सभागार स्थल पर आयोजित किया गया। मेले में 50 प्रतिष्ठानों ने अपने स्टॉल लगाये। नियोक्ताओं द्वारा 10 जनवरी को मेला स्थल पर ही 394 योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गये। मेले में पांचवी कक्षा से स्नातक तथा आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इन्जिनियरिंग तथा अन्य सभी प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को अवसर दिया गया । मेले में लगभग 1043 जनजाति के युवक/युवतियों ने भाग लिया।

अध्याय – 1

अनुसूचित जनजातियाँ, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

स्थापना

भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण हेतु राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार किया गया है, इन्ही शक्तियों के आधार पर राजस्थान में जनजाति समुदाय के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गयी। जिससे एक समन्वित और सुनियोजित तरीके से अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये कार्यक्रमों के विकास के लिये कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय किया जा सकें।

उद्देश्य

विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के समेकित सामाजिक आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना एवं अनुसूचित क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न योजनाओं का निर्माण, समन्वय, नियंत्रण एवं निर्देशन कर जनजातियों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास करना तथा जनजाति वर्ग के जीवन स्तर का उन्नयन करना है।

अनुसूचित क्षेत्र

संविधान की पांचवी अनुसूची के भाग–ग के अनुसार **''अनुसूचित क्षेत्र''** पद से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत है, जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करें।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.02.1981 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 से विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को राजस्थान राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित किया है।

अनुसूचित जनजाति

''अनुसूचित जनजातियॉ'' शब्द की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366 (25) में इस प्रकार की गई है, **''ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के अंतर्गत भागों या समूहों,**

जिन्हे संविधान के प्रयोजन के लिये अनु. 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियॉ होना समझा जाता है।''

राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1976 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की सूची –

क.सं.	अनुसूचित जनजातियां
1.	भील, भील गरासिया, ढोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील, भगालिया, भिलाला, पावरा, वसावा, वसावें
2.	भील मीना
3.	डामोर, डामरिया
4.	धनका, तडवी, वलवी, तेतारिया
5.	गरासिया (राजपूत, गरासिया को छोडकर)
6.	काथोडी, कातकरी, ढोर काथोडी, ढोर कातकरी, सोन काथोडी, सोन कातकरी
7.	कोकना, कोकनी, कूकना
8.	कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा
9.	मीना
10.	नायकडा, नायका, चोलीवाला नायका, कापडिया नायका, मोटा नायका, नाना नायका
11.	पटेलिया
12.	सेहरिआ, सेहारिआ, सहारिया

भारतीय संविधान की अनुसूची 5 के तहत भारत के निम्न राज्यों में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, जो कि वर्तमान में उनके मूल अथवा संशोधित रूप में है–

क्र.सं.	राज्य का नाम	अधिसूचना जारी होने की दिनांक	आदेश
1.	आन्ध्र प्रदेश एवं तेलगांना	26.01.1950 07.12.1950	अनुसूचित क्षेत्र (भाग अ राज्य) आदेश, 1950 अनुसूचित क्षेत्र (भाग ब राज्य) आदेश, 1950
2.	हिमाचल प्रदेश	21.11.1975	अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975
3.	गुजरात	31.12.1977	अनुसूचित क्षेत्र (गुजरात) आदेश, 1977
4.	उडीसा	31.12.1977	अनुसूचित क्षेत्र (उडीसा) आदेश, 1977
5.	राजस्थान	12.02.1981 19.05.2018	अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान) आदेश, 1981, संशोधित अनु0 क्षेत्र (राजस्थान) आदेश 2018
6.	महाराष्ट्र	02.12.1985	अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985
7.	छत्तीसगढ	20.02.2003	अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ) आदेश, 2003
8.	मध्यप्रदेश	20.02.2003	अनुसूचित क्षेत्र (मध्यप्रदेश) आदेश, 2003
9.	झारखण्ड	11.04.2007	अनुसूचित क्षेत्र (झारखण्ड) आदेश, 2007

जनजाति विकास के लिये निम्नानुसार कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया गया–

अ. अनुसूचित क्षेत्र

ब. परावर्तित क्षेत्र विकास उपागमन (माडा)

स. माडा कलस्टर योजना क्षेत्र

द. बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र

य. सहरिया आदिम जाति क्षेत्र

अ.अनुसूचित क्षेत्र

राज्य के दक्षिण में स्थित 8 जिलों की 45 तहसीलों के 5696 ग्रामों को मिलाकर अनुसूचित क्षेत्र निर्मित किया गया है जिसमें जनजातियों का सघन आवास है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार इस क्षेत्र की जनसंख्या 64.64 लाख है जिसमें जनजाति जनसंख्या 45. 52 लाख है, जो इस क्षेत्र की जनसंख्या का 70.42 प्रतिशत है।

अनुसूचित क्षेत्र की अधिसूचना दिनांक 19.5.2018 के पश्चात 8 जिलों में से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ के सम्पूर्ण जिले, उदयपुर, सिरोही, राजसमन्द, चित्तौड़गढ, पाली जिले के आंशिक क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

- **बांसवाडा** जिले की सम्पूर्ण 11 तहसील,
- **डूंगरपुर** जिले की सम्पूर्ण 9 तहसील,
- **प्रतापगढ** जिले की सम्पूर्ण 5 तहसील,
- **उदयपुर** (कुल 14 तहसील)– 9 पूर्ण तहसील क्रमशः कोटडा, झाडोल, (तत्कालीन फलासिया), लसाड़िया, सलुम्बर, सराड़ा, खेरवाड़ा, ऋषभदेव, गोगुन्दा, सेमारी तहसील। गिर्वा तहसील की सम्पूर्ण गिर्वा पंचायत समिति, बडगांव तहसील के 35 गांव एवं वल्लभनगर तहसील के 5 गांव, भीण्डर तहसील के 17 गांव व मावली तहसील के 4 गांव।
- **सिरोही** जिले की आबूरोड तहसील का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं पिण्डवाडा तहसील के 51 गांव।
- **राजसमन्द** जिले की नाथद्वारा तहसील के 15 गांव व कुम्भलगढ तहसील के 16 गांव।
- **चित्तौडगढ** जिले की बडीसादडी तहसील के 51 गांव
- **पाली** जिले की बाली तहसील के 33 गांव सम्मिलित है।

इस क्षेत्र में आवासित जनजाति में भील, मीणा, गरासिया व डामोर प्रमुख है। तहसीलवार व जिलेवार जनसंख्या तथा क्षेत्र का विवरण **परिशिष्ठ–1** पर उपलब्ध है ।

अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19.05.18 की प्रति **परिशिष्ठ–2** पर संलग्न है।

ब. परावर्तित क्षेत्र विकास उपागमन (माडा)

अनुसूचित क्षेत्र के अतिरिक्त जनजाति व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु जिले को एक इकाई मानते हुए प्रत्येक लघु खण्ड की कुल जनसंख्या 10,000 या इससे अधिक तथा उसमें निवास करने वाली जनजाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत हो तथा गांव एक दूसरे से जुडे हुए हो व सीमा पर स्थित सभी ग्रामों में 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी हो, के आधार पर माडा क्षेत्र बनाया गया है।

इस योजना के अंतर्गत 18 जिलों में 44 माडा लघु खण्डों का गठन किया है, जिसमें 3258 ग्राम सम्मिलित है। 2011 की जनगणनानुसार इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या 29.67 लाख है, जिसमें जनजाति जनसंख्या 15.89 लाख है जो इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 53.56 प्रतिशत है। इसमें वर्ष 2001–2011 के बीच माडा क्षेत्र के ग्रामो से टूटकर बने नवीन राजस्व ग्रामों का विवरण सम्मिलित नही है। इस क्षेत्र में मीणा जनजाति का बाहुल्य है। जिलेवार माडा खण्डों की जनसंख्या का विवरण **परिशिष्ठ–3** पर उपलब्ध है।

स. माडा कलस्टर योजना क्षेत्र

ऐसे कलस्टर जिनकी कुल जनसंख्या 5000 या इससे अधिक है तथा जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या जनजाति की है, में माडा कलस्टर योजना लागू की जाकर विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे है। राज्य के 8 जिलों में 11 माडा कलस्टर्स स्वीकृत है जिसमें 159 ग्राम सम्मिलित है। जनगणना 2011 के अनुसार माडा कलस्टर क्षेत्र की जनसंख्या 1.21 लाख है जिसमें से जनजाति जनसंख्या 0.67 लाख है जो कलस्टर्स की कुल जनसंख्या का 55.84 प्रतिशत है। इसमें वर्ष 2001–2011 के बीच माडा कलस्टर क्षेत्र के ग्रामो से टूटकर बने नवीन राजस्व ग्रामों का विवरण सम्मिलित नही है। जिलेवार माडा कलस्टर का विवरण **परिशिष्ठ– 3** पर उपलब्ध है ।

द. बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र

अनुसूचित क्षेत्र, माडा लघु खण्ड, माडा कलस्टर एवं सहरिया क्षेत्र के अतिरिक्त 29.28 लाख जनजाति के व्यक्ति 30 जिलों में बिखरे हुए है । जिलेवार बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र जनसंख्या **परिशिष्ठ–4** पर उपलब्ध है।

य. सहरिया आदिम जाति क्षेत्र

राज्य की एक मात्र आदिम जाति सहरिया है जो बांरा जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों में निवास करती है। उक्त दोनों ही तहसीलों के क्षेत्रों को सहरिया क्षेत्र में सम्मिलित किया जाकर सहरिया वर्ग के विकास के लिये सहरिया विकास समिति का गठन किया गया है। सहरिया आदिम जाति की जनसंख्या का विवरण माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा वर्ष 2002 में किये गये सर्वे रिपोर्ट से लिया गया है। सहरिया आदिम जाति क्षेत्र का पंचायत समितिवार विवरण **परिशिष्ठ–5** पर उपलब्ध है ।

जनजातीय विकास कार्यक्रमों का वित्त पोषण

जनजातीय विकास के लिये निधियॉ निम्नलिखित स्त्रोतों से आती है :–

- राज्य योजना में जनजाति कल्याण निधि
- राज्य योजना प्रवाह
- संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान
- विशेष केन्द्रीय सहायता
- केन्द्रीय प्रवर्तित योजना
- सेन्ट्रल सेक्टर योजना

राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद (T.A.C.)

संविधान की अनुसूची 5 के पैरा 4 पार्ट बी के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिसमें अनुसूचित क्षेत्र है उसमें एक अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद का प्रावधान है।

इस परिषद के गठन का उद्धेश्य जनजाति विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा करना तथा नई योजनाओं के लिए परामर्श देना है तथा राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह देना है जो राज्यपाल उन्हें निर्दिष्ट करें।

राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद नियम, 1980 के नियम 3(2) में अधिसूचना दिनांक 15.06.16 से संशोधन किया जाकर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को पदेन अध्यक्ष एवं मंत्री/राज्यमंत्री जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को पदेन उपाध्यक्ष होने का प्रावधान किया गया है। संशोधन किये जाने की अधिसूचना **परिशिष्ठ–6** पर उपलब्ध है।

राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद का पुर्नगठन प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग जयपुर द्वारा आदेश क्रमांक प.6(32)प्र.सु./अनु–3/1991/ दिनांक 27.11.2019 द्वारा किया गया है। **(परिशिष्ठ–7)**

प्रशासकीय संगठन एवं विभागीय ढाँचा

जनजाति कल्याण एवं विकास के प्रभारी मंत्री जनजाति विकास मंत्री है। कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिये एक प्रशासनिक संगठन आवश्यक है। इसके लिये विभिन्न स्तरों पर जनजाति क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था के तहत राज्य स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार के अधीन होता है जिसके प्रशासनिक प्रभारी प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर है। वे जनजाति विकास कार्यक्रमों का समन्वय, समीक्षा एवं प्रबोधन करते है। उनकी सहायता के लिये सचिवालय स्तर पर संयुक्त शासन सचिव एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत है।

जनजाति विकास की योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन एवं प्रबोधन के लिये जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का मुख्यालय उदयपुर में स्थित है। इसके विभागाध्यक्ष आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग है। आयुक्त की सहायता के लिये 3 अतिरिक्त आयुक्त एवं उप निदेशक (सु.व्य.) पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तथा विभिन्न विषय विशेषज्ञों के रूप में वित्तीय सलाहकार, निदेशक (सांख्यिकी), संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी), संयुक्त निदेशक (कृषि), अधीक्षण अभियन्ता, उप निदेशक (तकनीकी शिक्षा), उप निदेशक (शिक्षा), 2 उप निदेशक (सांख्यिकी), एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), अधिशाषी अभियन्ता, सहायक निदेशक (सांख्यिकी), सहायक विधि परामर्शी, कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, निजी सचिव, खेल अधिकारी तथा 3 सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I प्रशासनिक अधिकारी के पद सृजित है।

विभाग में सृजित एवं पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण 31.12.2019

क्र.सं.	पद का नाम	सृजित पदों की संख्या	पदस्थापित	रिक्त पद
1	आयुक्त	1	1	0
2	संयुक्त शासन सचिव	1	1	0
3	अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)	1	1	0
4	अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)	1	1	0
5	अतिरिक्त आयुक्त (तृतीय)	1	1	0
6	निदेशक, टीआरआई	1	1	0
7	निदेशक (सांख्यिकी)	2	2	0
8	वित्तीय सलाहकार	1	1	0
9	संयुक्त निदेशक (कृषि)	1	1	0
10	अधीक्षण अभियन्ता	1	1	0
11	संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी)	3	3	0
12	उप निदेशक (सुरक्षात्मक व्यवस्थापन)	1	1	0
13	उप निदेशक (तकनीकी शिक्षा)	1	1	0
14	उप निदेशक (शिक्षा)	1	0	1
15	उप निदेशक (सांख्यिकी)	3	0	3
16	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	1	1	0
17	अधिशाषी अभियन्ता	1	0	1
18	परियोजना अधिकारी	5	1	4
19	अतिरिक्त कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी	1	1	0
20	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	1	0
21	सह–आचार्य	1	1	0
22	व्याख्याता	1	1	0
23	सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	2	2	0
24	सहायक अभियन्ता	5	1	4
25	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	3	3	0
26	कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	1	0	1
27	सहायक विधि परामर्शी	1	1	0
28	निजी सचिव	1	1	0
29	खेल अधिकारी	1	0	1
30	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (बालक)	5	5	0
31	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (बालिका)	4	3	1
32	कनिष्ठ अभियन्ता	1	0	1
33	सांख्यिकी अधिकारी	1	1	0
34	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	1	0
35	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
36	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	4	1	3
37	अतिरिक्त निजी सचिव	1	1	0
38	निजी सहायक	1	1	0
39	कलाकार	1	1	0
40	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	0	1
41	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	11	6	5
42	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	14	1	13
43	अनुसंधान सहायक	10	3	7
44	कनिष्ठ लेखाकार	8	4	4
45	आशु लिपिक	10	5	5
46	प्रोग्रामर	1	1	0

47	सहायक प्रोग्रामर	2	1	1
48	सूचना सहायक	10	6	4
49	वरिष्ठ सहायक	23	17	6
50	कृषि पर्यवेक्षक	2	0	2
51	कम्पाईलर	11	3	8
52	टेलीफोन ऑपरेटर	1	1	0
53	कनिष्ठ सहायक	28	17	11
54	इलेक्ट्रीशियन	1	1	0
55	वाहन चालक	6	3	3
56	जमादार	1	0	1
57	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	49	31	18
58	चौकीदार	5	4	1
59	बागवान	1	1	0
60	फर्राश	3	2	1
	योग	**263**	**151**	**112**

अध्याय – 2

जनजाति विकास के प्रमुख कार्यक्रम/योजनाऐं

1. आश्रम छात्रावासों का संचालन

जनजाति छात्र–छात्राएं उनके निवास स्थान के नजदीक वांछित स्तर का विद्यालय नहीं होने की स्थिति में तथा उनके परिवारों की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण दूर–दराज के विद्यालयों में अध्ययन जारी नहीं रख पाते हैं। अतः ऐसे छात्र–छात्राएं अध्ययन जारी रख सकें, इस उद्देश्य से विभाग द्वारा 372 आश्रम छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। जिनमें 23759 छात्र/छात्राओ को प्रवेश दिया जाकर लाभान्वित किया जा रहा है। इन छात्रावासों में 2500/– रू प्रतिमाह प्रति छात्र–छात्रा की दर से निःशुल्क आवास, भोजन, पोशाक एवं अन्य सुविधाऐं उपलब्ध करायी जाती है।

2. आवासीय विद्यालय संचालन योजना

अनुसूचित, माडा तथा सहरिया क्षेत्र के जनजाति छात्र–छात्राओं में शिक्षा के उन्नयन हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। आवासीय विद्यालयों में स्वीकृत शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक पदों पर शिक्षा विभाग से कर्मचारियों/ अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन पर लिये जाकर अध्ययन व्यवस्था संचालित की जा रही है। इन आवासीय विद्यालयों में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर का पैटर्न संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में विभाग द्वारा 13 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। जिसमें 2585 छात्र/छात्राऐं लाभान्वित हो रहे है।

3. मॉडल पब्लिक रेजीडेन्शियल स्कूल संचालन

अनुसूचित क्षेत्र में दो मॉडल पब्लिक रेजीडेन्शियल स्कूल, ढीकली जिला उदयपुर (बालिका) एवं सूरपुर जिला डूंगरपुर (बालक) का संचालन किया जा रहा है। दोनों स्कूलों की कुल क्षमता 700 छात्र–छात्रा है जिसके विरूद्ध शिक्षा सत्र 2019–20 में 699 छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया गया है।

4. एकलव्य मॉडल रेजीडेन्शियल पब्लिक स्कूल संचालन

विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में 14 माडा क्षेत्र में 6 एवं सहरिया क्षेत्र में 1 एकलव्य मॉडल रेजीडेन्शियल पब्लिक स्कूल का संचालन किया जा रहा है। उक्त स्कूलों की कुल प्रवेश क्षमता 5855 छात्र–छात्रा के विरूद्ध शिक्षा सत्र 2019–20 में कुल 5094 छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया गया है।

5. खेल छात्रावासों व खेल अकादमियों का संचालन

अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति छात्रों को खेल–कूद हेतु प्रोत्साहित करने तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिर्स्पधाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से 6 खेल अकादमी व 6 खेल छात्रावास/अकादमी संचालित किये जा रहे है। इनमें 7 बालक एवं 6 बालिकाओ हेतु खेल छात्रावास/खेल अकादमी निर्मित होकर संचालित है, जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 875 छात्र/छात्राओं की है।वर्ष 2019–2020 में 864 बालक बालिकाओं को प्रवेश दिया गया है।

खेल छात्रावास/ खेल अकादमी में सम्पूर्ण राज्य के कक्षा 6 से 12 वीं तक के जनजाति खिलाड़ी बालक/बालकों को प्रवेश दिया जाता हैं। छात्रावास में छात्र/छात्राओं का चयन विशिष्ट प्रकार के बेट्री टेस्ट और कौशल परीक्षणों के आधार पर किया जाता हैं। प्रवेशित छात्र/छात्राओं को अनुमोदित पैटर्न अनुसार भोजन, आवास, विद्यालय पोशाक एवं अन्य सहायक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। इन खेल छात्रावासों में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को निकटतम विद्यालयों में नियमित अध्ययन की सुविधा के साथ–साथ खेल छात्रावास की समस्त सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है।

6. बहुउद्देशीय छात्रावासों का संचालन

राज्य की अनुसूचित जनजाति की छात्राएं जो दूर–दराज के क्षेत्र की निवासी है एवं शहर में रहकर पी.एच.डी., नीट (NEET)., पी.टी.ई.टी., आई.आई.टी., ए.आई.ई.ई.ई., पी.ई.टी. व प्रशासनिक सेवाओं एवं अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु कमरा किराया लेकर अध्ययन करने में असमर्थ है, उन्हें निःशुल्क आवासीय व भोजन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के प्रयोजनार्थ जिला मुख्यालय उदयपुर व कोटा में 150 बालिकाओं की क्षमता, डूंगरपुर, बांसवाडा व प्रतापगढ जिला मुख्यालय पर 100–100 बालिकाओं की क्षमता एवं बांरा जिला मुख्यालय पर 50 बालिकाओं की क्षमता वाले बहुउद्देशीय छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है।

7. कॉलेज छात्रावासों का संचालन

अनुसूचित क्षेत्र के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राएं जों दूर–दराज क्षेत्र की निवासी है एवं महाविद्यालय स्थल पर मकान किराये पर लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है। ऐसे छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय स्थल पर निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के प्रयोजनार्थ कॉलेज छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में 7 कॉलेज छात्रावासों का संचालन विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिनकी कुल छात्र क्षमता 350 छात्र/छात्राओं की है। इन छात्रावासों में निवासरत् छात्र/ छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क आवास, अल्पाहार एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

8. आश्रम छात्रावासों में विशेष कोचिंग योजना

आश्रम छात्रावासों के कक्षा 6 से 12 वीं के छात्र–छात्राओं को आश्रम छात्रावास में ही विषय विशेषज्ञ के माध्यम से कठिन विषयों की कोचिंग कराई जाती है ताकि छात्र–छात्राऐं कठिन विषयों की अच्छी तैयारी कर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। कक्षा 10 वीं में अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित तथा कक्षा 12 में कला वर्ग में अनिवार्य अंग्रेजी व ऐच्छिक अंग्रेजी, वाणिज्य वर्ग में अनिवार्य अंग्रेजी तथा तीनों ऐच्छिक विषय तथा विज्ञान वर्ग में अनिवार्य अंग्रेजी तथा चारों ऐच्छिक विषयों की कोचिंग कराई जाती है।

9. आश्रम छात्रावासों के छात्र–छात्राओं हेतु शैक्षणिक भ्रमण योजना

जनजाति छात्र–छात्राओं को शहरी, वैज्ञानिक, पर्यावरणीय व आधुनिक ज्ञान उपलब्ध कराने की दृष्टि से छात्रावासों के छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण कराये जाने हेतु यह योजना संचालित की जा रही है। शैक्षणिक भ्रमण के दौरान कम से कम राजस्थान के शैक्षणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर छात्र–छात्राओं को भ्रमण कराते हुए जनजाति छात्र–छात्राओं की जिज्ञासा पूरी करने का प्रयास किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य जनजाति के छात्र–छात्राओं को स्मारकों के बारे में ज्ञान प्राप्त कराना ताकि वे राष्ट्रीय विकास की धारा से रूबरू होकर ज्ञान में सुधार ला सकें और व जागरूक तथा जिम्मेदार नागरिक बन सके। भ्रमण से उन्हें भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। यह भ्रमण कार्यक्रम सात दिवसीय होता है जिसमें भोजन, नाश्ता के अतिरिक्त छात्र–छात्राओं को दर्शनीय स्थानों का टिकट एवं ठहरने की व्यवस्था, स्टेशनरी, बसों के किराये का प्रावधान किया गया है।

10. छात्रगृह किराया योजना (केवल राजकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं हेतु)

इस योजनान्तर्गत **अनुसूचित क्षेत्र के** जनजाति के ऐसे छात्र–छात्राऐं जो राजकीय महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढते हैं, उनमें से जिन छात्र–छात्राओं को छात्रावास में स्थानाभाव के कारण आवासीय सुविधा नहीं मिल पाती है और व किराये के मकान में रहकर नियमित अध्ययन करते हैं, उनको इस योजनान्तर्गत आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पैटर्न अनुसार मकान किराया की राशि निम्नानुसार पुनर्भरण की जाती है–

क्र.सं.	स्थान	अवधि	दर प्रतिमाह प्रति छात्र–छात्रा	राशि (10 माह की राशि)
1	संभाग मुख्यालय	10 माह तक	500.00	5000.00
2	जिला मुख्यालय	10 माह तक	400.00	4000.00
3	अन्यत्र स्थान	10 माह तक	300.00	3000.00

जिन छात्र–छात्राओं के माता–पिता आयकरदाता है, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। छात्राएं अनुसूचित क्षेत्र की मूल निवासी होने तथा राज्य में ही अध्ययनरत रहने पर ही योजना का लाभ देय होगा।

11. बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति

वर्ष 1993–94 से यह योजना प्रारम्भ की गई। जनजाति के ऐसे प्रतिभावान छात्र जिन्होंने राजस्थान से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है तथा विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं उन्हें राशि रू 350/– प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से 10 माह तक छात्रवृत्ति दी जाती है।

12. जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता (निजी एवं राजकीय महाविद्यालय स्तर की छात्राओं के लिए)

जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1994–95 में यह योजना प्रारम्भ की गई। योजना का लाभ उन छात्राओं को प्राप्त होगा जो राज्य की मूल निवासी हों और महाविद्यालय (सामान्य शिक्षा) में नियमित रूप से अध्ययनरत हों। योजनानुसार प्रत्येक अध्ययनरत छात्रा को राशि रू 500/– प्रतिमाह की

दर से 10 माह तक (5000/- रू एकमुश्त) आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में उन्हीं छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाती है जिन्होंने महाविद्यालय में पिछली परीक्षा उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेश लिया हो साथ ही आर्थिक सहायता केवल उन्हीं छात्राओं को देय होगी जिनके माता-पिता आयकरदाता नहीं हैं। छात्राएं राज्य की मूल निवासी होने तथा राज्य में ही अध्ययनरत रहने पर ही योजना का लाभ देय होगा।

13. जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता

कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं में अध्ययन करने वाली जनजाति छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 से यह योजना प्रारम्भ की गई। योजना का लाभ उन छात्राओं को प्राप्त होगा जो राज्य की मूल निवासी हों और राजकीय विद्यालयों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हों। योजनानुसार प्रत्येक अध्ययनरत छात्रा को राशि रू 350/- प्रतिमाह की दर से 10 माह तक (3500/- रू एकमुश्त) आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में उन्हीं छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाती है जिनके माता-पिता आयकरदाता नहीं हैं। छात्राओं के राज्य की मूल निवासी होने तथा राज्य में ही संचालित राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत रहने पर योजना का लाभ देय होगा।

14. जनजाति के कक्षा 6 से 12 तक चयनित छात्र-छात्राओं को प्रतिष्ठित विद्यालयों/ संस्थाओं के माध्यम से अध्ययन योजना

सामान्यतया जनजाति छात्र-छात्राऐं आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण प्रतिष्ठित एवं अच्छी शिक्षा देने वाले निजी शैक्षिक विद्यालयों/संस्थाओं में अध्ययन नहीं कर पाते हैं। इसलिए राज्य की कतिपय श्रेष्ठ शैक्षिक संस्थाओं में जनजाति छात्रों को सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ अध्ययन कराने एवं इन्हें गुणवत्तायुक्त शिक्षा दिलवाये जाने हेतु योजना प्रारम्भ की गई। उक्त योजना के अन्तर्गत ट्यूशन फीस, आवास, भोजन, पुस्तकें, स्टेशनरी एवं पौशाक आदि हेतु राशि स्वीकृत की जाती है जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

15. निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना

वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रभावी कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना के अन्तर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में राजकीय विद्यालयों में व आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत जनजाति की

छात्राओं को योजना की गाईडलाईन अनुसार पात्र छात्राओं को 6000 स्कूटीयां वितरण की जायेगी। कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना में स्कूटी हेतु पात्रता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में 65 प्रतिशत एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक निर्धारित किये गये है।

16. जनजाति आश्रम/महाविद्यालय स्तरीय/बहुउद्देशीय छात्रावासों का निर्माण

अनुसूचित जनजाति वर्ग की साक्षरता दर राज्य की कुल साक्षरता दर से लगभग 15 प्रतिशत कम है। जनजाति समुदाय के साक्षरता स्तर में सुधार हेतु विशेष प्रयास की आवश्यकता है। नवीन जनजाति आश्रम/महाविद्यालय स्तरीय/बहुउद्देशीय छात्रावास का निर्माण ऐसे स्थान पर किया जाना है जहां उच्च माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालय संचालित है।

17. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जनजाति छात्र/छात्राओं को एक ही स्थान पर निःशुल्क आवासीय स्थल एवं शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, (भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार) कुल क्षमता 480 (240 छात्र एवं 240 छात्राऐं) का निर्माण कराया जाना है।

18. Drinking Water Schemes-

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा 750 से अधिक (जनजाति अनुसूचित क्षेत्र) एवं 1500 से अधिक (गैर अनुसूचित क्षेत्र) की जनसंख्या वाले ग्रामों में पेयजल सुविधा हेतु पम्प एण्ड टेंक निर्माण की योजना संचालित करता है।

जनजाति लोग बिखरी आबादी में छितराऐं हुए रहते है। छितराई आबादी होने से जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अधिसंख्य ग्राम जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के इस नार्मस के अन्तर्गत नहीं आते हैं जिससे उक्त योजना की क्रियान्विति इन ग्रामों में नहीं कर पाता है। अतः इस प्रकार की वंचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों/ढाणियों में पम्प एण्ड टेंक योजना, पाईप्ड योजना, पनघट योजना, टयुबवेल, ओपनवेल मय

ऐसेसरिज (विद्युत कनेक्शन सहित), पाईप लाईन घरो में पेयजल, हैण्डपम्प उपलब्ध कराया जाता है।

19. Development of Sports Facilities at District level

उपयोजना क्षेत्र मे जिला मुख्यालय पर/पंचायत समिति/खेल छात्रावासो/उच्च माध्यमिक विद्यालयो मे छात्र/छात्राओं को बेहतर खेल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्टेडियम/ स्पोटर्स कॉम्पलेक्स का निर्माण करवाया जाता है। जिससे खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर सके।

20. राजकीय शिक्षण संस्थाओं मे अतिरिक्त कमरों का निर्माण–

राजस्थान राज्य मे कई विद्यालय क्रमोन्नत हुए है एवं नवीन महाविद्यालयो की स्थापना हुई है। विगत वर्षो मे महाविद्यायो मे भी छात्र/छात्राओ के नामांकन मे वृद्वि हुई है। सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रो के अनुपात मे कमरे निर्मित नही है। जनजाति बाहुल्य छात्र/छात्राओ वाले ऐसे राजकीय शिक्षण संस्थाओं मे अतिरिक्त कमरों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

21. Renovation and Development of places of hostorical, cultural and religious importance of tribal population.

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से उपयोजना क्षेत्र मे जनजाति समाज के धार्मिक स्थलों पर दर्शनार्थी के लिए आधारभूत सुविधाओं का निर्माण, सामुदायिक भवन, पेयजल तथा एप्रोच रोड आदि का निर्माण किया जाता है।

अध्याय – 3

जनजाति विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/घोषणाओ की प्रगति

विभाग द्वारा केन्द्रीय सहायता व राज्य सहायता से विभाग के कार्यक्षेत्र क्रमशः अनुसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र, माडा कलस्टर क्षेत्र, बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र एवं सहरिया क्षेत्र में विभिन्न योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही है। योजनाओं का उद्देश्य उक्त क्षेत्र में निवासरत जनजाति परिवारों का सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकास करना है। वर्ष 2018–19 में इन योजनाओं हेतु कुल 551.06 करोड रूपये का संशोधित बजट आबंटन किया गया जिसके विरूद्व माह मार्च, 2019 तक 589.69 करोड रूपये व्यय किये गये।

वर्ष 2019–20 में इन योजनाओं हेतु कुल 639.64 करोड रूपये का बजट प्रावधान रखा गया जिसके विरूद्व माह दिसम्बर, 2019 तक 303.48 करोड रूपये व्यय किये गये। मदवार एवं क्षेत्रवार प्रावधान एवं व्यय की सूचना निम्नानुसार है :–

(राशि लाख रूपये में)

क. सं.	क्षेत्र	वर्ष 2018–19		वर्ष 2019–20	
		संशोधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय दिसम्बर,19 तक
क	**राज्य योजना**				
1.	**जनजाति कल्याण निधि**				
अ.	अनुसूचित क्षेत्र	21565.67	21669.89	27675.53	11795.65
ब.	माडा क्षेत्र	2734.27	2673.29	3295.72	1664.85
स.	माडा कलस्टर क्षेत्र	13.44	11.74	13.44	0.76
द.	बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र	984.42	903.16	1216.71	366.91
य.	सहरिया क्षेत्र	4761.06	4605.14	5398.60	3508.05
	योग : जनजाति कल्याण निधि	**30058.86**	**29863.22**	**37600.00**	**17336.22**
2.	**विशेष केन्द्रीय सहायता**				
अ.	अनुसूचित क्षेत्र	10009.53	12558.19	7315.07	5190.83
ब.	माडा क्षेत्र	218.40	258.58	950.05	3.00
स.	माडा कलस्टर क्षेत्र			30.01	
द.	बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र	100.00	69.14	1075.05	
य.	सहरिया विकास परियोजना क्षेत्र		6.86	80.02	1.50
	योग : विशेष केन्द्रीय सहायता	**10327.93**	**12892.77**	**9450.20**	**5195.33**
3.	**संविधान के अनुच्छेद 275(1)**				
अ.	अनुसूचित क्षेत्र	11935.55	12710.82	12553.77	6074.36
ब.	गैर अनुसूचित क्षेत्र	1377.08	1645.56	2616.20	779.96
स.	सहरिया क्षेत्र	184.60	201.11	605.55	124.81
	योग : अनुच्छेद 275(1)	**13497.23**	**14557.49**	**15775.52**	**6979.13**
4.	**केन्द्र प्रवर्तित योजना**				

अ.	टीआरआई की योजनाऐं	214.00	66.03	150.00	29.93
ब.	लघु वन उपज संग्रहण कार्य	0.00	0.00	20.00	
स.	वन बन्धू कल्याण योजना	0.00	289.78	0.02	24.57
द.	आश्रम स्कुल भवन निर्माण	0.00	18.23		
य.	छात्रावास भवन निर्माण	0.00	413.11	0.01	85.84
र.	सहरिया विकास परियोजना	1008.00	868.16	968.12	697.37
	योग : केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	**1222.00**	**1655.31**	**1138.15**	**837.71**
	महायोग	**55106.02**	**58968.79**	**63963.87**	**30348.39**

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :—

अ. अनुसूचित क्षेत्र

1. जनजाति कल्याण निधि

(i) आश्रम छात्रावास संचालन

योजनान्तर्गत जनजाति विद्यार्थियों को आश्रम छात्रावास में प्रवेश दिया जाकर निःशुल्क आवास, भोजन आदि की सुविधाए प्रदान की जाती है प्रति विद्यार्थी 2500/— रूपये प्रतिमाह भोजन इत्यादि हेतु व्यय किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2018—19 में 7810.35 लाख रूपये के प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर,19 तक 5347.06 लाख रूपये व्यय हुए तथा 263 छात्रावासों में 18261 विद्यार्थियों को प्रवेश देकर लाभान्वित किया गया। वर्ष 2016—17 में 16081, वर्ष 2017—18 में 16422 एवं वर्ष 2018—19 में 18381 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

(ii) खेल छात्रावास का संचालन

जनजाति छात्रों को खेलकूद हेतु प्रोत्साहित करने तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से 13 खेल छात्रावास संचालित है। इन छात्रावासों में दक्ष विशेषज्ञों द्वारा तीरन्दाजी एवं ऐथेलेटिक्स का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें कक्षा 6 से 12 वीं तक के खिलाडी बालकों को प्रवेश दिया जाता है। वर्ष 2018—19 में 497.50 लाख रूपये के प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर,19 तक 319.43 लाख रूपये व्यय किया गया है। वर्तमान में इन छात्रावासों में 875 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। वर्ष 2016—17 में 725, वर्ष 2017—18 में 875 एवं वर्ष 2018—19 में 875 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

(iii) आवासीय विद्यालय संचालन

अनुसूचित क्षेत्र में बालक/बालिकाओं हेतु जनजाति कल्याण निधि अन्तर्गत 4 आवासीय विद्यालय संचालित किये जा रहे है जिसमें आवास, भोजन, शिक्षा

निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। 2019–20 में 1114 छात्र/छात्राऐं अध्ययनरत है एवं माह दिसम्बर,19 तक 503.74 लाख रूपये व्यय किये गये। वर्ष 2016–17 में 1072, वर्ष 2017–18 में 1102 एवं एवं वर्ष 2018–19 में 1108 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्र में बालक/बालिकाओं हेतु जनजाति कल्याण निधि अन्तर्गत 2 मॉडल पब्लिक विद्यालय संचालित किये जा रहे है जिसमें आवास, भोजन, शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। 2019–20 में 699 छात्र/छात्राऐं अध्ययनरत है

(iv) मॉ–बाड़ी केन्द्र संचालन योजना

यह योजना अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति एवं कथौड़ी समुदाय के शिक्षा से वंचित बच्चों (6 से 12 वर्ष आयु वर्ग) को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये संचालित की जा रही है वर्ष 2019–20 में 8640.00 लाख रूपये के प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर,19 तक 3183.07 लाख रूपये व्यय हुए तथा 2083 मॉ बाडी केन्द्रों में 62490 विद्यार्थियों को प्रवेश देकर लाभान्वित किया गया। वर्ष 2016–17 में 32670, वर्ष 2017–18 में 54360 एवं वर्ष 2018–19 में 62490 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

(v) छात्रगृह किराया योजना

इस योजनान्तर्गत जनजाति के ऐसे छात्र/छात्राऐं जो महाविद्यालय की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढते है तथा उन्हे छात्रावास में स्थानाभाव के कारण आवासीय सुविधा नहीं मिल पाती है और वे किराये के मकान में रहकर नियमित अध्ययन करते है उन्हे सम्भाग मुख्यालय पर 500 रूपये, जिला मुख्यालय पर 400 रूपये एवं अन्य स्थान पर 300 रूपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम 10 माह हेतु मकान किराये का पुनर्भरण किया जाता है। इसमें एक छात्र या दो छात्रों के एक ग्रुप को भी यह सुविधा दी जाती है। छात्र/छात्राऐं अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी होने तथा राज्य में ही अध्ययनरत रहने पर ही योजना का लाभ देय है। वर्ष 2019–20 में 750.00 लाख रूपये के प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर,19 तक 11.92 लाख रूपये का पुनर्भरण किया जाकर 379 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया

गया। वर्ष 2016—17 में 17410, वर्ष 2017—18 में 18443 एवं वर्ष 2018—19 में 17780 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

(vi) **प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहन योजना**

इस योजनान्तर्गत जनजाति के छात्रों ने जिन्होंने राजस्थान से माध्यमिक शिक्षा एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है उन्हे बोर्ड की अगली परीक्षा तक अध्ययन करने पर 350 रूपये प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए अधिकतम रूपये 3500/— की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वर्ष 2019—20 में 111.50 लाख रूपये के प्रावधान किया जाकर 3185 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा। वर्ष 2016—17 में 1262, वर्ष 2017—18 में 2176 एवं वर्ष 2018—19 में 3036 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

(vii) **छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता (महाविद्यालय स्तर)**

जनजाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई। योजना का लाभ उन छात्राओं को प्राप्त होता है जो राज्य की मूल निवासी हों और राज्य की निजी एवं राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत हों। इस योजनानुसार प्रत्येक छात्रा को 500 रूपये प्रति माह की दर से 10 माह तक आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2018—19 में 1245.00 लाख रूपये के प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर,19 तक 145.39 लाख रूपये रूपये व्यय किया जाकर 2571 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2016—17 में 21791, वर्ष 2017—18 में 23817 एवं वर्ष 2018—19 में 26389 छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

(viii) **छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता (कक्षा 11 एवं 12)**

जनजाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई। योजना का लाभ उन छात्राओं को प्राप्त होता है जो अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी हों एवं राजकीय विद्यालयों में कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत हों। इस योजनानुसार प्रत्येक छात्रा को 350 रूपये प्रति माह की दर से 10 माह तक आर्थिक सहायता दी जाती है। है। वर्ष 2019—20 में 1001.00 लाख रूपये के प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर,19 तक रूपये 76.11 लाख व्यय कर 1783 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2016—17 में 21004, वर्ष

2017–18 में 21642 एवं वर्ष 2018–19 में 26790 छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

(ix) जनजाति बालिकाओं को स्कूटी वितरण

कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 65 प्रतिशत या अधिक अंक अर्जित करने वाली जनजाति बालिकाओं को प्रोत्साहन स्वरूप निःशुल्क स्कूटी वितरण किये जाने की योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में 850.00 लाख रूपये के प्रावधान किया जाकर 1889 छात्राओं को लाभान्वित किया जायेगा। वर्ष 2016–17 में 608, वर्ष 2017–18 में 1595 एवं वर्ष 2018–19 में 1702 जनजाति बालिकाओं को स्कूटी वितरण कर लाभान्वित किया गया।

(x) क्षय रोग नियंत्रण

सामान्यतया जनजाति आबादी दूरदराज के क्षेत्र में निवास करती है तथा स्वास्थ्य सुविधाए आसपास उपलब्ध नहीं होती है जनजाति व्यक्तियों में क्षय रोग का प्रकोप अधिक रहता है तथा निदान हेतु नियमित उपचार अनिवार्य होता है किन्तु जनजाति व्यक्ति के लिए कार्य दशाओं एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की दूरी के कारण नियमित उपचार लिया जाना संभव नहीं हो पाता है। अतः इस समस्या के निदान हेतु स्वच्छ परियोजना के माध्यम से क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा क्षय रोगियों की पहचान कर उन्हे नियमित उपचार उपलब्ध कराया जाता है तथा पौष्टिक सत्तु दिया जाता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में 1766.52 लाख रूपये के प्रावधान के विपरीत माह दिसम्बर,19 तक 966.87 लाख रूपये व्यय किये गये एवं 4240 रोगियों के उपचार कराया जा रहा है। वर्ष 2016–17 में 9506, वर्ष 2017–18 में 4293 एवं वर्ष 2018–19 में 4686 रोगियों के उपचार कराया गया।

(xi) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

जनजाति के युवकों को रोजगारोन्मुख व्यवसायों का प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार चलाने अथवा तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के लिए तैयार करने के लिए तकनीकी शिक्षा निदेशालय के माध्यम से 14 वर्ष की आयु से अधिक के युवकों को इंजीनियरिंग एवं गैर इंजीनियरिंग में एक एवं दो वर्षीय प्रशिक्षण वेल्डर, प्लम्बर, डीजल मैकेनिक, हिन्दी एवं अंग्रेजी स्टेनो, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रोनिक्स एवं

रेडियो टीवी आदि व्यवसायों में प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार प्रारंभ करने योग्य बनाया जाता है। प्रशिक्षणरत छात्रों को 150 रूपये प्रतिमाह स्टाईफन्ड दिया जाता है। उत्तीर्ण होने पर राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर,19 तक 2.58 लाख रूपये व्यय किये गये एवं 556 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।वर्ष 2016–17 में 556, वर्ष 2017–18 में 603 एवं वर्ष 2018–19 में 556 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

(xii) फूड क्राफ्ट प्रशिक्षण

होटल व्यवसाय में प्रशिक्षण के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से संचालित फूड क्राफ्ट संस्थान के 4 व्यवसायों में जनजाति युवक युवतियों के लिए 40 अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। प्रशिक्षणरत छात्र छात्राओं को 500 रूपये छात्रवृति, फीस पुनर्भरण एवं पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है। उत्तीर्ण होने पर नेशनल कौसिंल आफ होटल मेनेजमेन्ट, नोयडा द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है जो कि रोजगार प्राप्ति के लिए मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2019–20 में 9 छात्रो को लाभान्वित किया जा रहा है । वर्ष 2016–17 में 30, वर्ष 2017–18 में 35 एवं वर्ष 2018–19 में 34 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

2. विशेष केन्द्रीय सहायता

(i) कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाऐं

कृषि विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों के तहत फसल बीज मिनीकीट प्रर्दशन कार्यक्रम अर्न्तगत खरीफ/रबी में अधिकतम 0.20 हैक्टयर हेतु कृषकों को प्रमाणित बीज निशु:ल्क उपलब्ध कराया जाता है। खरीफ फसलों में सोयाबीन, अरहर व उडद फसल का मिनीकिट क्रमशः 8, 3–4 व 4 किलोग्राम उपलब्ध कराया जाता है। रबी फसल में गेहू एवं जौ का 10 से 20 किलोग्राम एवं चना फसल में 15 किलोग्राम उपलब्ध कराया जाता है। बी टी कॉटन फसल में 0.2 हेक्टयर हेतु 450 ग्राम बी टी कपास बीज का मिनीकिट प्रदान किया जाता है ।

वर्ष 2019–20 में इस हेतु राशि 1240.00 लाख रूपये के प्रावधान के विपरीत माह दिसम्बर,19 तक 629.66 लाख रूपये व्यय किये गये एवं 32770 बीपीएल जनजाति परिवारों को खरीफ व रबी फसल में कृषि विकास कार्यक्रम से लाभान्वित किया गया।

वर्ष 2016–17 वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में क्रमशः 1.94, 1.78 एवं 6.42 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया।

(ii) उद्यानिकी विकास

जनजाति कृषकों का आर्थिक स्तर उंचा उठाने की दृष्टि से उनके खेतों पर 0.05 हेक्टर में सब्जियों (लहसुन, प्याज, टमाटर, भिण्डी, बैंगन) के उन्नत बीज, खाद एवं कीटनाशक उपलब्ध कराये जा रहे है । वर्ष 2019–20 में 250.00 लाख रूपये के प्रावधान एवं गत वर्षो की बचत राशि के विपरीत माह दिसम्बर,19 तक 93.89 लाख रूपये व्यय किया गया एवं 1685 परिवारो को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2016–17 में 15539, वर्ष 2017–18 में 3725 एवं वर्ष 2018–19 में 2412 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

(iii) पशुपालन कार्यक्रम

जनजाति परिवारों का आर्थिक स्तर उॅचा उठाने की दृष्टि से पशुपालन कार्यक्रम के तहत 2 पशुओं को रहने की व्यवस्था, कुट्टी मशीन वितरण, दुग्ध केन वितरण, पशुपालकों के प्रशिक्षण एवं पशु प्रजनन केम्प का आयोजन आदि के माध्यम से क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन क्षमता बढाई जाने के उद्देश्य से वर्ष 2019–20 में 400.00 लाख रूपये का प्रावधान के विपरीत माह दिसम्बर,19 तक 134.89 लाख रूपये व्यय किये गये एवं 130 परिवारों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2016–17 में 13701, वर्ष 2017–18 में 24398 एवं वर्ष 2018–19 में 34024 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

(iv) दुग्ध विकास कार्यक्रम

अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति व्यक्तियों की कृषि व्यवसाय के अतिरिक्त पशु पालन एवं दुग्ध व्यवसाय भी आजीविका का मुख्य स्त्रोत है। दुग्ध विकास कार्यक्रम के तहत जिले में कार्यरत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 द्वारा ग्रामों से दुग्ध संकलन कर डेयरी तक लाया जा रहा है। जनजाति व्यक्तियों की आय बढाने एवं अतिरिक्त दुग्ध क्षमता हेतु गावों में सहकारी समितियों के माध्यम से बल्क मिल्क कूलर स्थापित कर अधिक मात्रा में दुग्ध संकलन कर वहीं ठण्डा कर डेयरी तक लाये जाने से जनजाति दुग्ध उत्पादकों में आय वृद्धि हेतु वर्ष 2014–15 से नवीन योजना प्रारम्भ की गई। वर्ष 2019–20 में 525.00 लाख रूपये का प्रावधान एवं गत

वर्षो की बचत राशि के विपरीत माह दिसम्बर,18 तक 28.83 लाख रूपये व्यय किये गये। वर्ष 2016–17 में 67 बल्क मिल्क कूलर व 120 स्वचालित दूध संग्रह इकाई, 2017–18 में 6 बल्क मिल्क कूलर व 72 स्वचालित दूध संग्रह इकाइ एवं 2018–19 में 50 स्वचालित दूध संग्रह इकाई स्थापित की गई।

(v) बैफ के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का संचालन

जनजाति कृषकों के पास उपलब्ध पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढाने, अच्छी नस्ल की उत्पति हेतु उदयपुर, बांसवाडा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ जिले में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का संचालन कर जनजाति व्यक्तियों के पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करना इस योजना का उद्देश्य है। वर्ष 2019–20 में गत वर्षो की बचत राशि के विपरीत माह दिसम्बर,19 तक 62.87 लाख रूपये व्यय कर 13290 परिवारों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2016–17 में 2871, 2017–18 में 3164 एवं वर्ष 2018–19 में 8702 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

(vi) मत्स्य विकास

इस कार्यक्रम के तहत मत्स्य पालकों को विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण एवं मत्स्य बीज वितरण आदि हेतु वर्ष 2010–20 में गत वर्षो की बचत राशि के विपरीत माह दिसम्बर,19 तक 4.66 लाख रूपये व्यय किया गया एवं 39 परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में 1705 व वर्ष 2018–19 में 382 परिवारों को लाभान्वित किया गया ।

(vii) वनीकरण (सुरक्षात्मक एवं जीवनयापन) योजना

वनीकरण योजना के अन्तर्गत वन विभाग के माध्यम से इको टयूरिज्म सुविधाओं का विकास, जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण, नर्सरी में आधारभूत संरचना/कार्य का निर्माण आदि तथा उत्पादन संवर्धन कार्य हेतु वर्ष 2019–20 में 400.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है एवं 2000 परिवारों को लाभान्वित किया जावेगा। माह दिसम्बर,18 तक 298.13 लाख रूपये व्यय किया गया। वर्ष 2017–18 में 4312 व वर्ष 2018–19 में 4312 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

(viii) जलसंग्रहण संरचनाओं (एनिकट) का निर्माण एवं पुनरोद्धार

इस योजनान्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता मद में वर्ष 2019–20 में राशि 800.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। माह दिसम्बर,19 तक 885.22 लाख

रूपये का व्यय किया गया एवं 9 एनीकट कार्य पूर्ण किये गये। वर्ष 2017–18 में 3 एनीकट कार्य पूर्ण व वर्ष 2018–19 में 24 एनीकट कार्य पूर्ण किये गये।

(ix) नहरो का सुदृढ़ीकरण

अनुसूचित क्षेत्र में नहरों का सुदृढीकरण एवं विस्तार कर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में वृद्धि हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में 600.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। माह दिसम्बर,19 तक 771.11 लाख रूपये व्यय किये गये है। वर्ष 2018–19 में 10 एनीकट कार्य पूर्ण व वर्ष 2019–20 में 11 एनीकट कार्य पूर्ण किये गये।

(x) सामुदायिक जलोत्थान योजनाओं का निर्माण व रखरखाव

नदी नालों एवं बांधों के बेक वाटर में उपलब्ध पानी को सिंचाई हेतु उपयोग करने के लिये विद्युत मोटर द्वारा पानी को ऊंचा उठाकर सिंचाई क्षेत्रफल में वृद्धि किये जाने हेतु वर्ष 2019–20 में 1000.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया एवं गत वर्ष के स्वीकृत कार्यो पर दिसम्बर,19 तक 144.87 लाख रूपये व्यय किये गये है। वर्ष 2016–17 में स्वीकृत 44 एवं वर्ष 2017–18 में स्वीकृत 40 सोलर आधारित सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं में से 67 जलोत्थान सिंचाई योजनाओ में सोलर पम्प स्थापित किये जा चुके हैं।

(xi) दक्षता विकास कार्यक्रम

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, जयपुर द्वारा अनुसूचित जनजाति के युवक/युवतियों को रोजगारपरक लघु अवधि कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत आवासीय एवं गैर–आवासीय कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 173 मॉड्यूल्स में 33 सेक्टर में विभिन्न पाठ्यक्रम यथा– कम्प्यूटर हार्डवेयर, सिक्यूरिटी, गारमेन्ट मेकिंग, ऑटो मोबाईल सेक्टर, कन्स्ट्रक्शन, फैशन डिजाईनिंग, सूचना एवं प्रोद्योगिकी, हॉस्पिटिलिटी, इलेक्ट्रिकल्स, एग्रीकल्चर, मेडिकल एण्ड नर्सिंग इत्यादि में प्रशिक्षण दिया जाकर 50 प्रतिशत लाभार्थियों को रोजगार/ स्वरोजगार से जोडा जायेगा। वर्ष 2019–20 में इस हेतु 450.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया एवं 1800 युवाओं को लाभान्वित किया जायेगा। वर्ष 2016–17 में 1820, 2017–18 में 2147 एवं वर्ष 2018–19 में 2585 युवाओं को लाभान्वित किया गया।

(xii) आवश्यक सेवाओं को सड़कों से जोडना

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अवस्थित विभिन्न जनोपयोगी सेवा केन्द्र विद्यालय, उपकेन्द्र एवं आश्रम छात्रावास दूरस्थ ग्रामों में अवस्थित है, जहॉ पर पहूंच के लिए समुचित सडक/पुलिया व्यवस्था नहीं होने से वर्षा ऋतु में आमजन एवं विद्यार्थियों को इन स्थल पर पहुंचने में असुविधा रहती है। अतः इन संस्थानों/सेवा केन्द्रो को समीपस्थ मुख्य सडक अथवा मुख्य ग्राम से सम्पर्क सडक/पुल से जोड़ने हेतु वर्ष 2019–20 में राशि 1050.00 लाख रूपये के प्रावधान एवं गत वर्ष की बचत के विपरीत माह दिसम्बर,19 तक 1334.26 लाख रूपये व्यय किये गये एवं 44 सड़क कार्य पूर्ण किये गये।

3. संविधान का अनुच्छेद 275 (1)

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र हेतु वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर,19 तक 6074.36 लाख रूपये व्यय किया गया। विभाग द्धारा 14 आवासीय विद्यालयों का संचालन एवं संस्थापन किया जाकर 3248 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त क्षेत्र में आधारभूत संरचना के कार्य भी किये जा रहे है ।

राज्य योजना से जनजाति उपयोजना में मांग सख्यां 30 की प्रगति

जनजाति व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिये विभिन्न विभागों द्वारा सामुदायिक एवं व्यक्तिगत लाभ की अनेक योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही है तथा सभी विभागों को अपने बजट में से जनजातियों के विकास हेतु मांग सख्यां 30 में प्रावधान रखा जाता है। वर्ष 2019–20 में राज्य योजना में से जनजाति उपयोजना मद मे 15946.89 करोड रूपये के प्रावधान के विपरीत माह दिसम्बर,19 तक 7554.48 करोड रूपये व्यय किये गये।

विभिन्न मदों में आवंटन एवं व्यय (अन्तरिम) की स्थिति निम्न तालिका में प्रस्तुत है :–

(राशि लाखों में)

क.सं.	मद	राज्य योजना	
		आवंटन	व्यय
1	कृषि एवं संबद्व सेवाऐं	104814.27	72272.73
2	ग्रामीण विकास	244385.45	149936.97
3	विशेष क्षेत्रीय परियोजना	2083.00	2557.64
4	सिंचाई	36008.57	28542.72
5	विद्युत	416746.90	113258.70
6	उद्योग एवं खनिज	9506.51	3738.44
7	परिवहन एवं संचार	67751.46	48174.69
8	वैज्ञानिक सेवाऐं एवं अनुसंधान	152.79	3.94
9	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाऐं	682292.76	329390.12

10	आर्थिक सेवाऐं	24835.43	6374.58
11	सामान्य सेवाऐं	6111.61	1197.52
	योग :	**1594688.75**	**755448.05**

ब. माडा क्षेत्र

अ. माडा क्षेत्र_ (जनजाति कल्याण निधि)

जनजाति कल्याण निधि अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में 2906.90 लाख रू के आवंटन के विरूद्ध माह मार्च 18 तक 2251.32 लाख रू व्यय किये गये है। वर्ष 2018–19 में 3568. 73 लाख रू के आवंटन के विरूद्ध माह दिसम्बर 18 तक 1445.98 लाख रू व्यय किये गये है। वर्ष 2018–19 माह मार्च 19 में 2734.27 लाख रू. के आवंटन के विरूद्व 2673.29 लाख रू. व्यय किये गये। वर्ष 2019–20 माह दिसम्बर 19 तक 3295.72 लाख रू. के आवंटन के विरूद्व 1664.85 लाख रू. व्यय किये गये।

आश्रम छात्रावास संचालन– वर्ष 2018–19 में 1215.11 लाख रू के आवंटन के विरूद्ध माह मार्च 19 तक 1203.02 लाख रू व्यय किये गये एवं 3209 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2019–20 में 1569.50 लाख रू के आवंटन के विरूद्ध माह दिसम्बर 19 तक 912.74 लाख रू व्यय किये गये एवं 3081 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया। उक्त योजना में वर्ष 2017–18 2018–19 एवं 2019–20 में क्रमशः 4017, 3209 एवं 3081 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

शिक्षा प्रोत्साहन– जनजाति के बालक बालिकाओं को शिक्षा की ओर प्रवृत किये जाने हेतु माडा योजना में संचालित योजनाओं (1) छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन (2) प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (3) जनजाति छात्राओं को आर्थिक सहायता के योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जा रहे हैं। वर्ष 2018–19 में उक्त योजनाओं के लिये 179. 05 लाख रू प्रावधान किया गया है जिसके विरूद्ध मार्च 19 तक 174.70 लाख रू. व्यय किया एवं 3077 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2019–20 में उक्त योजनाओं के लिये 170.00 लाख रू प्रावधान किया गया है जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2019 तक 104.56 लाख रू. व्यय किया एवं 242 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया। उक्त योजना में वर्ष 2018–19 मार्च 19 एवं 2019–120 दिसम्बर 19 में क्रमशः 3077 एवं 242 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

आवासीय विद्यालय– माडा क्षेत्र में दो आवासीय विद्यालय संचालित है जिसकी प्रवेश क्षमता वर्ष 2018–19 में 570 छात्र/छात्राओं की है जिसके विरूद्ध 400 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया गया एवं वर्ष 2019–20 में 540 छात्र/छात्राओं की है जिसके विरूद्ध 389 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया गया है। उक्त योजना में वर्ष 2018–19 मार्च 19 एवं 2019–20 दिसम्बर 19 में क्रमशः 400 एव 389 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया गया है।

(विशेष केन्द्रीय सहायता)

वर्ष 2018–19 (माह मार्च 19) एवं 2019–20 माह दिसम्बर 19 तक

विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में माह मार्च 19 तक 218.40 लाख रू के बजट संशोधित अनुमान के विरूद्ध 258.58 लाख रू व्यय किये गये। वर्ष 2019–20 में 950.05 लाख रू के बजट प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर 19 तक 3.00 लाख रू व्यय किये गये।

ब. माडा कलस्टर योजना– (जनजाति कल्याण निधि)

माडा कलस्टर में वर्ष 2018–19 में रूपये 13.44 लाख के आवंटन के विरूद्ध माह मार्च 19 तक 11.74 लाख रूपये व्यय किये गये है। छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना में 1.20 लाख रूपये व्यय कर 7 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। जनजाति छात्राओं को स्कुटी वितरण योजनान्तर्गत 10.84 लाख रूपये व्यय कर 26 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2019–20 में रूपये 13.44 लाख के बजट प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर 19 तक 0.76 लाख रूपये व्यय किये गये है।

स. बिखरी योजना (जनजाति कल्याण निधि)

वर्ष 2018–19 में माह मार्च 19 तक 984.42 लाख रू. के विरूद्व 903.16 लाख रू. व्यय किये गये। आ.छात्रावास संचालन योजनान्तर्गत 352.16 लाख के प्रावधान के विरूद्व 335. 03 लाख रू. व्यय कर 918 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर 19 तक 1216.71 लाख रू. के विरूद्व 366.91 लाख रू. व्यय किये गये। आ. छात्रावास संचालन योजनान्तर्गत 451.70 लाख के प्रावधान के विरूद्व 265.23 लाख रू. व्यय कर 901 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

बिखरी योजना (विशेष केन्द्रीय सहायता)

वर्ष 2018–19 में माह मार्च 19 तक 100.00 लाख रू के विरूद्व 69.14 व्यय किये गये। वर्ष 2019–20 में दिसम्बर 19 तक लाख रू. 1075.05 का आवंटन किया गया।

माडा– जनजाति कल्याण निधि वर्ष 2018–19 (माह मार्च 19तक)

(राशि लाखों में)

क. सं.	योजना	आवंटन	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
	शिक्षा					
1	आ.छात्रावास संचालन	1215.11	1203.02	छात्र सं.	3740	3209
2	छात्राओ को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन	70.00	61.42	छात्रा	1400	1228
3	पीएमटी, पीईटी, आईआईटी कोचिंग	52.10	52.10	छात्र/छात्राएं	99	99
5	कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत जनजाति छात्राओं को आर्थिक सहायता	56.95	61.18	लाभान्वित	1627	1750
6	स्कूटी वितरण	393.05	394.10		983	1300
7	मॉ–बाडी संचालन केन्द्र	500.00	499.72		174	174
8	आवासीय विद्यालय संचालन	413.30	367.95	छात्र/छात्राएं	570	400
9	जनजाति मेले	5.00	5.00	नम्बर	3	1
10	आश्रम छात्रावास में पानी की सुविधा एवं रखरखाव	0.00	0.00			
11	बहुउद्देयीय छात्रावास	13.46	7.69		200	127
12	कम्प्यूटर मेन विद मशीन	15.30	12.26		18	18
13	आश्रम छात्रावास निर्माण	0	0			
14	अन्य	0	8.85			
	योग	**2734.27**	**2673.29**			

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति माह दिसम्बर 2019 तक की प्रगति

(राशि लाखों में)

क.सं.	**योजना**	**आवंटन**	**व्यय**	**इकाई**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**
अ	शिक्षा					
1	आ.छात्रावास संचालन	1569.50	912.74	छात्र सं.	3740	3081
2	छात्राओ को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन	70.00	5.07	छात्रा	1400	101
3	प्रतिभावान विधार्थियो को छात्रवृति	20.00	0	छात्र	571	
4	पीएमटी, पीईटी, आईआईटी कोचिंग	100.00	99.49	संख्या	142	141
5	कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत जनजाति छात्राओं को आर्थिक सहायता	80.00	0	संख्या	2285	
6	स्कूटी वितरण	300.00	81.16		750	
7	मॉ बाडी केन्द्र संचालन	550.00	247.07		165	165
8	आवासीय विद्यालय संचालन	489.30	268.92	स/छात्र	540	389

9	छात्रावास में कम्प्यूटर सेन्टर (त्रबस)	0.00	0			
10	बहुउद्देश्यीय छात्रावास संचालन (कोटा)	83.90	35.16		200	126
11	जनजाति मेला	15.00	4.99	संख्या	3	3
12	खेल छात्रावास	0.00	0	सं.		
13	आश्रम छात्रावास में पेयजल की सुविधा एवं रखरखाव	0.01	0	सं.		
14	कम्प्यूटरमैन के साथ मशीन	18.00	10.25	सं.	16	13
15	आश्रम छात्रावास निर्माण	0.01	0	छात्रावास	0	
16	अन्य	0.00	0			
	योग	**3295.72**	**1664.85**			

माडा योजना (विशेष केन्द्रीय सहायता)

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वर्ष 2018–19 माह मार्च 19

(राशि लाखों में)

क. सं.	सेक्टर / योजना	आवंटन	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
अ	**कृषि एवं सहायक सेवाएं**					
1	वाडी विकास		0			
2	डेयरी विकास कार्यक्रम		23.10	यूनिट	320	
3	उद्यानिकी कार्यक्रम		8.00	,,	3575	200
4	कृषि विकास कार्यक्रम	118.40	125.40	,,	9470	100
5	एकीकृत पशुपालन विकास कार्यक्रम	100.00	81.15	लाभा.	24268	0
ब	**सिंचाई**		0			
1	एनिकट		0	संख्या		
2	विद्युत / कुओं का विद्युतिकरण, पीवीसी पाईप लाईन तथा ड्रीप स्प्रीकलर सेट हेतु सहायता		0.10			
3	जलग्रहण विकास		0			15
4	नवीन एवं बन्द पडी जलोंत्थान सिंचाई योजनाएं		0	0	0	0
स	सामाजिक सामुदायिक सेवाए		0			
1	स्वरोजगार ऋण अनुदान (एस.सी.डी.सी.)		0	,,	1500	0
2	सम्पर्क सडक		17.99	कि.मी.		
3	कौशल विकास परियोजना		0	लाभा.		
द	अन्य योजनाएं		2.84			
	योग	**218.40**	**258.58**			

नोट (पूर्व वर्षो की बचत राशि से व्यय किया गया)

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वर्ष 2019–20 दिसम्बर, 19 तक

(राशि लाखों में)

क.सं.	**सेक्टर / योजना**	**बजट प्रावधान**	**व्यय**	**इकाई**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**
अ	**कृषि एवं सहायक सेवाएं**					
1	डेयरी विकास कार्यक्रम	125.00	0		150	
2	उद्यानिकी विकास कार्यक्रम	0.01	0	ला0	0	0

3	कृषि विकास कार्यक्रम	350.00	0	ला0	10000	0
4	एकीकृत पशुपालन विकास कार्यक्रम	125.00	3.00	ला0	150	
ब	**सिंचाई**	0	0			
1	नवीन एवं बन्द पडी जलोंत्थान सिंचाई योजनाएं	0.01	0	सं.		
2	वॉटरशेड विकास	0.01	0	ला0	0	0
3	विद्युत / कुओं का विद्युतिकरण, पीवीसी पाईप लाईन तथा ड्रीप स्प्रीकलर सेट हेतु सहायता	0.01	0			
4	डिजल पम्पसेट वितरण	0	0			
स	**सामाजिक सामुदायिक सेवाएं**	0	0			
1	स्वरोजगार ऋण अनुदान (एस.सी.डी.सी.)	0.01	0	ला0		
2	सम्पर्क सडक	200.00	00.00			1
3	कौशल विकास परियोजना	150.00	0		600	
4	अन्य	0	0			
	योग	**950.05**	**3.00**			

माडा कलस्टर (जनजाति कल्याण निधि)

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वर्ष 2018–19 माह मार्च 19

(राशि लाखों में)

क.सं.	योजना	आंवटन	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
अ	शिक्षा					
1	छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन	1.20	0.35		24	7
2	प्रतिभावान विद्यार्थियो को छात्रवृति	0.0	0.00		22	
3	जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता	1.40	1.40		40	40
4	स्कूटी वितरण	10.84	9.99		27	26
5	अन्य	0.00	0.00			
	योग	**13.44**	**11.74**			

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वर्ष 2019–20 माह दिसम्बर 19 तक

(राशि लाखों में)

क. सं.	योजना	आंवटन	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
अ	शिक्षा					
1	छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन	1.20	0.00	ला.सं	24	
2	प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृति	0.77	0.00	ला.सं	22	
3	कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत जनजाति छात्राओं को आर्थिक सहायता	1.47	0.00	ला.सं	42	
4	जनजाति छात्राओं को स्कूटी वितरण	10.00	0.76	ला.सं	25	
	योग	**13.44**	**0.76**			

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वर्ष 2019–20 माह दिसम्बर 19 तक

(राशि लाखों में)

क.सं	योजना	आंवटन	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
अ	लघु सिंचाई					
1	डिजल/विद्युत पम्पसेट पर अनुदान	0.01		संख्या	200	
2	कृषि विकास कार्यक्रम	10.00				
3	सम्पर्क सड़क	10.00		संख्या		1
4	कौशल विकास परियोजना	10.00		संख्या		
5.	अन्य	0.00				
	योग	**30.01**				

बिखरी आबादी –
बिखरी जनजाति जनजाति कल्याण निधि

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वर्ष 2018–19 माह मार्च 19

(राशि लाखों में)

क.सं.	योजना	आंवटन	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
अ	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं					
1	आ.छात्रावास संचालन	352.25	335.03	संख्या	1100	918
2	छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन	74.30	69.40	छात्रा	1486	1388
3	प्रतिभावान विद्यार्थियो को छात्रवृति	0.00	0.00	विद्यार्थी		
4	प्रतिष्ठित संस्थाओ द्वारा पी.एम.टी/पी.ई.टी. आई.आई.टी. हेतु कोचिंग	15.92	15.91	छात्र	31	31
5	आश्रम छात्रावास आधुनिकीकरण/मरम्मत	0.00	00.00	छा.	1	
6	कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत जनजाति छात्राओं को आर्थिक सहायता	45.39	45.99	ला.	1912	1906
7	आश्रम छात्रावास निर्माण	175.00	116.55		2	1
8	स्कूटी वितरण	321.56	320.28		803	800
9	अन्य	0.00	0.00			
	योग	**984.42**	**903.16**			

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वर्ष 2019–20 माह दिसम्बर 19 तक–

(राशि लाखों में)

क.सं.	योजना	आंवटन	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
1	आ.छात्रावास संचालन	451.70	265.23	संख्या	1150	901
2	छात्राओ को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन	60.00	5.65	छात्रा	1200	113
3	प्रतिभावान विद्यार्थियो को छात्रवृति	20.00	0	विद्यार्थी	571	0
4	प्रतिष्ष्टित संस्थाओ द्वारा पी.एम.टी/पी.ई.टी. आई.आई.टी. हेतु कोचिंग	30.00	16.89	छात्र	43	24
5	स्वरोजगार ऋण अनुदान (एस.सी.डी.सी.)	0.00	0.00	ला.		
6	स्कूटी वितरण	300.00	64.98	स.	750	
7	कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत जनजाति	80.00	0.00	ला.	2285	46

	छात्राओं को आर्थिक सहायता					
8	आश्रम छात्रावास में पेयजल सुविधाएं एवं मरम्मत	0.01	0.00			
9	विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से व्यवसायिक प्रशिक्षण	0.00	0.00			
10	रिपेयरिंग एवं रिनोवेशन	0.00	0.00			
11	कौशल विकास परियोजना	0.00	0.00			
12	सोलर लाईट सब्सिडी	0.00	0.00			
13	आश्रम छात्रावास निर्माण	275.00	14.16		1	
14	अन्य	0.00	0.00			
	योग	**1216.71**	**366.91**			

बिखरी योजना

विशेष केन्द्रीय सहायता वित्तीय एवं भौतिक प्रगति वर्ष 2018–19 माह मार्च 19

(राशि लाखों में)

क.	योजना	आवंटन	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
अ	कृषि एवं सहायक सेवाएं					
1	डेयरी विकास कार्यक्रम					
1	बाड़ी विकास योजना			लाभा.		
2	उद्यानिकी विकास कार्यक्रम		3.00	लाभा.	2975	0
3	कृषि विकास प्रोजेक्ट		3.00	लाभा.	12030	0
4	पॉवर थ्रेसर		0			
5	एकीकृत पशु विकास कार्यक्रम	100.00	60.14	लाभा.	19390	0
ब	लघु सिंचाई		0			
1	एनिकट		0	संख्या		
2	विद्युत/कुओं का विद्युतिकरण, पीवीसी पाईप लाईन तथा ड्रीप स्प्रींकलर सेट हेतु सहायता		0.00	संख्या		
3	स्वरोजगार ऋण अनुदान (एस.सी.डी.सी.)		0		1500	
4	नवीन एवं बन्द पडी जलोंत्थान सिंचाई योजनाएं		0			
स	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं		0			
1	जनजाति व्यक्तियों हेतु अकृषि कार्यो में प्रशिक्षण द्वारा स्वरोजगार		0	ला.		
2	कौशल विकास परियोजना		0.00		8 कि.मी	
3	सम्पर्क सडक		3.00			
	अन्य		0			
	योग	**100.00**	**69.14**			

विशेष केन्द्रीय सहायता वित्तीय एवं भौतिक प्रगति वर्ष 2019–20 माह दिसम्बर 19 तक

(राशि लाखों में)

क.	योजना	आवंटन	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
अ	कृषि एवं सहायक सेवाएं					
1	उद्यानिकी विकास कार्यक्रम	0.01	0.00	लाभा.	0	0
2	कृषि विकास प्रोजेक्ट	360.00	0	लाभा.	10000	0
3	डेयरी विकास कार्यक्रम	150.00	00.00			
4	एकीकृत पशु विकास कार्यक्रम	175.00	00.00	लाभा.	1875	0
ब	लघु सिंचाई	0	0.00			
1	एनिकट	0.01	0.00	संख्या		
2	विद्युत/डिजल पम्पसेट वितरण, कुओं का विद्युतिकरण, पीवीसी पाईप लाईन तथा ड्रीप स्प्रींकलर सेट हेतु सहायता	0.01	0.00	ला.		
3	नवीन एवं बन्द पडी जलोत्थान सिंचाई योजनाएं	0.01	0.00		1	
स	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	0	0.00			
1	कौशल विकास परियोजना	190.00	0.00	लाभा.	760	0
2	सम्पर्क सड़क	200.00	0.00	किमी	8	
3	स्वरोजगार ऋण अनुदान (एस.सी.डी.सी.)	0.01	0.00	लाभा.	1000	226
4	अन्य	0	0.00			
	योग	**1075.05**	**00.00**			

य. सहरिया आदिम जाति क्षेत्र विकास

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु वर्ष 2018–19 में ` 6238.35 लाख का आवंटन किया गया एवं जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 हेतु ` 7145.84 लाख का बजट आवंटन कर ` 6174. 03 लाख व्यय किया गया है। मदवार आवंटन एवं व्यय की सूचना निम्नांकित तालिका में दर्शाई गई हैः–

(राशि लाखों में)

क.सं.	मद	वर्ष 2018–19		जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	जनजाति कल्याण निधि	5011.33	4332.57	5851.53	4846.30
2	विशेष केन्द्रीय सहायता	3.00	6.86	3.00	2.93
3	संविधान की धारा 275(1)	216.02	194.71	283.31	188.41
4	केन्द्र प्रवर्तित योजना(सी.सी.डी)	1008.00	868.16	1008.00	1136.39
	योग	**6238.35**	**5402.3**	**7145.84**	**6174.03**

सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित योजना में (जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक) की प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं।

जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक जनजाति कल्याण निधि के तहत सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत राशि ` 5851.53 लाख का आवंटन किया गया है जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2019 तक ` 4846.30 लाख व्यय किये जा चुके है। योजनावार विवरण निम्नानुसार है।

1. आश्रम छात्रावास संचालन एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियॉ :–

जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक 29 सहरिया आश्रम छात्रावासों का संचालन कर 1455 छात्र/छात्राओं के विरूद्ध 1425 सहरिया छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया जा गया है। इन छात्र–छात्राओं को छात्रावास की समस्त सुविधा मुहैया कराई गई है। आश्रम छात्रावास संचालन एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में माह दिसम्बर, 2019 तक राशि ` 549.24 लाख व्यय किये जा चुके है। छात्रावासवार छात्र क्षमता एवं प्रवेश का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

2. मुफ्त स्टेशनरी वितरण (कक्षा 1 से 5 तक)

इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक राशि ` 31.61 लाख रूपये व्यय कर 9754 सहरिया छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

3. मुफ्त स्टेशनरी पोशाक एवं स्कूल फीस विवरण (कक्षा 6 से 12 तक)

इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक राशि रूपये 80. 84 लाख रूपये व्यय कर 5384 सहरिया छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

4. प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृति

जनजाति कल्याण निधि योजनान्तर्गत पहली वार योजना ऑनलाईन होने से वर्ष 2018–19 में आवेदन प्राप्त नहीं हुए। इस वित्तीय वर्ष में योजना में आवेदन करने की अंतिम दिनांक 31 जनवरी है। प्राप्त आवेदनकर्ताओं को लाभान्वित कर दिया जावेगा।

5. स्कूली शिक्षा हेतु जनजाति छात्राओं को सहायता

जनजाति कल्याण निधि योजनान्तर्गत पहली वार योजना ऑनलाईन होने से वर्ष 2018–19 में आवेदन प्राप्त नहीं हुए। इस वित्तीय वर्ष में योजना में आवेदन करने की अंतिम दिनांक 31 जनवरी है। प्राप्त आवेदनकर्ताओं को लाभान्वित कर दिया जावेगा।

6. उपस्थिति प्रोत्साहन योजना

इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक राशि 7.62 लाख व्यय कर 1477 राजकीय विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत सहरिया छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

7. महाविद्यालय स्तर के छात्र/छात्रओं को शैक्षणिक उत्प्रेरक

इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक राशि 141.30 लाख व्यय कर 706 महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत सहरिया छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

7. बी.एस.टी.सी. प्रशिक्षण

जनजाति कल्याण निधि योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक राशि 7.55 लाख रूपये व्यय किये जाकर 39 सहरिया प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

8. बी.एड. प्रशिक्षण

जनजाति कल्याण निधि योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक राशि 13.80 लाख रूपये व्यय कर 25 सहरिया प्रशिक्षणाथियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

9. क्षयरोग नियन्त्रण एवं स्वास्थ्यकर्मी योजना

जनजाति कल्याण निधि मद अन्तर्गत संचालित योजना में जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक राशि 59.47 लाख व्यय कर 200 सहरिया स्वास्थ्यकर्मी महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाकर क्षय रोगियों की पहचान कर उपचार करवाया जाकर लाभान्वित किया जा रहा है।

10. आवासीय विद्यालय संचालन

योजनान्तर्गत 7 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जाकर 1099 सहरिया एवं अन्य अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया जाकर इन छात्र–छात्राओं को आवासीय विद्यालय की समस्त सुविधा मुहैया कराई गई है। 7 आवासीय विद्यालयों के

संचालन पर जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2019 तक 672.08 लाख व्यय किये जा चुके है। आवासीय विद्यालयवार विद्यार्थी क्षमता एवं प्रवेश का विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

11. ए.एन.एम. प्रशिक्षण के लिए सहायता

जनजाति कल्याण निधि योजना के अन्तर्गत संचालित योजना में जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक 0.73 लाख व्यय किये जाकर 20 सहरिया ए.एन.एम. प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

12. पी.एम.टी./पी.ईटी./आईआई.टी. आदि की प्रवेश शुल्क परीक्षा कोचिंग

इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक राशि 1.64 लाख व्यय कर अन्य परीक्षा हेतु शिक्षा विभाग में रीट/पटवारी/पुलिस/लिपिक इत्यादि की तैयारी हेतु सहरिया युवकों ने कोचिंग द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जा चुका है।

13. दुर्घटना, बीमारी मृत्यु इत्यादि पर सहायता

जनजाति कल्याण निधि योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक राशि 8.70 लाख व्यय कर 87 सहरिया महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर लाभान्वित किया जा चुका है।

14. सहरिया परिवारों को निःशुल्क घी, तेल एवं दाल वितरण

इस योजना के अन्तर्गत माह जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक इस कार्यालय स्तर से राशि 2330.57 व्यय किया जाकर लगभग 117750 सहरिया परिवारों के सदस्यों को निःशुल्क घी, तेल एवं दाल वितरण कर लाभान्वित किया जा रहा है।

16. खैरवा हेतु सहायता योजना

इस योजना के अन्तर्गत माह जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 में राशि 136.35 लाख व्यय कर खैरवा परिवार के 9060 व्यक्तियों को निःशुल्क घी, तेल एवं दाल का वितरण लाभार्थियों को पोस मशीन द्वारा किया जा रहा है।

विशेष केन्द्रीय सहायता

सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता मद में राशि 3.00 लाख का आवंटन हुआ जिसके विरूद्ध जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक राशि 2.93 लाख रूपये का व्यय किये गये है।

1. स्मार्ट फार्मिंग परियोजना

सहरिया विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित योजना स्मार्ट फार्मिंग/बायफ रिडमा योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक राशि ` 1.43 लाख रूपयें व्यय किये जाकर सहरिया जनजाति के कृषकों को लाभान्वित किया गया है। जिसके अन्तर्गत स्मार्ट फार्मिंग गतिविधि के तहत फल सब्जी आदि के 28 स्थानों पर फार्म स्थापित कर, 78 सहरिया व्यक्तियों को 156 बकरी वितरित एवं 26 एस.एच.जी. का गठन कर 291 सहरियाओं को प्रशिक्षण कराया गया इसके साथ ही प्वाईंट गतिविधि के अन्तर्गत वाटर टेंक एवं स्टेण्ड, बंगला मरम्मत, कॉमन प्लेट फार्म एवं इनफर्टीलिटी केम्प आदि कार्य कर 19 गांवों में सहरिया परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

2. डीपीएस कुओं का विद्युतीकरण पीयूसी पाइपलाईन ड्रीपस्प्रीकलर आदि

सहरिया विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहरिया कृषकों को विद्युत कनेक्शन करने पर राशि रूपये 10000/— एवं मोटर पर राशि रूपये 15000/— प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप दिया जाकर लाभान्वित किया जाता है। माह जनवरी, 2019 से दिसम्बर 2019 तक राशि रूपये 1.50 लाख व्यय कर 15 सहरिया कृषकों को प्रथम किश्त की राशि से लाभान्वित किया है।

भारतीय संविधान की धारा 275(1)

सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत भारतीय संविधान की धारा 275 (1) में राशि 283.31 लाख का आवंटन हुआ जिसके विरूद्ध जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक राशि 188.41 लाख व्यय किया जा चुका है।

1. एकलव्य मॉडल रेजिडेन्सियल स्कूल हनोतिया (शाहबाद) संचालन/संस्थापन

भारतीय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत संचालित एकलव्य मॉडल रेजिडेन्सियल स्कूल हनोतिया (शाहबाद) संचालन/संस्थापन में माह जनवरी, 2019 से

माह दिसम्बर, 2019 तक राशि 193.79 लाख रूपये व्यय कर 350 छात्रों के विरूद्ध 309 छात्रों को विभिन्न प्रकार की आवासीय विद्यालय की सुविधा प्रदान की जाकर लाभान्वित किया जा रहा है।

2. आश्रम छात्रावासों में निवासरत छात्र/छात्राओं को कोचिंग

भारतीय संविधान की धारा 275(1) योजना अन्तर्गत संचालित योजना में माह जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2019 तक राशि 9.66 लाख रूपये व्यय कर 29 सहरिया आश्रम छात्रावासों में निवासरत सहरिया छात्र/छात्राओं को कक्षा 6 से 12 तक अंग्रेजी/गणित/विज्ञान की कोचिंग करा कर लाभान्वित किया गया है।

सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम (सी.सी.डी. योजना)

सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सी.सी.डी. योजना (पी.टी.जी.) में विभिन्न संचालित योजनाओं में राशि 1008.00 लाख का आवंटन किया गया, जिसके विरूद्ध जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक संचालित विभिन्न योजनाओं में 1136.39 लाख व्यय किये जा चुके है।

1. जन–श्री–बीमा योजना

सी.सी.डी योजना अन्तर्गत संचालित योजना जन श्री बीमा योजना के अन्तर्गत 10000 सहरिया आदिम जनजाति के परिवारों का बीमा करवाया गया है। जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक इस योजना में 14.75 लाख व्यय किये जा चुके है।

2. मॉ–बाडी/डे–केयर सेन्टर संचालन

जनजाति कल्याण निधि एवं सी.सी.डी. योजनान्तर्गत संचालित योजना मॉ–बाडी /डे–केयर सेन्टर संचालन योजना में1345.59 लाख व्यय किये जा चुके है। जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक 339 मॉ–बाडी केन्द्रों का संचालन करवाया जा रहा है। जिसमें लगभग 10000 सहरिया छात्र–छात्राओं को समस्त प्रकार की सुविधाऐं उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया जा रहा है।

3. सहरिया स्वास्थ्य सहयोगी

इस योजना के अन्तर्गत 200 सहरिया स्वास्थ्य सहयोगी (महिला) के स्थान पर वर्तमान में 155 सहरिया स्वास्थ्य सहरिया महिला कार्यकर्ता कार्यरत हैं। सहरिया स्वास्थ्य सहयोगी (महिला) कार्यकर्ताओं को प्राथमिक उपचार हेतु दवा का किट भी उपलब्ध

करवाया जाता है। जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक इस योजना में राशि ` 39.18 लाख व्यय किये जा चुके है।

4. ड्राप आऊट सहरिया छात्राओं हेतु शिक्षा

इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 10 की अनुउत्तीर्ण सहरिया छात्राओं को पुनः शिक्षा से जोडने हेतु शिक्षा दिलाई जाती है। जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक इस योजना में 9.87 लाख व्यय किये जाकर 50 सहरिया छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

5. महाविद्यालय छात्रावास भवन निर्माण केलवाडा

सीसीडी योजनान्तर्गत महा विद्यालय छात्रावास भवन का निर्माण कार्यकारी ऐजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाया जा रहा है। स्वीकृत राशि रूपये 200.00 लाख में से माह दिसम्बर, 2019 तक इस योजना में राशि 141.28 लाख व्यय किये जा चुके है।

6. सीताबाडी में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक तीर्थ स्थल का विकास निर्माण

सीसीडी योजनान्तर्गत सीताबाडी में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक तीर्थ स्थल का विकास निर्माण हेतू चार दीवारी निमार्ण/लेट बाथ निर्माण, सार्वजनिक भवन निमार्ण इत्यादि का कार्य कार्यकारी ऐजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाया जा रहा है। स्वीकृत राशि रूपये 305.59 लाख में से माह दिसम्बर, 2019 तक राशि 282.41 लाख व्यय किये जा चुके है।

सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2018–19 की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति (माह मार्च 2019)

(राशि लाखों में)

क. सं.	योजना का नाम	वित्तीय		भौतिक प्रगति		
		वित्तीय प्रावधान	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
जनजाति कल्याण निधि						
1	आश्रम छात्रावास संचालन	725.78	515.96	छात्रावास सं.	29	29
2	आवासीय विद्या संचालन/संस्था.	746.70	677.05	विद्यालय सं.	7	7
3	प्राथमिक स्तर के छात्र–छात्राओं को	60.00	53.48	विद्यार्थी सं.	9000	9754

	शैक्षणिक उत्प्रेरक					
4	माध्यमिक स्तर के छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरक	114.00	88.79	विद्यार्थी सं.	8191	6861
5	महाविद्यालय स्तर के छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरक	120.00	120.00	विद्यार्थी सं.	500	600
6	बी.एड. एवं एस.टी.सी. प्रशिक्षण हेतु सहायता	20.00	19.55	विद्यार्थी सं.	60	61
7	ए.एन.एम. प्रशिक्षण हेतु सहायता	0.50	0.50	विद्यार्थी सं.	20	20
8	दुर्घटना एवं बिमारी में सहायता	10.00	9.30	ला.भा सं.	100	93
9	सहरियाओं का एकीकृत विकास	2200.00	1998.55	ला.भा सं.	116927	116927
10	मॉ–बाड़ी संचालन व नवीन डेकेयर सेन्टर संचालन	1061.83	726.05	मॉ–बाड़ी	184	184
11	क्षयरोग नियन्त्रण एवं स्वास्थ्यकर्मी योजना	85.00	79.93	ला.भा सं.	200	200
12	पीएमटी / पीएटी / आईआईटी कांचिंग	30.00	10.78	विद्यार्थी सं.	43	300
14	आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण	0.01	9.36	भवन सं.	2	2
15	छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण	0.01	0.00	भवन सं.	21	20
16	खैरवा हेतु सहायता योजना	184.14	18.34		10577	10577
17	डे–केयर सेन्टरों भवन निर्माण	0.00	0.00	केन्द्र सं.	40	38
18	मॉ–बाड़ी भवन निर्माण (50) 2011–12	0.00	0.00	भवन सं.	50	46
19	सहरिया आवासों में रसोईघर पक्का फर्श निर्माण	0.00	0.00	भवन सं.	0	0
20	मॉ–बाडी केन्द्रों में किचिंन शेड निर्माण (179)	0.00	0.00	भवन सं.	179	179
21	प्रशिक्षण भ्रमरण सम्मेलन	0.00	4.93			
	योग :–	**5357.97**	**4332.57**			

क्र. सं.	योजना का नाम	वित्तीय		भौतिक प्रगति		
		वित्तीय प्रावधान	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
	विशेष केन्द्रीय सहायता					
1	कृषि प्रर्दशनों से आय में वद्वि	50.00	0.00	ला.स.	2250	0
2	डीपीएस कुओं का विद्युतीकरण पीयूसी पाइपलाईन ड्रीपस्प्रीकलर आदि	0.01	0.00	डी.पी.एस. सं.	not fix	0

3	स्मार्ट फार्मिंग परियोजना	0.00	6.86	ला.स.	not fix	121
4	बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोडना	50.00	0.00	भवन सं.	2	0
5	जलग्रहण संरचनाओं का निर्माण	0.01	0.00	0	0	0
	योग :–	**100.02**	**6.86**		**-**	

	भारतीय संविधान की धारा 275(1)					
1	आवासीय विद्यालय संचालन	175.60	176.30	विद्या.स.	1	1
2	आश्रम छात्रावास/आवासीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को कोचिंग	0.00	18.41	छात्रावास सं.	29	29
	योग :–	**175.60**	**194.71**		-	-

	केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत					
1	जन श्री बीमा योजना	16.50	0.00	ला.स.	15000	0
2	ड्राप आउट सहरिया छात्राओं हेतु शिक्षा	10.00	8.66	छात्रा सं.	50	50
3	सहरिया इनोवेटिव योजना (कोचिंग)	35.00	0.00	ला.स.	not fix	0
4	मॉ–बाडी केन्द्र संचालन	807.91	529.60	केन्द्र सं.	140	140
5	सहरिया स्वास्थ्य सहयोगी	96.21	39.12	ला.स.	200	200
6	मॉनिटरिंग तथा प्रशासनिक व्यय	8.00	4.11	–	not fix	
8	सहरिया आवास निर्माण	0.00	72.20	आवास सं.	466	466
9	सहरिया बंगला निर्माण	0.00	0.00	बंगला सं.	1	1 up
	मॉ–बाडी केन्द्र भवन निमाण (27)08–09	0.00	0.50	भव सं.	0	0
10	आवासीय विद्यालय भवन निर्माण	0.00	43.52	आ.वि.सं.	1	1
11	महाविद्यालय भवन निर्माण केलवाडा	0.00	0.00	भंवन सं.	1	up
12	सीताबाडी मं ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक तीर्थ स्थल का विकास निर्माण	0.00	170.45	विकास	1	up
13	सी.एस.सी.शाहबाद में आवास मरम्मत कार्य	0.00	0.00	भवन	1	
14	एम.टी.सी. केलवाडा एवं रेलावन में भवन निर्माण	95.00	0.00	भवन	2	
	योग :–	**1068.62**	**868.16**			

सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2019–20 की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

(माह अप्रेल, 2019 से दिसम्बर, 2019)

क्र. सं.	योजना का नाम	वित्तीय		भौतिक प्रगति		
		वित्तीय प्रावधान	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
जनजाति कल्याण निधि						
1	आश्रम छात्रावास संचालन	629.58	383.94	छात्रावास सं.	29	29
2	आवासीय विद्यालयों का संचालन	755.35	519.65	विद्यालय सं.	7	7
3	प्राथमिक स्तर के छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरक	60.00	0.00	विद्यार्थी सं.	9000	
4	माध्यमिक स्तर के छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरक	115.00	0.65	विद्यार्थी सं.	8191	12
5	महाविद्यालय स्तर के छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरक	120.00	21.30	विद्यार्थी सं.	500	106
6	माँ–बाड़ी (15) व नवीन डेकेयर सेन्टर (184) संचालन	1100.00	436.45	माँ–बाड़ी	199	199
7	बी.एड. एवं एस.टी.सी. प्रशिक्षण हेतु सहायता	20.00	1.80	विद्यार्थी सं.	60	3
8	पीएमटी/पीएटी/आईआईटी कांचिंग	20.00	1.64	विद्यार्थी सं.	43	
9	क्षयरोग नियन्त्रण एवं स्वास्थ्यकर्मी योजना	85.00	27.01	ला.भा सं.	200	140
10	ए.एन.एम. प्रशिक्षण हेतु सहायता	1.00	0.23	विद्यार्थी सं.	20	10
11	दुर्घटना एवं बिमारी में सहायता	10.00	2.80	ला.भा सं.	100	28
12	सहरियाओं का एकीकृत विकास	2200.00	1667.61	ला.भा सं.	117750	117750
13	खैरवा हेतु सहायता योजना	200.00	118.01	ला.भा सं.	9066	9066
14	आवसीय विद्यालय निर्माण नवीनीकरण	10.00	37.85	भवन संख्या	3	3
15	आवसीय विद्यालय कवाई/कोयला	20.00	264.43			
16	सहरिया परियोजना कार्यालय में बैठक कक्ष निर्माण	0.00	6.78	भवन संख्या	1	1 up
	योग :–	**5345.93**	**3490.15**			

	विशेष केन्द्रीय सहायता					
1	कृषि प्रदर्शनों से आय में वद्वि	0.01		ला.स.	0	0
2	डीपीएस कुओं का विद्युतीकरण पीयूसी पाइपलाईन ड्रीपस्प्रीकलर आदि	25.00	1.50	डी.पी.एस.सं.	not fix	48
3	स्मार्ट फार्मिंग परियोजना	25.00		ला.स.	not fix	
4	बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोडना	50.00		भवन सं.	not fix	0
5	जलग्रहण संरचनाओं का निर्माण	0.01		0	0	0
	योग :–	**100.02**	**1.50**		**-**	

	भारतीय संविधान की धारा 275(1)					
1	आवासीय विद्यालय संचालन	189.20	140.17	विद्या.संख्या	1	1
2	बालिका आवासीय विद्यालय भवन निर्माण किशनगंज	0.00	3.01	विद्या.संख्या	1	1
	योग :–	**189.20**	**143.18**		-	-

क. सं.	**योजना का नाम**	**वित्तीय**		**भौतिक प्रगति**		
		वित्तीय प्रावधान	**व्यय**	**इकाई**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**
	केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत					
1	जन श्री बीमा योजना	16.50	14.75	ला.स.	15000	10000
2	ड्राप आउट सहरिया छात्राओं हेतु शिक्षा	10.00	6.25	छात्रा सं.	50	50
3	सहरिया इनोवेटिव योजना (कोचिंग)	20.00		ला.स.	not fix	
4	डे–केयर केन्द्र संचालन	890.00	369.05	केन्द्र सं.	140	140
5	सहरिया स्वास्थ्य सहयोगी	105.00	25.32	ला.स.	200	155
6	मॉनिटरिंग तथा प्रशासनिक व्यय	8.00	5.22	—	not fix	
8	सहरिया आवास निर्माण	0.00		आवास सं.	466	466
9	सहरिया बंगला निर्माण	0.00		बंगला सं.	13	1 up

10	मॉ–बाडी केन्द्र भवन निमाण (27)08–09	0.00		भव सं.	0	0
11	आवासीय विद्यालय भवन निर्माण	0.00	23.54	आ.वि.सं.	1	1
12	महाविद्यालय भवन निर्माण केलवाडा	0.00	141.28	भंवन सं.	1	up
13	सीताबाडी मं ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक तीर्थ स्थल का विकास निर्माण	0.00	111.96	विकास	1	up
14	सी.एस.सी.शाहबाद में आवास मरम्मत कार्य	0.00		भवन	1	
15	एम.टी.सी. केलवाडा एवं रेलावन में भवन निर्माण	0.01		भवन	2	
	योग :–	**1049.51**	**697.37**			

अध्याय – 4

माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर

संस्थान के उद्देश्य

संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जनजाति विकास के पंचशील के सिद्धांतों को लागू करने हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य संस्थाओं की विभिन्न योजनाओं की क्रियांविती एवं उनके प्रभावों का मूल्यांकन करना, जनजातियों की भावी विकास जरूरतों की पहचान करना एवं राज्य के जनजाति समुदायों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं पर प्रगतिशील अध्ययन एवं चिन्तन को प्रोत्साहित करना है।

संस्थान का प्रशासनिक स्वरूप

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान उदयपुर के नीतिपरक मार्गदर्शन में संस्थान अपनी विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करता है। राज्य स्तर पर प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर से दिशा–निर्देश प्राप्त होते है।

संस्थान के प्रमुख कार्य

1. शोध एवं मूल्यांकन :

(अ) **मूल्यांकन –**

ग्राम पंचायतों में विकास अंतराल विश्लेषण हेतु सर्वे कार्य कराया गया। जिस पर 2.77 लाख रूपये का व्यय 31 दिसम्बर 2019 तक किया गया है।

(ब) जनजाति शोधार्थियों को शोध छात्रवृत्ति :–

जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों को विद्या वाचस्पति उपाधि (Ph.D.) प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति अधिकतम 3 वर्ष के लिये प्रदान की जाती हैं। प्रतिमाह 15,000/– रूपये की दर से त्रैमासिक भुगतान किया जाता है। एवं 2 समान किश्तों में 40,000/– रूपये तक स्टेशनरी एवं कंटीन्जेन्सी पर व्यय किया जाता है।

31 दिसम्बर 2019 तक आठ शोधार्थियों को शोध छात्रवृति राशि 18.65 लाख रूपये का भुगतान किया गया।

2. चिकित्सा एवं तकनीकी (नीट/आईआईटी) प्रवेश परीक्षा पूर्व कोचिंग :

चिकित्सा एवं तकनीकी अध्ययन में प्रवेश हेतु प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से कोचिंग योजना अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र, माडा एवं बिखरी आबादी क्षेत्र के जनजाति छात्र–छात्राओं को चिकित्सा एवं तकनीकी (नीट/आईआईटी) प्रवेश परीक्षा पूर्व कोचिंग, प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से करायी जाती है। 31 दिसम्बर 2019 तक 240 जनजाति छात्र–छात्राओं को लाभान्वित कर राशि रूपये 130.13 लाख का निम्नानुसार व्यय किया गया।

क्र.सं.	क्षेत्र	छात्र संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
1.	अनुसूचित क्षेत्र	27	14.85
2.	माडा	182	99.49
3.	बिखरी	31	16.89
	योग	**240**	**130.13**

3. कार्यशाला एवं प्रशिक्षण

जनजाति विकास से संबंधित विभिन्न समस्याओं एवं नवीन चुनौतियों के संदर्भ में संस्थान की ओर से समय–समय पर कार्यशालाऐं, सेमीनार एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है।

वर्ष 2019–20 में राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने संबंधी उपान्तरण) पेसा अधिनियम की दो – 1. जिला स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण एंव 2. ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें अनुसूचित क्षेत्र के 98 मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया गया। 31 दिसम्बर 2019 तक पेसा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर राशि 0.83 रूपये व्यय की गई।

माडा क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के जनजाति आश्रम छात्रावास अधीक्षकों की 05 कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मद में 31 दिसम्बर 2019 तक राशि रुपये 0.97 लाख का व्यय हुआ।

4. कला एवं संस्कृति

जनजातीय कला एवं संस्कृति को संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन करने की दृष्टि से संस्थान द्वारा समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते है।

आदि महोत्सव 2019 जनजाति उत्सव आदि महोत्सव का आयोजन उदयपुर में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग टीआरआई एवं भारतीय लोक कला मण्डल के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय लोक कला मण्डल के परिसर में 14 जून से 16 जून 2019 तक आयोजित किया गया। जिसमें राशि 15.88 लाख रूपये का व्यय किया गया एवं 368 जनजाति कलाकारों को लाभान्वित किया गया।

सहरिया जनजाति लोकनृत्य स्वांग का
दि. 14 से 16 जून 2019, लोककला मण्डल, उदयपुर में प्रस्तुतिकरण

वर्ष 2019–20 में आठ पारम्परिक नृत्य नाटिका ''गवरी'' का आयोजन उदयपुर शहर के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर किया गया। जिस पर राशि 4 लाख रूपये व्यय किये गये।

दिनांक 4 सितम्बर 2019 को अति.आयुक्त महोदया श्रीमती अंजली राजोरिया द्वारा फतेहसागर पाल, उदयपुर पर आयोजित गवरी के मुख्य कलाकारों का स्वागत

दिनांक 4 सितम्बर 2019 को फतेहसागर पाल, उदयपुर पर गवरी प्रस्तुतिकरण

पंचम राज्य स्तरीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन उदयपुर में किया गया जिसमें 14 फोटोग्राफरों को सम्मानित किया गया। नकद प्रोत्साहन राशि 1.50 लाख रूपये व्यय किये गये।

सहरिया एवं मीणा जनजाति के पारम्परिक भित्तीचित्रण एवं माण्डना कला की कार्यशाला का आयोजन क्रमशः शाहबाद जिला बारां एवं खातौली जिला टोंक में आयोजित किये गये। इसमें 40 कलाकारों द्वारा पारम्परिक कला एवं माण्डना चित्रण को कैनवास पर उंकेरा गया।

दिनांक 28 से 30 मई 2019 को खातौली जिला टोंक में आयोजित माण्डना कला कार्यशाला का शुभारम्भ

दिनांक 28 से 30 मई 2019 को खातौली जिला टोंक में माण्डना कला तैयार करती महिला

''नेशनल ट्राईबल क्राफट मेला'' (दिनांक 23 से 29 नवम्बर 2019 तक) में भुवनेश्वर (उडीसा) में 5 जनजाति कलाकारों की हस्तकलाओं की प्रदर्शनी लगवाई गई।

शिल्पग्राम, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर में ट्राईफेड इण्डिया द्वारा आयोजित दिनांक 9 से 13 नवम्बर 2019 ''नेशनल ट्राईबल क्राफट मेला'' **आदि महोत्सव–2019** में 34 जनजाति कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ जिसमें कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (20 कलाकार) पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ (14 कलाकार) ने भाग लिया। जिनके द्वारा पारम्परिक गैर, घूमरा, शेर, शादि की बिन्दोली इत्यादि नृत्यों का प्रस्तुतिकरण किया गया।

दिनांक 9 से 13 दिसम्बर 2019 को जयपुर में आयोजित आदि महोत्सव – 2019 में भाग लेने वाले कलाकारों का सम्मान

दिनांक 9 से 13 दिसम्बर 2019 को जयपुर में आयोजित आदि महोत्सव – 2019 में पीपलखूंट, प्रतापगढ़ के जनजाति कलाकार प्रस्तुति देते हुए

विश्व आदिवासी दिवस दिनांक 9 अगस्त 2019 बेणेश्वर साबला, डूंगरपुर में आयोजित समारोह में उदयपुर जिले के जनजाति कलाकारों द्वारा गवरी नृत्य नाटिका एवं बारां जिले के सहरिया जनजाति कलाकारों द्वारा स्वांग नृत्यों की प्रस्तुति करवाई गई।

5. अन्य कोचिंग

संस्थान में अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति छात्र/छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये कोचिंग कक्षाएं आयोजित की जाती है। फाउण्डेशन कोर्स एवं पुस्तकालयाध्यक्ष परीक्षा की कोचिंग करवाई गई। जिसमें 63 जनजाति छात्र/छात्राओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। जिस पर राशि 1.65 लाख रूपये 31 दिसम्बर 2019 तक व्यय किये गये।

6. पुस्तकालय एवं प्रकाशन :

(अ) **पुस्तकालय :–** संस्थान के पुस्तकालय में जनजाति समुदाय से संबंधित पुस्तकों/ ग्रन्थों का समृद्ध संग्रहण है। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर 16225 संदर्भ ग्रंथ व पुस्तकें उपलब्ध है। पुस्तकालय के साथ संचालित वाचनालय में 135 पत्र–पत्रिकाएँ प्राप्त होती हैं।

(ब) प्रकाशन सहायता : – प्रकाशन सहायता योजनान्तर्गत मौलिक पाण्डुलिपियों एवं शोध अध्ययन के प्रकाशनार्थ सहायता राशि 20,000/–रूपये प्रदान की जाती है। 31 दिसम्बर 2019 तक कुल 11 मौलिक पाण्डुलिपियाँ प्राप्त हुई है। प्रकाशन सहायता प्रक्रियाधीन है।

(स) **विभागीय प्रकाशन :–** संस्थान की ओर से आईएसएनएन पंजीकृत शोध पत्रिका **''ट्राईब''** का प्रकाशन करवाया जाता है। 31 दिसम्बर 2019 में **''ट्राईब''** खण्ड 50 (2–4) खण्ड 51(1) जनजाति मेले एवं त्यौहार विशेषांक का प्रकाशन करवाया गया। इस मद में राशि रुपये 0.48 लाख रूपये का व्यय किया गया।

अध्याय–5

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि0, उदयपुर

राजस्थान के दक्षिण भाग में रह रहे आदिवासियों के विकास एवं कल्याण हेतु वर्ष 1976 में सहकारी अधिनियम 1965 के अधीन राजस संघ को शीर्ष संस्था के रूप में पंजीकृत कराकर स्थापना की गयी। एक वर्ष बाद ही सहरिया परियोजना क्षेत्र भी कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया गया। जनजाति उपयोजना क्षेत्र की 37 एवं सहरिया क्षेत्र की 2 कुल 39 पंचायत समितियों में तथा क्षेत्र में कार्यरत लेम्पस के माध्यम से एवं सीधे राजस संघ द्वारा अपने उद्धेश्य की पूर्ति कर रहा है। संक्षेप में राजससंघ निम्नांकित उद्धेश्यों की पूर्ति के लिये कार्यरत हैं।

राजस संघ की स्थापना के उद्धेश्य

1– संचित सेवाऐं उपलब्ध कराना।

2– ऋण–ग्रस्तता से राहत दिलाने एवं शोषण से बचाने।

3– आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराना तथा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जनजातियों की निर्धनता को दूर करना।

4– लेम्पस के माध्यम से कृषि और लघु वन उपजों का सग्रहण, विपणन तथा परिशोधन करना एवं सहायता परामर्श देना, वित्त पोषण करना।

5– खाघान्न, उपभोक्ता माल, बीज–खाद, कृषि आदानों के लिए राज्य सरकार या राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाओं, स्वशासी निकायों के एजेन्ट के रूप में कार्य करना।

राजस संघ का प्रशासकीय संगठन एवं स्वरूप

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राज0,जयपुर के आदेश क्रमांक प.94(5)/नियम /76/पार्ट–2/ दिनांक 4.12.2004 द्वारा आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि0, उदयपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया है।

राजससंघ का प्रधान कार्यालय, प्रतापनगर, उदयपुर में स्थित है तथा राजससंघ प्रधान कार्यालय में प्रबन्ध निदेशक, महाप्रबन्धक एवं मुख्य लेखाधिकारी एवं अन्य अधिकारी पदस्थापित है। राजससंघ में जिला स्तर पर 4 क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं 2 सहायक क्षेत्रीय

प्रबन्धक कार्यालय यथा– क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं बांरा एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय प्रतापगढ़ एवं आबूरोड़ में अवस्थित है।

राजस संघ में दिनांक 31.12.2019 तक कुल 162 स्वीकृत पद है के विरूद्व 53 कार्मिक कार्यरत है। इसमें से 45 राजससंघ में तथा 8 कार्मिक जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अधीन संचालित आश्रम छात्रावासों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है एवं 109 पद कार्मिकों की सेवानिवृति/निधन से रिक्त हुए है।

राजससंघ की सदस्यता

राजससंघ के कुल 395 सदस्य है जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

अ– श्रेणी सदस्य	391 प्राथमिक सहकारी समिति (320 लेम्पस, 71 अन्य)
ब– श्रेणी सदस्य	1 बैंक ऑफ बडौदा
स–श्रेणी सदस्य	1 राजस्थान सरकार
द– श्रेणी सदस्य	2 शीर्ष सहकारी संस्था (राजफेड, कोनफेड)
योग–	395

राजससंघ द्वारा संचालित योजनाऐं

1. मत्स्य योजनाऐं

1.1. मत्स्य बीज (स्पान) उत्पादन, एवं विभिन्न तालाबों में संचय

राजससंघ की मत्स्य बीज हेचरी जयसमन्द पर वर्ष 2016–2017 में 263.35 लाख स्पान, वर्ष 2017–2018 में 163.50 लाख स्पान, वर्ष 2018–2019 में 208.50 लाख स्पान व वर्ष 2019–2020 में (माह दिसम्बर 2019 तक) 73.00 लाख स्पान उत्पादित कर इन वर्षो में क्रमशः 600, 140, 343 व 278 जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को बीज वितरण कर लाभान्वित किया गया।

1.2. समेकित मत्स्य विकास परियोजनाः

राजससंघ द्वारा उपयोजना क्षेत्र के बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं उदयपुर जिलों में समेकित मत्स्य विकास परियोजना के अन्तर्गत छोटे जलाशयों में मछली पालन के माध्यम से स्थानीय जनजाति परिवारों को रोजगार का अतिरिक्त साधन उनके घर के समीप उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त योजना बांसवाड़ा जिले में वर्ष 2006–2007 व डूंगरपुर तथा उदयपुर जिलों में 2007–2008 से तथा प्रतापगढ़ जिलें में वर्ष 2014–15 से संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत अब तक कुल 194

जलाशयों के 2031 हेक्टर जल क्षेत्र में मछली पालन का कार्य किया जा रहा है। इस गतिविधि से 1917 स्थानीय जनजाति परिवार जुड़े हुए है।

योजना अन्तर्गत वर्ष 2016–2017 में 486 जनजाति परिवारों को मत्स्य बीज वितरण, 560 मछुआरों को नाव–जाल वितरण व 44 जलाशयों में मत्स्य तकनीकी उन्नयन के संबंध में पानी मिट्टी गुणवत्ता परीक्षण कर 538 जनजाति परिवारों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2017–2018 में 136 जनजाति परिवारों को को मत्स्य बीज व 212 जनजाति परिवारों को नाव–जाल वितरण कर इनके मत्स्याखेट कार्य को सुदृढ किया गया। वर्ष 2018–2019 के दौरान योजना अनुसार कुल 336 जनजाति मछुआरों को 48.00 लाख स्पान, 10.43 लाख फ्राई, 3.43 लाख एडवान्स फ्राई व 1.14 लाख आंगुलिक एवं वर्ष 2019–2020 के दौरान अब तक कुल 204 जनजाति मछुआरों को 6.73 लाख फ्राई, 3.54 लाख एडवान्स फ्राई व 0.08 लाख मत्स्य बीज आंगुलिक वितरित कर लाभान्वित किया गया। इसके साथ ही पांच जनजाति मछुआरा समिति के पदाधिकारियों को फिशकोपफेड, नई दिल्ली से समिति लीडरशीप प्रशिक्षण दिलवाया गया। वर्तमान में योजना कार्य प्रगति पर है।

योजना अन्तर्गत विगत तीन वर्षो की वित्तीय प्रगति निम्नानुसार हैः–

(राशि रूपये लाखों में)

क्र. स.	गतिविधि	वर्ष			
		2016–2017	2017–2018	2018–2019	2019–2020 टेन्टेटिव
1.	समेकित मत्स्य विकास परियोजना	51.56	36.62	4.97	6.44

मत्स्य विकास कार्यक्रम (विशेष केन्द्रीय सहायता)

1.3. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में मत्स्य गतिविधि को बढावा दिए जाने के लिए राजससंघ को भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता मद में मत्स्य विकास कार्यक्रम के लिए कुल राशि राशि रूपये 10.00 करोड़ प्राप्त हुए जिसके अन्तर्गत वर्ष 2016–2017 के दौरान महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की मत्स्य हेचरी विकास एवं सुदृढीकरण, जयसमन्द पर राजससंघ की मत्स्य हेचरी पर

एक बीज पालन पोण्ड निर्माण व 374 जनजाति व्यक्तियों को विभिन्न मत्स्य प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 2017–2018 के दौरान जयसमन्द पर जनजाति आवासीय मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र का भवन निर्माण, चार खुदरा मछली बिक्री दुकान, तेरह बूथ निर्माण, 10 जलाशयों पर दस फिश हेण्डलिंग शेड निर्माण, राजससंघ की जयसमन्द हेचरी पर हेचरी शेड आधुनिकीकरण व भवन मरम्मत निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। इसके साथ ही दो विकेन्द्रीकृत मत्स्य बीज पालन नर्सरी स्थापना, 104 गठित नवीन मत्स्य सहकारी समितियों में से 54 नवीन समितियों का पंजीकरण कार्य पूर्ण किया गया, तथा 60 जनजाति व्यक्तियों को मत्स्य प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

इसी योजना की निरन्तरता में वर्ष 2018–2019 के दौरान पांच स्थलों पर विकेन्द्रीकृत मत्स्य बीज पालन नर्सरी स्थापना कार्य, कुल सात नर्सरी लाभान्वितों को स्पान मत्स्य बीज वितरण व 50 जनजाति व्यक्तियों को मत्स्य प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्तमान में योजना कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2019–2020 में योजना अन्तर्गत सात जलाशयों पर 7 फिश हेण्डलिंग शेड निर्माण, दो मत्स्य बीज पालको को 14.00 लाख स्पान मत्स्य बीज वितरण एवं पांच दीर्घ मौसमी तलाइयों के 30 मछुआरों को विभिन्न अवस्थाओं के मत्स्य बीज उपलब्ध कराया जाकर लाभान्वित किया गया।

योजना अन्तर्गत विगत तीन वर्षो की वित्तीय प्रगति निम्नानुसार हैः–

(राशि रूपये लाखों में)

क्र. स.	गतिविधि	वर्ष			
		2016–2017	2017–2018	2018–2019	2019–2020 (टेन्टेटीव)
1.	मत्स्य विकास कार्यक्रम (विशेष केन्द्रीय सहायता)	152.08	186.19	25.09	32.82

2 राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम (SCA)

2.1 वर्ष 2016–2017 में विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत कृषि विकास परियोजना के क्रियान्वयन के लिये जनजाति क्षेत्र में जनजाति के बी.पी.एल. कृषकों को बीज

मिनीकिट्स वितरण के लिये जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर से राजससंघ को राशि रूपये 8.28 करोड प्राप्त हुए है। कृषि विभाग के माध्यम से उपयोजना क्षेत्र में निवास करने वाले जनजाति के बी.पी.एल. कृषकों को वित्तीय वर्ष 2017–2018 में खरीफ फसल में कपास, उडद, सोयाबीन के 84450 एवं रबी फसल में चना एवं गेहूं के 40800 मिनीकिट्स (कुल मूल्य 7.74 करोड) का निःशुल्क वितरण कर 125250 जनजाति कृषकों को लाभान्वित किया गया।

3 जनजाति स्वरोजगार योजना (SCA)

3.1 विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत जनजाति स्वरोजगार योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–2016 में स्वीकृत राशि रूपये 200.00 लाख के विरूद्ध वर्ष 2016–2017 एवं 2017–2018 में 1900 बेरोजगार बी.पी.एल. जनजाति युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के लिये विभिन्न बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाकर राशि रूपये 190.00 लाख का अनुदान उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2018–2019 तथा 2019–2020 में इस योजना में कोई राशि प्राप्त नही हुयी है।

व्यावसायिक गतिविधियॉं–

1. उपभोक्ता सामग्री वितरण

राजससंघ द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिला रसद विभाग द्वारा संबंधित जिलें में आवंटित तहसील क्षेत्र में नियन्त्रित खाद्यान्न गेहूॅं, चावल व चीनी एवं अनियन्त्रित उपभोक्ता सामग्री के अन्तर्गत नमक एवं चाय वितरण के थोक विक्रेता के रूप में कार्यरत हैं। विगत तीन वर्षो में निम्नानुसार व्यवसाय किया गया है–

(राशि रूपये लाखों में)

क्र.स.	गतिविधि	वर्ष			
		2016–2017	2017–2018	2018–2019	2019–2020 (टेन्टेटीव)
1.	उपभोक्ता सामग्री वितरण	3409.64	2063.40	1378.35	2616.80

2. कृषि उपादान वितरण

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में राजससंघ द्वारा कृषि आदान वितरण करता है। विगत तीन वर्षो में निम्नानुसार व्यवसाय किया गया है।

(राशि रूपये लाखों में)

क्र.स.	गतिविधि	वर्ष			
		2016—2017	2017—2018	2018—2019	2019—2020 (टेन्टेटीव)
1.	कृषि आदान वितरण	524.42	1400.00	392.24	309.92

3. लघु वन उपज

जनजाति उपयोजना एवं सहरिया क्षेत्र में उपलब्ध होने वाली लघु वन उपजों में मुख्य रूप से रतनजोत, पुवाड़ कणज़ धतूरी, महुआ, पुवाड़, डोलमा, शहद इत्यादि का संग्रहण अधिकृत लघु वन उपज अभिकर्ताओं के माध्यम से करवाता है। विगत तीन वर्षो में निम्नानुसार लघु वन उपज का संग्रहण किया गया है:—

(राशि रूपये लाखों में)

क्र. स.	गतिविधि	वर्ष			
		2016—2017	2017—2018	2018—2019	2019—2020 (टेन्टेटीव)
1.	लघुवन उपज	42.47	21.37	10.17	3.85

राज्य में पीसा एक्ट लागू होने के पश्चात राजससंघ का लधु वन उपज संग्रहण का एकाधिकार समाप्त हो गया है तथा क्षेत्र में लधु वन उपज मण्डी खुलने व अन्य योजनाओं प्रारम्भ होने से लधु वन उपज राजससंघ को अल्प मात्रा में ही प्राप्त हो रही है।

अध्याय–6

स्वच्छता, जल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना, उदयपुर

(स्वच्छ परियोजना)

1. स्वास्थ्यकर्मी योजना

अनुसुचित क्षेत्र मे स्वच्छ द्वारा तपेदिक नियन्त्रण कार्यक्रम वर्ष 1996–97 से क्रियान्वित किया जा रहा है। संभावित क्षय रोगियों की जाचं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक के द्वारा की जाती है तथा डॉट्स पद्धति से उपलब्ध कराई गई दवा स्वच्छ परियोजना के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता (स्वास्थ्यकर्मी) द्वारा रोगी को अपनी उपस्थिति में दी जाती है। दवा के अतिरिक्त प्रत्येक क्षय रोगी को उपचार अवधि में पोष्टिक आहार के रूप में 3 कि.ग्रा. सत्तु प्रतिमाह दिया जाता है।

जनजाति क्षेत्र में वर्तमान में स्वच्छ परियोजना द्वारा क्षय रोग नियंत्रण योजना अन्तर्गत जनजाति क्षेत्रीय विकास मद में ऐसे गांव एवं फलों में जहां पर चिकित्सा सुविधा का अभाव है स्वास्थ्यकर्मी महिला कार्यरत है। स्वास्थ्यकर्मी का चयन गांव वालो द्वारा उनके गांव की ऐसी महिला जो गांव में जानकारी रखती है तथा गांव वाले उससे परिचित है का किया जाता है। ये महिला क्षय रोग के संभावित रोगी को चिन्हित कर पास के चिकित्सा केन्द्र पर जांच हेतु ले जा कर बलगम जांच करवाती है तथा क्षय रोग प्रमाणित होने पर रोगी को देखरेख में डॉटस पद्धति से उपचार करवाती है। साथ ही स्वास्थ्यकर्मी गांव में अन्य चिकित्सा संबंधी सेवाओं में ए.एन.एम. का सहयोग करती है जैसे कुपो ाण, परिवार कल्याण, प्राथमिक उपचार, टिकाकरण कार्यक्रम, यूनिसेफ के माध्यम से मातृ शिशु एवं बाल पोषण (एम.आई.वाई.सी.एन) कार्यक्रम एवं आदि।

मातृ शिशु एवं बाल पोषण (एम.आई.वाई.सी.एन) कार्यक्रम

मातृ पोषण हेतु सामुदाय आधारित रणनीति के अन्तर्गत स्वच्छ परियोजना एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में उदयपुर, आबूरोड, डूंगरपुर, बॉसवाडा में जनजाति बाहुल्य चयनित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओ के माध्यम से गर्भावस्था से लेकर बच्चे की दो वर्ष तक की आयु तक उनकी बेहतर देखभाल कर सके।

- गर्भवती महिला एवं बच्चे का 1000 दिवस के दौरान स्वास्थ्य जाचं, वजन, आहार व विशेष परामर्श।
- महिला के गर्भावस्था के 9 माह या 270 दिवस।
- बच्चे के जन्म से 2 वर्ष या 730 दिवस।

मासिक सूचना :

स्वच्छकर्मी अपने क्षेत्र के सभी गर्भवती, धात्री व बच्चों की मासिक सूचना 1000 दिवस रजिस्टर/कार्ड में भरकर ब्लॉक समन्वयकों को उपलब्ध करवा रही है तथा ब्लॉक समन्वयक, कार्यक्रम प्रभारी के द्वारा परियोजना अधिकारी व यूनिसेफ सलाहकार को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में मासिक रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जा रही है।

क्र.सं.	जिला	कुल गांवो की संख्या	वर्तमान में कार्यरत स्वास्थ्य सहयोगी महिला कार्यकर्ता
1	उदयपुर	1370	1325
2	डूॅगरपुर	979	840
3	बांसवाड़ा	1487	1372
4	सिरोही	70	66
5	प्रतापगढ़	563	448
	योग	**4469**	**4051**

वर्तमान में जनजाति क्षेत्र में कुल 4051 स्वास्थ्यकर्मी विभिन्न जिलों में कार्यरत है तथा सहरिया क्षेत्र में कुल 315 स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत है। स्वास्थ्यकर्मी को योजना अनुमोदन अनुरूप मासिक निर्धारित मानदेय 2200/– एवं यात्रा भत्ता रूपये 500/– के रूप में दिये जाते है।

माह दिसम्बर 2019 तक कुल 4340 टी.बी रोगी का उपचार पूर्ण कर लिया गया है।

2. माँ–बाड़ी डे–केयर केन्द्रों एवं

माँ–बाड़ी केन्द्रों का संचालन

यह योजना स्वच्छ परियोजना द्वारा वर्तमान में अनुसूचित जनजाति/कथौड़ी एवं सहरिया परिवारों के ऐसे बालक/बालिका जो शिक्षा से वंचित है के लिये संचालित की जा रही है।

जिला उदयपुर, डूँगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं सिरोही क्षेत्र में निवासरत जनजाति समुदाय के बालक बालिकाऐं जो आयुवर्ग 6 से 12 के है जिस क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा (मां–बाड़ी केन्द्र पर कक्षा पहली एवं चौथी की शिक्षा) हेतु 1 से 2 कि.मी. पैदल चल कर जाना होता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे बालकों को उन्हीं के फले अथवा गांव में मां–बाड़ी केन्द्र संचालित कर शिक्षा से जोड़ना है एवं इन समुदाय की महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जागरूकता पैदा करना है। इन मां–बाड़ी केन्द्रों में शिक्षाकर्मी का कार्य करने वाले युवक एवं युवती जनजाति समुदाय के ही होते है। प्रत्येक केन्द्र पर 30 जनजाति बालक/बालिकाओं को नामांकित कर बच्चों को निःशुल्क दोपहर का भोजन एवं एक समय का अल्पाहार, गणवेश, पाठ्य सामग्री इत्यादि उपलब्ध करायी जाती है। जनजाति समुदाय के बालक/बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना तथा जनजाति परिवारों के बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाना इस योजना का मुख्य उद्वेश्य है। यूनिसेफ के माध्यम से जनजाति क्षेत्र में मॉ बाडी संचालन की कार्ययोजना अन्तर्गत यूनिसेफ द्वारा मां बाडी शिक्षा सहायोगियों को नवीन पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षा प्रदाय करने की प्रणाली में दक्ष करने की दृष्टि से प्रशिक्षण प्रदान किये जा रहे है। इस क्षेत्र में उदयपुर, डूंगरपुर, बॉसवाडा, आबूरोड के 40 शिक्षाकर्मियों को दक्ष प्रशिक्षक भी बनाया गया है एवम् इसी के साथ शिक्षा विभाग के दक्ष शिक्षकों को भी विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरान्त स्वच्छ परियोजना के दक्ष प्रशिक्षक एवं शिक्षा विभाग के चयनित अध्यापकों के माध्यम से नियमित रूप से ब्लॉक स्तर पर अन्य स्वच्छ शिक्षा सहायोगियों को प्रतिमाह पुननिरिक्षण प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

योजना का उद्देश्यः

1. प्रत्येक मॉ–बाड़ी केन्द्र पर जनजाति/ कथौड़ी एवं सहरिया समुदाय के 6 से 12 र्वा के शिक्षा से वंचित 30 बालकों को प्रारम्भिक शिक्षा हेतु नामांकित करना तथा इसमें बालिकाओं को वरीयता प्रदान करना।
2. इन बालक–बालिकाओं को मॉ–बाड़ी केन्द्र पर नाश्ता एवम् पो ाक भोजन उपलब्ध कराना।
3. प्रत्येक बालक–बालिकाओं को पौशाक, जूते, मौजे, टाई, बेल्ट तथा स्वेटर उपलब्ध कराना।
4. खेतीहर मजदूरों के बच्चों का पलायन रोकना तथा अनवरत अध्ययन में सलंग्न करना।
5. अध्ययनरत् बच्चों की माताओं को मॉ–बाड़ी की गतिविधियों से जोड़ना :

–बच्चों के भोजन तैयार करने के लिए 2 जनजाति/ कथौड़ी महिलाओं को प्रत्येक महीने बारी–बारी से दायित्व सौपना और मानदेय देना एवम् स्वयं भोजन करना और बच्चों को भोजन कराना।

–जनजाति/कथौड़ी महिलाओं को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से मॉ–बाड़ी केन्द्र के साथ जोड़ना।

–स्वास्थ्य, स्वच्छता के उत्थान हेतु राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करना।

6. मॉ–बाड़ी केन्द्र जनजाति समुदाय द्वारा चयनित ग्राम विकास समिति के माध्यम संचालित किया जा रहा है। समिति द्वारा ही शिक्षाकर्मी की नियुक्ति की जाती है, जो कि समुदाय के ही स्थानीय बेरोजगार शिक्षित (आठवीं और उच्च शिक्षित) युवक–युवतियों को अध्यापन हेतु प्राथमिकता दी जाती है।

इस प्रकार इस योजना में आदिवासी, सहरिया, कथौड़ी समुदाय के जनजाति परिवारों के बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाकर शिक्षा के पथ पर अग्रसर किया जा सकेगा। आदिवासी परिवारों के बच्चों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।

इन केन्द्रों पर बालको को प्रातः नाश्ता, दोपहर का भोजन, पाठ्य सामग्री, विद्यालय बैग, गणवेश, जूते, मोज, टाई, ऊनी जर्सी एवं अन्य केन्द्र पर खेल सामग्री इत्यादि निशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्वेश्य क्षेत्र के बालको को कुपो ाण से मुक्ति दिलाना एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना एवं शिक्षा से जोड़ना है।

माह दिसम्बर 2019 तक 807 डे–केयर एवं 1748 मॉ–बाडी केन्द्रो का संचालन स्वच्छ परियोजना द्वारा ग्राम विकास समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। जिसमें कुल लगभग 76650 बालक/बालिकाऐं लाभान्वित हो रहे है।

3. मॉँ–बाडी केन्द्र एवं भवन निर्माण –

जनजाति क्षेत्र उदयपुर, डूॅंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ में पूर्व में स्वीकृत वर्ष 2017–18 तक सभी मां बाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रति मॉ बाडी केन्द्र निर्माण हेतु 6.60 लाख की राशि स्वीकृत की गयी है। भवन का निर्माण ग्राम विकास समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें स्वच्छ परियोजना द्वारा तकनिकी सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है। ग्राम विकास समिति द्वारा किये कार्य का वास्तविक भुगतान किया जाता है।

4. डाईनिंग हॉल निर्माण –

जनजाति उपयोजना क्षेत्र उदयपुर, आबूरोड़, डूॅंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ में संचालित छात्रावासों में नवीन डाईनिंग हाल की जनजाति विकास विभाग द्वारा योजना 275(1) अन्तर्गत 46 कार्य स्वीकृत किये गये समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके है।

5. खेल सुविधा विकास –

जनजाति क्षेत्र उदयपुर, आबूरोड़, डूॅंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ योजना 275(1) अन्तर्गत 2015–16 से 103 छात्रावासों में खेल सुविधा विकास कार्य स्वीकृत किये गये जिनमें से वर्तमान में लगभग 85 कार्य पूर्ण हो चुके है, शेष खेल सुविधा विकास हेतु आवश्यक जमीन उपलब्ध नही होने के करण प्रारम्भ नही किये गये।

6.सामुदायिक भवन निर्माण

जनजाति उपयोजना क्षेत्र/गैर उपयोजना क्षेत्र के जनजाति व्यक्तियों को उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सामूहिक कार्यो, ग्राम सभाओं के आयोजन एवं अन्य सामाजिक कार्यो के लिए सुविधाजनक स्थल उपलब्ध कराने हेतु सामुदायिक भवन निर्माण कराया जाता है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 से 2018–19 तक कुल 29 सामुदायिक भवन निर्माण की स्वीकृति स्वच्छ परियोजना को कार्यकारी ऐजेन्सी हेतु जारी की गई।

7. उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण –

जनजाति क्षेत्र उदयपुर, डूॅंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ योजना एस.सी.ए मद अन्तर्गत कुल 17 उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण की स्वीकृति जारी की गई थी जिसके विरूद्व 12 केन्द्रो का निर्माण पूर्ण कर चिकित्सा विभग को उपलब्ध करवाया जा चूका है। शेष 5 केन्द्रो का निर्माण प्रगति पर है क्यो कि इनकी जमीनों का आवंटन विलम्भ से होने के कारण नही करवाया जा सका।

8. हेण्डपंप एवं कुंआ निर्माण –

जनजाति क्षेत्र बांसवाड़ा जिले में जनजाति कल्याण निधी मद अन्तर्गत 2 कुआं निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

इस प्रकार हेण्डपंप निर्माण में विशे ा केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत 16 हेण्डपंप निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

9. कथौडी विकास कार्यक्रम –

कथौडी जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ करने हेतु स्थाई रोजगार से जोडने के लिये युवक/युवतियों हेतु नई की दुकान, कॉटेज उद्योग, वाहन चालक प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम, कारपेन्टर प्रशिक्षण, बेण्ड सेट प्रशिक्षण आदि मुहैया कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कथौडी बस्ती में कथौडी आवास, हेण्डपम्प स्थापना, सामुदायिक शौचालय, नाली निर्माण आदि सुविधाऐं मुहैया कराई जा रही है।

10. जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं बंद पड़ी जलोत्थान सिंचाई

योजनाओं का पुनरोद्धार

जनजाति उपयोजना एवं अन्य क्षेत्र के नदी नाले एवं बांधों के बैक वाटर में उपलब्ध पानी का सिंचाई हेतु उपयोग करने के उद्देश्य से इस योजना में विद्युत/सौलर मोटर द्वारा पानी को लिफ्ट किया जाकर सिंचाई क्षेत्रफल में वृद्धि की जाती हैं। योजना का सर्वेक्षण किया जाकर लागत तखमीने तैयार किए जाते है । लागत का 10 प्रतिशत भाग नकद/श्रम के रूप में लाभान्वितों द्वारा वहन किया जाता है एवं 90 प्रतिशत राशि अनुदान के रुप में टीएडी द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। योजना का क्रियान्वयन मुख्यतयाः स्वच्छ परियोजना द्वारा तकनीकी दक्ष अधिकारियों की देखरेख में किया जा रहा है। क्रियान्यन में लाभान्वित काश्तकारों की समिति की भी सहभागिता रहती है। योजना पूर्ण होने पर तीन वर्षो तक कार्यकारी एजेन्सी द्वारा लाभान्वित काश्तकारों की कमेटी के

माध्यम से संचालन किए जाने का प्रावधान रखा गया है। तत्पश्चात योजना लाभान्वितो की समिति को संचालन हेतु सौंप दी जायेगी। विगत वर्षो में निर्मित परन्तु बंद सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का पुनरोद्धार भी इस योजनान्तर्गत उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किया जा रहा है। वर्ष 2016—17 से वर्ष 2018—19 से 109 जलोत्थान सिंचाई योजना सोलर पम्प आधारित स्वीकृत की गई थी।

11. हॉस्टल मरम्मत कार्य

जनजाति क्षेत्र उदयपुर, आबूरोड़, डूॅंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ योजना 275(1) अन्तर्गत 2017—18 से 2018—19 तक डूंगरपुर जिले में 6, प्रतापगढ जिले में 20, बांसवाडा में 24, उदयपुर में 11 तथा आबूरोड में 10 छात्रावासो में छात्रावास मरम्मत की स्वीकृति जारी की गई। वर्ष 2018—19 में स्वीकृत छात्रावासो का कार्य किया गया है।

12. अन्य मरम्मत कार्य

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा स्वच्छ परियोजना को डूॅंगरपुर में 2, उदयपुर में 12, सिरोही में 7 अन्य कार्यो की स्वीकृति जारी की गई, जिसमें से 15 कार्य पूर्ण किये जा चुके है। शेष कार्य प्रगति पर है।

अध्याय – 7

अनुसूचित जनजातियों / अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित अधिनियम / नियम / परिपत्र

1. वनाधिकार अधिनियम, 2006 : राजस्थान में क्रियान्वयन एवं प्रगति

➢ राजस्थान : सामान्य जानकारी

राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हैं। इसमें से 32,550 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र हैं जो कि 9.51 प्रतिशत हैं। राजस्थान राज्य में वन क्षेत्र मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में विद्यमान हैं। इसके अन्तर्गत उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, चित्तौड़गढ़, व बांरा जिले आते हैं। इसके अतिरिक्त अलवर तथा सवाई माधोपुर में भी पर्याप्त वन क्षेत्र हैं। उक्त 9 जिलों के 60,06,221 हैक्टर कुल भू–भाग में से 15,78,101 हैक्टर पर वन अवस्थित हैं जो कि लगभग 26.3 प्रतिशत हैं।

➢ वनाधिकार अधिनियम, 2006 : सामान्य जानकारी

वन में निवास करने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के, जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, किन्तु उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है, वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और निहित करने; वन भूमि में इस प्रकार निहित वन अधिकारों को अभिलिखित करने के लिए संरचना का और वन भूमि के संबंध में अधिकारों को ऐसी मान्यता देने ओर निहित करने के लिये अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति का उपबंध करने के लिए भारत सरकार ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 पारित किया गया, जो **दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 से लागू हुआ।**

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियम, 2008 जारी किये गये जो **दिनांक 1 जनवरी, 2008 को राजपत्र में प्रकाशित हुए।**

तदुपरान्त विभिन्न राज्यों एवं स्वयंसेवी संगठनो के सुझाव प्राप्त होने पर इस अधिनियम के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दूर करने एवं प्रभावी तथा व्यापक ढंग से लागू करने के उद्धेश्यों से भारत सरकार ने उक्त नियमों में कुछ संशोधन करते हुए **संशोधित नियम 6 सितम्बर, 2012 से जारी किये गये।**

अधिनियम के अन्तर्गत निम्न प्रकार के वन अधिकार प्रदान किये जा रहे हैं–

1. व्यक्तिगत अधिकार –

(अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को उनके कब्जे की सीमा तक अधिकतम 4 हैक्टर जमीन के ही अधिकार प्रदान किये जा सकेगें।)

2. **सामुदायिक अधिकार –**

धारा–3 (1)–

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के सभी वन भूमि पर निम्नलिखित वन अधिकार होंगे, जो व्यक्तिगत या सामुदायिक भूधृति या दोनों को सुरक्षित करते हैं, अर्थात्ः–'

(क) किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों द्वारा निवास के लिए या जीविका के लिए स्वयं खेती करने के लिए व्यक्तिगत या सामुहिक अधिभोग के अधीन वन भूमि को धारित करने और उसमें रहने का अधिकार,

(ख) निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार,

(ग) गौर वन उत्पादों के संग्रह, पहुंच, उपयोग, व्ययन का अधिकार

(घ) मत्स्य और जलाशयों के अन्य उत्पाद, चारागाह के उपयोग का अधिकार, आदि

धारा 3 (2)–

सार्वजनिक सुविधाओं एवं आवश्यकताओं के लिये वन भूमि के परिवर्तन का उपबंध– विद्यालय, आंगनबाडी, औषधालय या अस्पताल, सड़के, सामुदायिक केन्द्र आदि।

(इस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए परिवर्तित की जाने वाली वनभूमि ऐसे प्रत्येक मामले में 1 हैक्टर से कम है; और ऐसी विकासशील परियोजनाओं की अनापत्ति इस शर्त के अधीन रहते हुए होगी कि उसकी सिफारिश ग्राम सभा द्वारा की गई हो)

अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार हेतु पात्रता :

(अ) – अनुसूचित जनजाति के वन निवासी व्यक्ति के लिए –

अधिनियम की धारा 2(ग) ''वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति'' से अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य या समुदाय अभिप्रेत हैं, जो प्राथमिक रूप से वनों में निवास करते हैं और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों या वन भूमि पर निर्भर हैं और इसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति चरागाही समुदाय भी हैं;

1. 13 दिसम्बर 2005 से पूर्व वन भूमि का अधिभोग
2. आजीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वन पर निर्भरता या निवासरत

(ब) – अन्य परम्परागत वन निवासी –

धारा 2(ण) ''अन्य परम्परागत वन निवासी'' से ऐसा कोई सदस्य या समुदाय अभिप्रेत हैं, **जो 13 दिसम्बर, 2005 से पूर्व** कम से कम तीन पीढ़ियों तक प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि में निवास करता रहा हैं और जो जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए उन पर निर्भर हैं। **स्पष्टीकरण–''पीढ़ी'' से पच्चीस वर्ष की अवधि अभिप्रेत हैं;**

➢ **राज्य में वनाधिकार अधिनियम की नवीनतम प्रगति –** **(दिसम्बर, 2019)**

		व्यक्तिगत दावें	सामुदायिक दावें	कुल योग
कुल प्राप्त दावें		76177	1649	**77826**
कुल स्वीकृत दावें	(1) समीक्षा पूर्व स्वीकृत	38915	341	**39256** (51.17 %)
	(2) समीक्षा उपरान्त स्वीकृत	4216	0	**4216**
	योग (1+2)	**43131**	**341**	**43472** (55.85 %)
अंतिम रूप से निरस्त दावें		22546	1221	**23767**
समीक्षाधी / रिव्यू व DLC द्वारा अंतिम निर्णय से शेष दावे *		5443	0	**5443**
जारी अधिकार पत्रो की संख्या		43131	341	**43472**
जारी अधिकार पत्रों का क्षेत्रफल (हैक्टेयर)		26520.176	4389.48	**30909.656**

*** माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की पालना में राज्य में समीक्षाधीन दावें**

➢ <u>जिलेवार व्यक्तिगत दावों की स्थिति</u> – **प्राप्त, स्वीकृत, निरस्त, जारी एवं लम्बित**

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 की क्रियान्विति अन्तर्गत जिलेवार प्राप्त, स्वीकृत, निरस्त, जारी एवं लम्बित/समीक्षाधीन व्यक्तिगत दावों प्रगति की सूचना–

क्र. सं.	नाम जिला	ग्राम सभा में प्रस्तुत दावे	कुल स्वीकृत दावे			पुर्नसमीक्षा उपरान्त अंतिम रूप से निरस्त दावें	समीक्षाधीन / रिव्यू से शेष दावे	No. of Claims Pending in Appeal	व्यक्तिगत वनाधिकार पत्रों का क्षेत्रफल (हेक्टर में)
			समीक्षा से पूर्व	समीक्षा पश्चात्	कुल स्वीकृत				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	बांसवाड़ा	22240	12991	1636	14627	7586	0	0	4811.980
2	प्रतापगढ़	15735	7239	1510	8749	397	4945	0	5453.620
3	डूॅगरपुर	7927	4694	0	4694	0	3233	0	3131.080
4	उदयपुर	15149	8512	652	9164	5859	0	330	6727.678
5	सिरोही	4331	3128	34	3162	1169	0	0	2032.284
6	राजसमंद	1047	139	97	236	798	0	0	41.25
7	बांरा	6468	1196	188	1384	5026	0	0	831.430
8	पाली	463	291	0	291	172	0	0	222.190
9	भीलवाड़ा	531	122	0	122	409	0	0	184.740
10	स.माधोपुर	110	0	0	0	110	0	0	0.000
11	कोटा	381	59	114	173	294	1	0	38.754
12	झालावाड़	301	23	56	79	222	0	13	56.138
13	बून्दी	560	0	14	14	0	122	20	0.000
14	जयपुर	98	0	0	0	86	12	0	0.000
15	चितौड़गढ़	627	436	0	436	209	0	0	231.740
16	टौंक	209	0	0	0	209	0	0	0.000
योग		**76177**	**38915** **(51.84%)**	**4216**	**43131** **(56.61%)**	**22546**	**5080**	**363**	**23762.884**

➢ <u>जिलेवार सामुदायिक दावों की स्थिति</u> – प्राप्त, स्वीकृत, निरस्त, जारी एवं लम्बित दावे–

क्र. सं.	नाम जिला	ग्राम सभा में प्रस्तुत दावे	कुल स्वीकृत दावे	कुल निरस्त दावे	कुल निर्णित दावे	सामुदायिक जारी अधिकार पत्र	जिले में लम्बित कलेम्स	सामुदायिक क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	बांसवाड़ा	685	223	462	685	223	0	165.480
2	प्रतापगढ़	0	0	0	0	0	0	0.000
3	डूँगरपुर	107	56	27	83	56	24	1409.106
4	उदयपुर	293	28	204	232	28	61	2653.890
5	सिरोही	311	21	290	311	21	0	5.774
6	राजसमंद	0	0	0	0	0	0	0.000
7	बांरा	246	8	238	246	8	0	1.980
8	पाली	2	2	0	2	2	0	1.000
9	भीलवाड़ा	3	3	0	3	3	0	152.250
10	स.माधोपुर	0	0	0	0	0	0	0.000
11	कोटा	0	0	0	0	0	0	0.000
12	झालावाड़	0	0	0	0	0	0	0.000
13	बून्दी	0	0	0	0	0	0	0.000
14	जयपुर	0	0	0	0	0	0	0.000
15	चितौड़गढ़	2	0	0	0	0	2	0.000
16	टौंक	0	0	0	0	0	0	0.000
	योग	**1649**	**341**	**1221**	**1562**	**341**	**87**	**4389.48**

➢ **सामुदायिक दावों की नवीनतम स्थिति** – (Dwellers Categorywise)

	ग्राम सभा में प्रस्तुत दावो की संख्या	जारी सामुदायिक अधिकार पत्रों की संख्या	जारी अधिकार पत्रों का क्षेत्रफल हैक्टर में
अनुसूचित जनजाति (ST)	1646	338	4237.23
अन्य परम्परागत वन निवासी (OTFD)	3	3	152.250
महायोग	**1649**	**341**	**4389.48**

➢ **अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 की क्रियान्विति अन्तर्गत दावें निरस्त होने के मुख्यतः निम्न कारण रहेः–**

1. 13.12.2005 से पूर्व के कब्जे का साक्ष्य प्रमाणित नहीं होने से
2. नियम 13 में उल्लेखित अन्य साक्ष्य नहीं होने से

3. वन भूमि पर कब्जा नहीं होने से
4. निर्धारित दिनांक पर वन भूमि पर सतत् कब्जा नहीं होने से
5. एक से अधिक दावेदार होने से
6. आजीविका की वास्तविक आवश्यकता के लिये वन भूमि पर निर्भरता प्रमाणित नहीं होना
7. भूमि वन विभाग की नहीं होने के कारण
8. सरकारी/अर्द्धसरकारी कर्मचारी होने के कारण जीविकोपार्जन हेतु वनभूमि पर निर्भरत नहीं होना
9. मौके पर विवाद होने से
10. वन अधिकार कानून की शर्ते पूर्ण नहीं करने के कारण

➢ **राज्य में वनाधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु FRA Online MIS Portal प्रारम्भ किया गया–**

- वनाधिकार अधिनियम अन्तर्गत प्राप्त वनाधिकार दावों के निस्तारण में पारदर्शिता (Transpency) लाने एवं संबंधित अधिकारियों की जवाबदेयता (Accountability) सुनिश्चित करने के लिये FRA Online MIS Portal विकसित कर फरवरी, 2019 में प्रारम्भ किया जा चुका है। इस पोर्टल के माध्यम से दावेदार स्वयं की सिटीजन आई,डी., ई–मित्र, ग्राम पंचायत के माध्यम से वनाधिकार दावा ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकता है। दावे की जांच से लेकर वनाधिकार पत्र जारी करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी/समिति द्वारा ऑनलाईन की जा रही है।
- राज्य में वनाधिकार अधिनियम अन्तर्गत दावें प्राप्त करना एक सत्त प्रक्रिया हैं। प्राप्त दावों का नियमानुसार समयबद्ध निस्तारण किया जा रहा है एवं दावेदारो को वनाधिकार पत्र जारी किये जा रहे है।

➢ **वनाधिकार अधिनियम क्रियान्वयन में भारत में राजस्थान की स्थिति–**

(जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार, द्वारा जारी **मासिक प्रगति रिपोर्ट, सितम्बर, 2019 के अनुसार**)

- प्राप्त वनाधिकार **दावों के निस्तारण में राज्य का 5 वां स्थान** (उत्तर प्रदेश, पं. बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश के पश्चात्)
- प्राप्त वनाधिकार दावों के विरूद्ध **वनाधिकार प्रमाण पत्र जारी करने में राज्य का 7 वां स्थान** (उडीसा, केरल, त्रिपुरा, झारखण्ड, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना के पश्चात्)
- वनाधिकार **दावें कुल संख्या में प्राप्त करने में राजस्थान का देश में 14 वां स्थान**

2. राजस्थान पंचायतीराज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) अधिनियम, 1999 एवं नियम, 2011

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, भारत सरकार के पंचायत सशक्तिकरण अभियान के तहत राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 सहित राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों को उनके अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने संबंधी उपांतरण) अधिनियम, 1999 एवं राज्य पेसा नियम, 2011 की धरातलीय क्रियान्विति के क्रम में अनुसूचित क्षेत्र के गांव में लगभग 4939 शांति समितियो को गठन किया जाकर बैठक आयोजित की गयी।

3. अनुसूचित क्षेत्र में राज्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी राजकीय पदों पर आरक्षण

अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय मूल निवासियो का राजकीय सेवा में प्रतिनिधित्व बढाने के उद्देश्य से कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 से आरक्षण हेतु प्रावधान किया गया कि ''अनुसूचित क्षेत्रों, राज्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरे जायेंगी। अनुसूचित क्षेत्र की शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी का योग्यता के आधार पर वरियता क्रम में नियमानुसार चयन किया जायेगा''। **(परिशिष्ठ– 10)**

4. अनुसूचित क्षेत्र में राजकीय सेवाओं के पदो पर पदोन्नति में आरक्षण

अनुसूचित क्षेत्र में सीर्धी भर्ती एवं पदोन्नति के स्तरों पर आरक्षण की समानुपातिक व्यवस्था नहीं होने के कारण राजकीय सेवाओं के पदोन्नति वाले पदो पर अनुसूचित जनजाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा था। अतः अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग को भर्ती के अनुपात में पदोन्नति में भी आरक्षण प्रदान किये जाने के लिये कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 से प्रावधान किया गया कि ''अनुसूचित क्षेत्रों, राज्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर पदोन्नति में अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति के कार्मिको को 5 प्रतिशत तथा अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के कार्मिको को 45 प्रतिशत प्रदान किया जायेगा''। **(परिशिष्ठ– 11)**

5. अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग हेतु शैक्षणिक संस्थाओं एवं प्रवेश परीक्षाओं में आरक्षण

अनुसूचित क्षेत्र जनजाति वर्ग के अभ्यार्थियों को विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों एवं उसने संबंधित प्रवेश परीक्षाओं में अनुसूचित जनजाति के लिये निर्धारित 12 प्रतिशत आरक्षण में से अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग को 45 प्रतिशत (अर्थात् 5.5 प्रतिशत) आरक्षण दिये जाने का निम्न विभागों के अधीन संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के स्नातक/स्नातकोत्तर व सर्टिफिकेट/डिप्लोमा एवं प्रवेश परीक्षाओं में भी आरक्षण का प्रावधान किये जाने की अधिसूचना/आदेश जारी की गई है। **(परिशिष्ठ – 12)**

- चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 26.06.16
- तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 04.07.16
- उच्च शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 04.07.16
- कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के आदेश दिनांक 04.07.16
- आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग के आदेश दिनांक 04.07.16
- कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के आदेश दिनांक 04.07.16
- पशुपालन विभाग के आदेश दिनांक 04.07.16

6. सहरिया परियोजना क्षेत्र में राज्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी राजकीय पदों पर आरक्षण

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.05.2013 से राज्य के बारां जिले की समस्त तहसीलों में राज्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां स्थानीय सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों से भरी जायेगी और अनुसूचित जनजातियों के लिए 6 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों के लिए 8 प्रतिशत पिछडी वर्ग की जातियों के लिए 10 प्रतिशत एवं विशेष पिछडा वर्ग की जातियों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेगी शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरी जायेगी। **(परिशिष्ठ–13)**

परिशिष्ठ–1

अनुसूचित क्षेत्र की जनसंख्या का विवरण (नवीन क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए) जनगणना 2011 के अनुसार

क्रम संख्या	जिला	तहसील	कुल ग्राम	कुल जनसंख्या	अनु .जनजाति जनसंख्या	प्रतिशत
1	बांसवाडा	घाटोल	239	287101	231331	80.57
		गढी	208	298740	173066	57.93
		बांसवाडा	356	458587	306968	66.94
		बागीदोरा	308	373825	318963	85.32
		कुशलगढ	402	379232	342671	90.36
योग			**1513**	**1797485**	**1372999**	**76.38**
2	डूंगरपर	डूंगरपर	305	495423	384981	77.71
		आसपुर	174	224243	119085	53.11
		सागवाडा	245	343232	203272	59.22
		सीमलवाडा	252	325654	276099	84.78
योग			**976**	**1388552**	**983437**	**70.82**
3	प्रतापगढ	धरियावद	167	189872	149512	78.74
		पीपलखूंट	207	154063	143783	93.33
		अरनोद	181	141023	94932	67.32
		प्रतापगढ	293	248813	112111	45.06
		छोटीसादड़ी	155	134077	50089	37.36
योग			**1003**	**867848**	**550427**	**63.42**
4	उदयपुर	गोगुन्दा	237	214948	107220	49.88
		गिर्वा) आंशिक(	252	324814	192034	59.12
		कोटडा	262	230532	220905	95.82
		झाडोल	283	249297	188925	75.78
		लसाडिया	114	91229	80435	88.17
		सलूम्बर	268	248337	132473	53.34
		सराडा	191	231209	147157	63.65
		ऋषभदेव	125	172935	145576	84.18
		खेरवाडा	195	206777	151494	73.26
		मावली)आंशिक(	4	3392	1776	52.36
		वल्लभनगर)आंशिक(	22	17221	10017	58.17
योग			**1953**	**1990691**	**1378012**	**69.21**
5	सिरोही	आबूरोड	85	224404	114360	50.96
		पिंडवाड़ा)आंशिक(	51	95653	76842	80.33
योग			**136**	**320057**	**191202**	**59.74**
6	राजसमन्द	नाथद्वारा) आंशिक(	15	4591	2312	50.36
		कुम्भलगढ़)आंशिक(	16	20092	11643	57.95
योग			**31**	**24683**	**13955**	**56.54**
7	चित्तौडग़ढ़	बड़ीसादड़ी (आंशिक)	51	21276	14533	68.31
योग			**51**	**21276**	**14533**	**68.31**
8	पाली	बाली)आंशिक(	33	52761	47352	89.75
योग			**33**	**52761**	**47352**	**89.75**
कुल योग			**5696**	**6463853**	**4551917**	**70.42**
राजस्थान				68548437	9238534	13.48
राज्य की तुलना मे अनुसूचित क्षैत्र का प्रतिशत				9.43	49.27	

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325] नई दिल्ली, शनिवार, मई 19, 2018/वैशाख 29, 1940
No. 325] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 19, 2018/VAISAKHA 29, 1940

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2018

सा.का.नि. 466(अ).— राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं.आ.270"

अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018

राष्ट्रपति, भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 1981 को विखंडित करते हैं और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को राजस्थान राज्य के अन्दर अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में पुनः परिनिश्चित किया जाता है :—

(1) बांसवाड़ा जिला

(2) डूंगरपुर जिला

(3) प्रतापगढ़ जिला

(4) उदयपुर जिले में निम्नलिखित क्षेत्र :

(क) कोटड़ा, झाडोल (तत्कालीन फलासिया), लसाडिया, सलूम्बर, सराड़ा, खेरवाड़ा, ऋषभदेव तथा गोगून्दा तहसील।

(ख) गिर्वा तहसील में निम्नलिखित क्षेत्र :

(i) गिर्वा ब्लॉक

(ii) निम्नानुसार उल्लिखित बड़गांव ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :

(I) मदार ग्राम पंचायत के मदार, ब्राहमणों की हुन्दर, राठोडों का गुढ़ा, बान्दरवाड़ा, घोडान कलां, घोडान खुर्द और कायलों का गुढ़ा ग्राम,

(II) कैलाशपुरी ग्राम पंचायत के कैलाशपुरी, राया, करावाडी, मठाठा, नागदा, झालों का गुढ़ा तथा मुणवास ग्राम,

(III) चीरवा ग्राम पंचायत के चीरवा, मोहनपुरा, शिवपुरी, करेलों का गुढ़ा तथा सारे ग्राम,

(IV) अम्बेरी ग्राम पंचायत के अम्बेरी, भीलों का बेदला, ओटो का गुढ़ा तथा प्रतापपुरा ग्राम,

(V) ढीकली ग्राम पंचायत के ढीकली तथा बड़ा ग्राम,

(VI) कविता ग्राम पंचायत के कविता, बरोडिया, घसियार तथा डांगियों का हुंदर ग्राम,

(VII) धार ग्राम पंचायत के गहलोतों का वास, बीयाल, कुण्डाल उबेश्वरजी, धार, बडंगा तथा बनादिया ग्राम,

(ग) मावली तहसील के नउवा ग्राम पंचायत के नउवा, खादरा, रायजी का गुढ़ा तथा मारूवास ग्राम

(घ) निम्नानुसार उल्लिखित वल्लभनगर तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम:

(I) माल की टूस ग्राम पंचायत के माल की टूस, गोवला, फलेट, टांक और ब्राह्मणों का रोबा ग्राम,

(II) धावडिया ग्राम पंचायत के धावड़िया, खेड़ाफला, नागलिया, रानी डूंगला और राणिया ग्राम,

(III) भोपा खेड़ा ग्राम पंचायत के भोपा खेड़ा, बेरीपुरा, हमेरपुरा, फूसरिया और रायला ग्राम,

(IV) कुण्डई ग्राम पंचायत के कुण्डई, भमेला, गोटीपा, कांकरियों का खेड़ा, नाहरपुरा उर्फ नारपुरा, पदमा खेड़ा और संग्रामपुरा ग्राम।

(5) राजसमन्द जिले में निम्नलिखित :

(क) निम्नानुसार उल्लिखित कुंभलगढ़ तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :

(i) आंतरी ग्राम पंचायत के आंतरी, सन्दूकों का गुढ़ा और बारां ग्राम,

(ii) कुचोली ग्राम पंचायत के कुचोली, केशर और बावदा ग्राम,

(iii) ओड़ा ग्राम पंचायत के ओड़ा, दोवास और कोदार ग्राम,

(iv) पीपाना ग्राम पंचायत के पीपाना, जेतारण और देलवाड़िया ग्राम,

(v) बरदड़ा ग्राम पंचायत के बरदड़ा, उदावड़, कलथाना और कोटड़ा ग्राम,

(ख) नाथद्वारा तहसील के कालीवास ग्राम पंचायत के निम्नलिखित ग्राम, अर्थात्:-

कालीवास, बरवा, बरवालिया, बेरन, कमली का गुढ़ा, गामेठों का नोहरा, दामावड़ी, कोलर, मुंजेला, लीलेरा, रायनिया, श्यामजी का गुढ़ा, सियोल, सोनगरिया और तांतेला ग्राम ।

(6) निम्नानुसार उल्लिखित चित्तौडगढ़ जिले में बड़ी सादड़ी तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :-

(क) रति चन्दजी का खेड़ा ग्राम पंचायत के आफरों का तालाब, लिंकोड़ा, सुल्तानपुरा, बोरखेड़ा, सेमल खेड़ा, रूघनाथपुरा, कीटखेड़ा, रती तलाई, रति चन्दजी का खेड़ा, चांदपुरा, सबलपुरा तथा गुन्दलपुर ग्राम,

(ख) अमीरामा ग्राम पंचायत के अमीरामा, मानपुरा, पारबती, रूपपुरा तथा मरावडिया ग्राम,

(ग) केवलपुरा ग्राम पंचायत के केवलपुरा (ए), केवलपुरा जागीर, रावतपुरा, शिवपुरा, टेगडियों का फला, नया खेड़ा, रानी माल्या, काली भीत, लछमीपुरा, हरीपुरा, श्यामपुरा, जूनी बड़वाल, कल्याणपुरा तथा केवलपुरा (बी) ग्राम,

(घ) मूंजवा ग्राम पंचायत के मूंजवा, जयसिंहपुरा, एकलिंगपुरा, मातामगरी, ढीकडिया खेडी, पूजां का फलियान, पायरी, केशरपुरा, खांखरिया खेड़ी, लालपुरा, काला खेत तथा दीपों का तालाब ग्राम,

(ङ) पारसोली ग्राम पंचायत के पारसोली, बोरूण्डी, गढ़ बोरूण्डी, संग्रामपुरा, राठोडों का खेड़ा, खेड़ी कलां, खेड़ी खुर्द तथा सुखपुरा ग्राम।

(7) निम्नानुसार उल्लिखित पाली जिले में निम्नलिखित बाली तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :-

(क) आमलिया ग्राम पंचायत के आमलिया, कागदड़ा, ठंडी बेरी, लक्ष्मणपुरा जोड़ और बोथरा ग्राम,

(ख) कूरण ग्राम पंचायत के कूरण, खेतरली, कोलवाडा, कोतीवाडा, कूरण खादरा और खेतरली खाडा ग्राम,

(ग) गोरिया ग्राम पंचायत के गोरिया और कोरवा ग्राम,

(घ) भीमाना ग्राम पंचायत के भीमाना, उपला भीमाना, तणी, उरणा और नाडीया ग्राम,

(ङ) काकराडी ग्राम पंचायत के काकराडी, अरडवा, दानवरली, सांभरवाडा और बेरड़ी ग्राम,

(च) मालनू ग्राम पंचायत के मालनू, हीरोला और लालपुरा ग्राम,

(छ) पीपला ग्राम पंचायत का पीपला ग्राम,

(ज) लुन्दाड़ा ग्राम पंचायत के लुन्दाड़ा, चिमनपुरा और मालदर ग्राम,

(झ) कोयलावाव ग्राम पंचायत के कोयलावाव, चिंगटा भाटा और चोपा की नाल ग्राम।

(8) सिरोही जिले में निम्नलिखित :

(क) आबूरोड़ तहसील

(ख) निम्नानुसार उल्लिखित पिण्डवाड़ा तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :-

(i) वरली ग्राम पंचायत के वरली, कुण्डाल, साबेला, वागदरी, ढांगा, कालुम्बरी और पिण्डवाड़ा (ग्रामीण) ग्राम,

(ii) मोरस ग्राम पंचायत के मोरस, चीनिया बन्द और भादावेरी ग्राम,

(iii) आमली ग्राम पंचायत के आमली, ठंडी बेरी, सादलवा और मालप ग्राम,

(iv) घरट ग्राम पंचायत के घरट, मालेरा, नवावास, गड़िया और पहाड़ कलां ग्राम,

(v) लोटाना ग्राम पंचायत के लोटाना, आपरी खेड़ा और कालाबोर ग्राम,

(vi) माण्डवाड़ा खालसा ग्राम पंचायत के माण्डवाड़ा खालसा, खोखरी खेड़ा और वारकी खेड़ा ग्राम,

(vii) सनवाड़ा ग्राम पंचायत के सनवाड़ा, सदा फली, नवावास देव, नवावास खालसा और सेमली ग्राम,

(viii) ईसरा ग्राम पंचायत के ईसरा, केर, उबेरा और चुरली खेड़ा ग्राम,

(ix) वालोरिया ग्राम पंचायत का वालोरिया ग्राम,

(x) माण्डवाड़ा देव ग्राम पंचायत के माण्डवाड़ा देव, पीटारी पादर, केदार पादर और बोर उमरी ग्राम,

(xi) भूला ग्राम पंचायत का भूला ग्राम,

(xii) अचपुरा ग्राम पंचायत के अचपुरा, कासीन्दा, नागपुरा, पंच देवल, ब्लॉक नं. 2 और कोटरा ग्राम,

(xiii) बसन्तगढ़ ग्राम पंचायत का बसन्तगढ़ ग्राम,

(xiv) सिवेरा ग्राम पंचायत के सिवेरा, राजपुरा, केशवगंज और दरला पादर ग्राम।

3. राज्यक्षेत्रीय प्रभाग, चाहे वह किसी भी नाम से उपदर्शित हो, के पूर्वगामी पैरा में किसी निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस आदेश के प्रारम्भ पर यथाविद्यमान उस नाम के राज्यक्षेत्रीय प्रभाग के प्रति निर्देश है ।

राम नाथ कोविंद,
राष्ट्रपति।

[फा.सं.1(31)/2017-वि.1]
डॉ.रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव

परिशिष्ठ – 3

माडा लघुखण्डो की जनसंख्या का विवरण

(जनगणना 2011 के अनुसार)

क्रम संख्या	जिला	माडा लघुखण्ड का नाम	ग्रामो की संख्या	कुल जनसंख्या	अनु. जनजाति जनसंख्या	प्रतिशत
1	**अलवर**	1. राजगढ–अलवर	131	156839	81399	51.90
		2. थानागाजी	60	40344	22045	54.64
		3. लक्ष्मणगढ	28	41471	21419	51.65
		योग	**219**	**238654**	**124863**	52.32
2	**धोलपुर**	4. बसेरी–बारी	68	69729	40211	57.67
		योग	**68**	**69729**	**40211**	**57.67**
3	**भीलवाडा**	5. जहाजपुर–माण्डलगढ	205	137506	72436	52.68
		योग	**205**	**137506**	**72436**	**52.68**
4	**बून्दी**	6. बून्दी	56	50671	24322	48.00
		7. बून्दी–केशोरायपाटन	56	49306	25201	51.11
		8. हिण्डौली–बून्दी	40	43040	21187	49.23
		9. केशोरायपाटन	35	29557	15992	54.11
		10. नैनवा–बून्दी–हिण्डौली	65	49143	26068	53.05
		योग	**252**	**221717**	**112770**	**50.86**
5– 6	**चित्तोडगढ एवं प्रतापगढ**	11. बडीसादडी–छोटीसादडी	29	17792	8266	46.46
		12. बेगूं	118	52827	28211	53.40
		13. बेगूं–चित्तोडगढ	72	21321	9806	45.99
		योग	**219**	**91940**	**46283**	**50.34**
7– 8	**जयपुर एवं दौसा**	14. लालसोट–चाकसू–दौसा–बसवा	421	385783	211822	54.91
		15. जमवारामगढ–चाकसू–बस्सी–दौसा–सांगानेर–आमेर	274	288776	164335	56.91
		16. सिकराय–बसवा	76	118127	64168	54.32
		योग	**771**	**792686**	**440325**	**55.55**
9	**झालावाड**	17. अकलेरा	125	65393	41039	62.76
		18. झालरापाटन–खानपुर	116	54571	34634	63.47
		योग	**241**	**119964**	**75673**	**63.08**
10– 11	**कोटा एवं बारां**	19. अटरू–छीपबडोद–छबडा	36	24390	12686	52.01
		20. छीपबडोद	50	32801	22618	68.96
		21. पीपल्दा–मांगरोल–दिगोद	108	75311	39098	51.92
		22. छबडा	53	27042	16651	61.57
		23. रामगंजमण्डी–लाडपुरा	44	26869	11797	43.91
		24. बारां–मांगरोल–सांगोद	26	19753	11040	55.89
		योग	**317**	**206166**	**113890**	**55.24**
12	**पाली**	25. बाली	5	23546	4201	57.86
		योग	**5**	**23546**	**4201**	**57.86**
13–14	**सवाईमाधोपुर एवं**	26. बामनवास–गंगापुर	40	36348	21303	58.61
		27.बामनवास	41	43255	24654	57.00

	करौली	28. गंगापुर–करौली	26	39048	21488	55.03
		29. नाडोती–हिण्डोन	30	46604	22661	48.62
		30. हिण्डोन–टोडाभीम	39	65824	34679	52.68
		31. करौली	40	55111	26272	47.67
		32. करौली–सपोटरा–बोंली	77	104606	59233	56.62
		33. महुवा	58	66426	37899	57.05
		34. बोंली	70	81264	43122	53.06
		35. सवाईमाधोपुर–खण्डार	80	123686	67328	54.43
		36. टोडाभीम–नाडोती–महुवा	75	119989	64453	53.72
		योग	**576**	**782161**	**423092**	**54.09**
15	**सिरोही**	37. पिण्डवाडा–सिरोही–रेवदर	10	17109	9073	53.03
		योग	**10**	**17109**	**9073**	**53.03**
16	**टोंक**	38. देवली–टोडारायसिंह–टोंक	61	49815	25795	51.78
		39. निवाई	71	46876	26208	55.91
		40. उनियारा	74	48841	28453	58.26
		41. उनियारा–टोंक	40	18044	9963	55.22
		योग	**246**	**163576**	**90419**	**55.28**
17–18	**उदयपुर एवं राजसमंद**	42. गिर्वा–नाथद्वारा–मावली	22	38228	13150	34.40
		43. गोगुन्दा–कुम्भलगढ–नाथद्वारा	21	20653	10995	53.24
		44. वल्लभनगर	86	43115	11504	26.68
		योग	**129**	**101996**	**35649**	**34.95**
		महायोग	**3258**	**2966750**	**1588885**	**53.56**

नोट– इसमें वर्ष 2001–2011 के बीच माडा क्लस्टर क्षेत्र के ग्रामो से टूटकर बने नवीन राजस्व ग्रामों का विवरण सम्मिलित नही है।

माडा क्लस्टर की जनसंख्या का विवरण (जनगणना 2011 के अनुसार)

क्रम संख्या	जिला	माडा क्लस्टर का नाम	ग्रामो की संख्या	कुल जनसंख्या	अनु. जनजाति जनसंख्या	प्रतिशत
1	**बून्दी**	1. केशोरायपाटन	32	15730	9266	58.91
2	**कोटा**	2. दिगोद	19	11386	5526	48.53
3	**बारां**	3. अटरू–बारां	9	7720	4267	55.27
4	**झालावाड**	4. खानपुर	13	8636	4781	55.36
		5. अकलेरा (पू.)	32	25406	15131	59.56
		6. अकलेरा (द.)	12	9834	6574	66.85
		योग	**45**	**34042**	**19912**	**58.49**
5	**अजमेर**	7. केकडी	11	9714	5272	54.27
6	**राजसमंद**	8. नाथद्वारा–राजसमंद	19	8358	4429	52.99
7	**भरतपुर**	9. वैर (उ.)	11	14366	7891	54.93
		10. वैर (द.)	4	11210	5632	50.24
		योग	**15**	**25576**	**13523**	**52.87**
8	**सवाईमाधोपुर**	11खण्डार	9	8272	5256	63.54
महायोग			**159**	**120798**	**67451**	**55.84**

नोट–इसमें वर्ष 2001–2011 के बीच माडा क्लस्टरक्षेत्र के ग्रामो से टूटकर बने नवीन राजस्व ग्रामों का विवरण सम्मिलित नही है।

परिशिष्ठ –4

बिखरी जनजाति की जनसंख्या का विवरण

(जनगणना 2011 के अनुसार)

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल जनजाति जनसंख्या	अनुसूचित क्षेत्र की जनजाति जनसंख्या	माडा क्षेत्र की जनजाति जनसंख्या	माडा कलस्टर क्षेत्र की जनजाति जनसंख्या	सहरिया क्षेत्र की जनजाति जनसंख्या'	बिखरी हुई जनजाति की जनसंख्या''
1	गंगानगर	13477	0	0	0	0	13477
2	हनुमानगढ	14289	0	0	0	0	14289
3	बीकानेर	7779	0	0	0	0	7779
4	चुरू	11245	0	0	0	0	11245
5	झुन्झनू	41629	0	0	0	0	41629
6	अलवर	289249	0	124863	0	0	164386
7	भरतपुर	54090	0	0	13523	0	40567
8	धोलपुर	58594	0	40211	0	0	18383
9	करौली	324960	0	206370	0	0	118590
10	सवाई माधोपुर	285848	0	176727	5256	0	103865
11	दौसा	433344	0	291984	0	0	141360
12	जयपुर	527966	0	188336	0	0	339630
13	सीकर	75349	0	0	0	0	75349
14	अजमेर	63482	0	0	5272	0	58210
15	टोंक	178207	0	90419	0	0	87788
16	जैसलमेर	42429	0	0	0	0	42429
17	जोधपुर	118924	0	0	0	0	118924
18	नागौर	10418	0	0	0	0	10418
19	पाली	144578	0	31381	0	0	113197
20	बाडमेर	176257	0	0	0	0	176257
21	जालोर	178719	0	0	0	0	178719
22	सिरोही	292470	19202	9073	0	0	92915
23	भीलवाडा	229273	0	72436	0	0	156837
24	राजसमन्द	160809	13955	14458	4429	0	127963
25	उदयपुर	1525289	137802	21191	0	0	126086
26	चित्तौडगढ	201546	14533	46283	0	0	140730
27	प्रतापगढ	550427	500338	0	0	0	0
28	डूंगरपुर	983437	983437	0	0	0	0
29	बांसवाड़ा	1372999	1372999	0	0	0	0
30	बूंदी	228549	0	112770	9266	0	106513
31	कोटा	183816	0	39245	5526	0	139045
32	बारां	276857	0	74645	4267	102124	95821
33	झालावाड	182229	0	75673	19912	0	86644
योग		**9238534**	**4551917**	**1588885**	**67451**	**102124**	**2928157**

- सहरिया परियोजना क्षेत्र की गैर सहरिया (बिखरी जनजाति) जनसंख्या सहित
- सहरिया परियोजना क्षेत्र की बिखरी जनजाति (गैर सहरिया) जनसंख्या के अतिरिक्त

परिशिष्ठ–5

सहरिया विकास परियोजना की जनसंख्या का विवरण

क. सं.	पंचायत समिति	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)**	ग्राम संख्या	वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार			कुल जनसंख्या की तुलना में अनु. जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत	कुल जनसंख्या की तुलना में सहरिया जनसंख्या का प्रतिशत*
				कुल जनसंख्या	अनु. जनजाति जनसंख्या	सहरिया जनजाति की जनसंख्या'		
	जिला बांरा							
1.	शाहबाद	1460	236	105875	41808	34687	39.49	32.76
2.	किशनगंज	1451	213	166864	60316	39308	36.15	23.56
	कुल	**2911**	**449**	**272739**	**102124**	**73995**	**37.44**	**27.13**

* सहरिया जनजाति जनसंख्या का विवरण मा.ला. वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा सन् 2002 में किये गये सर्वे के आधार पर है

**क्षेत्रफल का विवरण पूर्ववर्ती अनुसार ही लिया गया है।

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित | *Published by Authority*
ज्येष्ठ 26,गुरुवार, शाके 1938–जून 16, 2016
Jyaistha 26, Thursday, Saka 1938–June 16, 2016

भाग 4 (ग)
उप–खण्ड (I)
राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

TRIBAL AREA DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, June 15, 2016

G.S.R. 24 .-In exercise of the powers conferred by paragraph 4 of part B of the Fifth Schedule of the Constitution of India the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Tribes Advisory Council Rules, 1980, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Tribes Advisory Council (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 3.- In sub-rule (2) of rule 3 of the Rajasthan Tribes Advisory Councial Rules, 1980, for the exiting expression " The Minister of the Tribal Development Department of Government of Rajasthan shall be the Ex-officio Chairman and member of the Council. The State Minister/Deputy Minister, Tribal Area Development Department shall be the Ex-officio Vice-Chairman and member of the Council", the expression "The Chief Minister of the State of Rajasthan shall be the Ex-officio Chairman and member of the Council. The Minister incharge/State Minister, Tribal Area Development Department shall be the Ex-officio Vice Chairman and Member of the Council." Shall be substituted.

[No. F.4 (25)(14)TAC/TAD/ 2013]
By Order of the Governor,
S.R. Meena,
Joint Secretary to the Government.

43

Government Central Press, Jaipur.

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांक– प.6(32)प्र.सु./अनु.–3/1991/

जयपुर, दिनांक 27/11/19

आदेश

राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद, 1980 के नियम 3, 4 व 5 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए इस विभाग समसंख्यक आदेश दिनांक 06.06.2014 के अधिक्रमण में राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद, का पुर्नगठन निम्नानुसार किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है:–

1.	माननीय मुख्यमंत्री महोदय	अध्यक्ष
2.	राज्यमंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	उपाध्यक्ष
3.	श्री दयाराम परमार, विधायक ,खैरवाड़ा उदयपुर	सदस्य
4.	श्री गणेश घोघरा, विधायक डूंगरपुर	सदस्य
5.	श्री रामलाल मीणा, विधायक प्रतापगढ	सदस्य
6.	श्री मुरारी लाल, विधायक दौसा	सदस्य
7.	श्रीमती इन्द्रा, विधायक बामनवास, सवाईमाधोपुर	सदस्य
8.	श्री गोपाल लाल मीना, विधायक जमवारामगढ़, जयपुर	सदस्य
9.	श्रीमती निर्मला सहरिया, विधायक किशनगंज, बारां	सदस्य
10.	श्री जौहरीलाल मीना, विधायक राजगढ़–लक्ष्मणगढ़	सदस्य
11.	श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, विधायक बागीदौरा	सदस्य
12.	श्री हरीश चन्द्र मीना, विधायक दवली–उनियारा	सदस्य
13.	श्री कान्ती प्रसाद, विधायक थानागाजी, अलवर	सदस्य
14.	श्री लक्ष्मण मीणा, विधायक बस्सी	सदस्य
15.	श्रीमती रमीला खड़िया, विधायक कुशलगढ़, बांसवाडा	सदस्य
16.	श्री रामकेश, विधायक गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर	सदस्य
17.	श्री लक्ष्मीनारायण पण्ड्या, पूर्व उप जिला प्रमुख उदयपुर	सदस्य
18.	अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर	सदस्य
19.	प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर	सदस्य
20.	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर	सदस्य सचिव

राजस्थान विधानसभा सदस्यों का मनोनयन आगामी विधानसभा चुनाव तक व अन्य गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन दो वर्ष के लिए होगा। उक्त परिषद स्थायी होगी तथा इसका प्रशासनिक विभाग जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग होगा।

आज्ञा से

27/11/19

(अरूण प्रकाश शर्मा)
शासन उप सचिव

जयपुर, दिनांक 27/11/19

क्रमांक– प.6(32)प्र.सु./अनु.–3/1991/

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
4. उप शासन सचिव कम निजी सचिव, मुख्य सचिव जयपुर।
5. समस्त सदस्यगण (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से):–
6. संयुक्त सचिव, जनजाति कार्यमंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
8. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जयपुर।
9. सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, छठी मंजिल, बी–विंग, लोक नायक भवन, खान मार्केट नई दिल्ली।
10. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं.–101 व 102, प्रथम तल, खण्ड–अ, केन्द्रीय सदन, सेक्टर–10, विद्याधर नगर, जयपुर।
11. प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
12. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
13. सचिव, राजस्थान विधानसभा, सचिवालय जयपुर।
14. उप शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग, जयपुरं
15. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर को आदेश की 40 प्रतियां समिति से संबंधित सदस्यों को भिजवाने हेतु संलग्न कर प्रेषित है।
16. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि जनहित में समाचार पत्रों में इसे प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
17. रक्षित पत्रावली एफ4(25)(14)टीएडी/04

27/11/19

शासन उप सचिव

विभाग द्वारा संचालित आश्रम छात्रावास (सत्र 2019–20)
अनुसूचित क्षेत्र

जिला	क्र.स.	आश्रम छात्रावास का नाम	पंचायत समिति	वर्ग	चालू वर्ष	प्रवेश क्षमता	प्रवेशित विद्यार्थी
बांसवाडा	1	गढी	गढी	बालक	1988-89	100	100
बांसवाडा	2	गढी	गढी	बालिका	2014-15	75	75
बांसवाडा	3	सरेडी बडी	गढी	बालक	1989-90	100	100
बांसवाडा	4	टीमुरवा	गढी	बालिका	2019-20	50	50
बांसवाडा	5	पालोदा	गढी	बालिका	2015-16	50	50
बांसवाडा	6	रामगढ	कुशलगढ	बालक	1986-87	100	100
बांसवाडा	7	हिमलाबडा	कुशलगढ	बालक	1990-91	75	75
बांसवाडा	8	छोटी सरवा	कुशलगढ	बालक	1997-98	75	75
बांसवाडा	9	कुशलगढ	कुशलगढ	बालिका	1996-97	125	125
बांसवाडा	10	छोटी सरवा	कुशलगढ	बालिका	2012-13	75	70
बांसवाडा	11	बडला की रेल	कुशलगढ	बालिका	2013-14	50	50
बांसवाडा	12	बस्सी–कुशलगढ	कुशलगढ	बालिका	2016-17	50	50
बांसवाडा	13	झींकली	कुशलगढ	बालिका	2016-17	50	50
बांसवाडा	14	ठिमेडा (टिमेडा बडा)	कुशलगढ	बालिका	2013-14	50	50
बांसवाडा	15	खजुरा	कुशलगढ	बालक	2019-20	50	50
बांसवाडा	16	पोटलिया	कुशलगढ	बालिका	2012-13	50	50
बांसवाडा	17	छोटी सरवन	छोटी सरवन	बालक	1978-79	100	100
बांसवाडा	18	दानपुर	छोटी सरवन	बालिका	2014-15	50	50
बांसवाडा	19	घोडी तेजपुर	छोटी सरवन	बालक	1989-90	100	100
बांसवाडा	20	छोटी सरवन	छोटी सरवन	बालिका	2002-03	75	75
बांसवाडा	21	कलिंजरा	बागीदौरा	बालक	1977-78	125	125
बांसवाडा	22	बडोदिया	बागीदौरा	बालक	1997-98	100	100
बांसवाडा	23	बागीदौरा	बागीदौरा	बालिका	2004-05	125	125
बांसवाडा	24	करजी	बागीदौरा	बालिका	2006-07	100	100
बांसवाडा	25	शक्करवाडा	बागीदौरा	बालिका	2014-15	50	50
बांसवाडा	26	बडोदिया	बागीदौरा	बालिका	2013-14	50	50
बांसवाडा	27	नौगामा	बागीदौरा	बालिका	2013-14	50	50
बांसवाडा	28	तलवाडा	तलवाडा	बालक	1997-98	75	75
बांसवाडा	29	कूपडा	तलवाडा	बालक	1996-97	75	75
बांसवाडा	30	आनन्दपुरी	आनन्दपुरी	बालक	1997-98	100	100
बांसवाडा	31	आनन्दपुरी	आनन्दपुरी	बालिका	1987-88	100	100

बांसवाडा	32	चान्दरवाडा	आनन्दपुरी	बालिका	2006-07	100	100
बांसवाडा	33	शारदा (फलवा)	आनन्दपुरी	बालिका	2013-14	75	75
बांसवाडा	34	मडकौला	आनन्दपुरी	बालिका	2013-14	50	50
बांसवाडा	35	डोकर	आनन्दपुरी	बालिका	2013-14	50	50
बांसवाडा	36	बडलिया	आनन्दपुरी	बालिका	2013-14	50	50
बांसवाडा	37	उदयपुरबडा	आनन्दपुरी	बालिका	2016-17	50	50
बांसवाडा	38	टामटिया	आनन्दपुरी	बालिका	2016-17	50	50
बांसवाडा	39	रूपजी का खेडा	घाटोल	बालक	1989-90	75	75
बांसवाडा	40	नरवाली	घाटोल	बालक	1997-98	75	75
बांसवाडा	41	पडोली राठोड	घाटोल	बालक	1997-98	75	75
बांसवाडा	42	बोरदा	घाटोल	बालक	2006-07	125	125
बांसवाडा	43	घाटोल	घाटोल	बालिका	2011-12	75	75
बांसवाडा	44	बस्सी आडा	घाटोल	बालिका	2016-17	50	50
बांसवाडा	45	जगपुरा	घाटोल	बालिका	2013-14	50	50
बांसवाडा	46	कसारवाडी	सज्जनगढ	बालक	1990-91	75	75
बांसवाडा	47	ताम्बेसरा	सज्जनगढ	बालक	1997-98	75	75
बांसवाडा	48	छोटा डूॅगरा	सज्जनगढ	बालक	1997-98	75	75
बांसवाडा	49	सज्जनगढ	सज्जनगढ	बालिका	2011-12	75	74
बांसवाडा	50	छोटा डूॅगरा	सज्जनगढ	बालिका	2012-13	75	75
बांसवाडा	51	सागवा	सज्जनगढ	बालिका	2012-13	50	50
बांसवाडा	52	जौलाना	अरथुना	बालिका	1996-97	100	98
बांसवाडा	53	लोकिया अरथुना	अरथुना	बालिका	2014-15	50	50
बांसवाडा	54	गांगडतलाई	गांगडतलाई	बालक	1986-87	100	100
बांसवाडा	55	सल्लोपाट	गांगडतलाई	बालक	1997-98	100	100
बांसवाडा	56	पंचाल (टांडी)	गांगडतलाई	बालिका	2013-14	50	50
बांसवाडा	57	जेरमाटी (लंकाई)	गांगडतलाई	बालिका	2013-14	50	50
बांसवाडा	58	गमानिया मोती	गांगडतलाई	बालिका	2015-16	50	50
बांसवाडा	59	घोडिया	गागंडतलाई	बालिका	2017-18	50	50
बांसवाडा	60	आंबापुरा	बांसवाडा	बालक	1989-90	100	100
बांसवाडा	61	खेडा वडली पाडा	बांसवाडा	बालक	1985-86	100	100
बांसवाडा	62	खेडा वडली पाडा	बांसवाडा	बालिका	2014-15	50	50
बांसवाडा	63	माही डेम	बांसवाडा	बालक	1997-98	100	100
बांसवाडा	64	प्रति. बांसवाडा	बांसवाडा	बालक	1997-98	75	75
बांसवाडा	65	बांसवाडा	बांसवाडा	बालिका	1995-96	100	100
बांसवाडा	66	बोरिया (पलाशवानी)	बांसवाडा	बालिका	2013-14	50	50
बांसवाडा	67	नवागॉव	बांसवाडा	बालिका	2015-16	50	50

		योग 67 **बालक 26,** **बालिका 41**				**4950**	**4942**
डूँगरपुर	1	रीछा	साबला	बालक	1978-79	125	125
डूँगरपुर	2	पचलासा छोटा	साबला	बालक	1989-90	50	50
डूँगरपुर	3	निठाउवा	साबला	बालक	1997-98	50	50
डूँगरपुर	4	निठाउवा	साबला	बालिका	2014-15	75	45
डूँगरपुर	5	आसपुर	आसपुर	बालक	1997-98	75	75
डूँगरपुर	6	पूंजपुर	आसपुर	बालक	1997-98	75	75
डूँगरपुर	7	रामगढ	आसपुर	बालक	1997-98	75	65
डूँगरपुर	8	आसपुर	आसपुर	बालिका	2006-07	100	100
डूँगरपुर	9	साबला	साबला	बालिका	2010-11	75	67
डूँगरपुर	10	देवला	आसपुर	बालिका	2016-17	50	50
डूँगरपुर	11	ठाकरडा	सागवाडा	बालक	1997-98	75	67
डूँगरपुर	12	ओबरी	सागवाडा	बालक	1991-92	100	90
डूँगरपुर	13	नोकना	सागवाडा	बालक	1989-90	75	64
डूँगरपुर	14	चित्रकूट	सागवाडा	बालक	1989-90	50	50
डूँगरपुर	15	भीलूडा	सागवाडा	बालक	1997-98	50	50
डूँगरपुर	16	पाडवा	सागवाडा	बालक	1997-98	50	47
डूँगरपुर	17	बडगी	गलियाकोट	बालिका	2011-12	50	50
डूँगरपुर	18	ओबरी	सागवाडा	बालिका	1991-92	75	75
डूँगरपुर	19	भीलूडा	सागवाडा	बालिका	2013-14	75	75
डूँगरपुर	20	खडगदा	सागवाडा	बालिका	2013-14	75	75
डूँगरपुर	21	चितरी	गलियाकोट	बालिका	2016-17	50	75
डूँगरपुर	22	पादरडीबडी	सागवाडा	बालिका	2015-16	75	41
डूँगरपुर	23	फलोज	दोवडा	बालक	1997-98	75	70
डूँगरपुर	24	फलोज	दोवडा	बालिका	2014-15	50	45
डूँगरपुर	25	कहारी	डूँगरपुर	बालक	1991-92	75	75
डूँगरपुर	26	रघुनाथपुरा	डूँगरपुर	बालक	1981-82	100	90
डूँगरपुर	27	मालचौकी	झौथरी	बालक	1989-90	75	75
डूँगरपुर	28	सूराता	झौथरी	बालक	1987-88	100	100
डूँगरपुर	29	प्रति. डूँगरपुर	डूँगरपुर	बालक	1991-92	100	85
डूँगरपुर	30	डूँगरपुर	डूँगरपुर	बालिका	1995-96	125	125
डूँगरपुर	31	पालमाण्डव	डूँगरपुर	बालिका	2003-04	75	71
डूँगरपुर	32	कन्या सतीरामपुर	डूँगरपुर	बालिका	2015-16	50	50
डूँगरपुर	33	देवलपाल	बिच्छीवाडा	बालक	1997-98	50	48
डूँगरपुर	34	बिच्छीवाडा	बिच्छीवाडा	बालक	1990-91	100	100

डूँगरपुर	35	तलैया	बिच्छीवाडा	बालक	1985-86	100	100
डूँगरपुर	36	माडा	बिच्छीवाडा	बालक	1985-86	130	123
डूँगरपुर	37	गंधवापाल	बिच्छीवाडा	बालक	1997-98	75	75
डूँगरपुर	38	गामडी अहाडा	बिच्छीवाडा	बालक	1990-91	75	60
डूँगरपुर	39	चुण्डावाडा	बिच्छीवाडा	बालक	1997-98	125	119
डूँगरपुर	40	छापी	बिच्छीवाडा	बालिका	1990-91	125	125
डूँगरपुर	41	मेवाडा	बिच्छीवाडा	बालिका	2016-17	50	50
डूँगरपुर	42	डूँका	सीमलवाडा	बालक	1985-86	100	100
डूँगरपुर	43	बडगामा	सीमलवाडा	बालक	1991-92	50	50
डूँगरपुर	44	झलाप	सीमलवाडा	बालक	1997-98	50	45
डूँगरपुर	45	पीठ	सीमलवाडा	बालक	1997-98	75	75
डूँगरपुर	46	सीमलवाडा	सीमलवाडा	बालक	1998-99	100	100
डूँगरपुर	47	रास्तापाल	सीमलवाडा	बालक	1997-98	75	75
डूँगरपुर	48	सीमलवाडा	सीमलवाडा	बालिका	1991-92	100	100
डूँगरपुर	49	चीखली	सीमलवाडा	बालिका	2004-05	100	100
डूँगरपुर	50	बांसिया	सीमलवाडा	बालिका	2012-13	75	75
डूँगरपुर	51	सरथुना	सीमलवाडा	बालिका	207-18	50	50
		योग 51 बालक 31, बालिका 20				**3980**	**3817**
उदयपुर	1	लसाडिया	लसाडिया	बालक	1991-92	105	105
उदयपुर	2	कालीभीत	लसाडिया	बालक	1997-98	50	50
उदयपुर	3	लसाडिया	लसाडिया	बालिका	2003-04	75	71
उदयपुर	4	कुण	लसाडिया	बालिका	2016-17	50	50
उदयपुर	5	मालवा का चौरा	कोटडा	बालक	1988-89	95	95
उदयपुर	6	मामेर	कोटडा	बालक	1978-79	100	100
उदयपुर	7	झेड	कोटडा	बालक	1997-98	50	50
उदयपुर	8	महाडी	कोटडा	बालिका	2018-19	50	50
उदयपुर	9	बेकरिया	कोटडा	बालिका	2017-18	100	98
उदयपुर	10	मेरपुर	कोटडा	बालिका	1999-2000	65	65
उदयपुर	11	कोटडा	कोटडा	बालिका	2011-12	75	72
उदयपुर	12	समीजा	गोगुन्दा	बालक	2004-05	50	50
उदयपुर	13	पीपलीखेडा	गोगुन्दा	बालिका	2008-09	50	50
उदयपुर	14	रावज	गोगुन्दा	बालक	2018-19	50	50
उदयपुर	15	छाली	गोगुन्दा	बालिका	2018-19	50	43
उदयपुर	16	चित्रावास	गोगुन्दा	बालिका	2018-19	50	50
उदयपुर	17	भबराना	झल्लारा	बालक	1985-86	100	90

उदयपुर	18	जैताणा	झल्लारा	बालिका	2002-03	75	75
उदयपुर	19	ईटालीखेडा	सलूम्बर	बालक	1991-92	50	50
उदयपुर	20	करावली	सलूम्बर	बालक	1990-91	50	49
उदयपुर	21	डाल–सलूम्बर	सलूम्बर	बालिका	2001-02	100	98
उदयपुर	22	गींगला	सलूम्बर	बालिका	2015-16	50	48
उदयपुर	23	गामडापाल	सलूम्बर	बालिका	2016-17	50	50
उदयपुर	24	झाडोल	झाडोल	बालक	1984-85	100	100
उदयपुर	25	बाघपुरा	झाडोल	बालक	1997-98	50	42
उदयपुर	26	ढीमडी	झाडोल	बालक	1989-90	70	70
उदयपुर	27	ओडा	झाडोल	बालक	1996-97	40	40
उदयपुर	28	गोराणा	झाडोल	बालक	1996-97	40	40
उदयपुर	29	ओगणा	झाडोल	बालिका	2017-18	50	50
उदयपुर	30	झाडोल	झाडोल	बालिका	2011-12	75	75
उदयपुर	31	पानरवा	फलासिया	बालिका	2006-07	75	75
उदयपुर	32	नालवा	फलासिया	बालक	1997-98	40	40
उदयपुर	33	डैया	फलासिया	बालक	1997-98	50	50
उदयपुर	34	मादडी	फलासिया	बालक	2004-05	50	50
उदयपुर	35	अम्बासा	फलासिया	बालक	1986-87	80	75
उदयपुर	36	फलासिया	फलासिया	बालिका	1982-83	105	100
उदयपुर	37	बिरोठी	फलासिया	बालिका	2004-05	50	50
उदयपुर	38	अम्बासा	फलासिया	बालिका	1995-96	50	48
उदयपुर	39	सरेरा	खैरवाडा	बालक	1997-98	25	25
उदयपुर	40	बावलवाडा	खैरवाडा	बालक	1997-98	50	50
उदयपुर	41	पाटिया	खैरवाडा	बालक	1997-98	40	40
उदयपुर	42	आडिवली	खैरवाडा	बालक	1997-98	40	40
उदयपुर	43	छाणी	खैरवाडा	बालिका	1983-84	100	95
उदयपुर	44	कनबई	खैरवाडा	बालिका	2004-05	75	75
उदयपुर	45	सारोली	खैरवाडा	बालिका	2006-07	50	50
उदयपुर	46	खैरवाडा	खैरवाडा	बालिका	2011-12	75	75
उदयपुर	47	बलीचा	खैरवाडा	बालक	2006-07	50	46
उदयपुर	48	गोहावाडा	खैरवाडा	बालिका	2015-16	50	50
उदयपुर	49	कोजावाडा	ऋषभदेव	बालक	1991-92	50	50
उदयपुर	50	कल्याणपुर	ऋषभदेव	बालक	1997-98	40	40
उदयपुर	51	ढेलाना	ऋषभदेव	बालक	2006-07	50	48
उदयपुर	52	ऋषभदेव	ऋषभदेव	बालिका	1997-98	100	100
उदयपुर	53	सागवाडा	ऋषभदेव	बालिका	2006-07	75	75
उदयपुर	54	टीडी	गिर्वा	बालक	2004-05	50	49

उदयपुर	55	पई		बालक		50	49
उदयपुर	56	बारापाल	गिर्वा	बालक	1997-98	40	40
उदयपुर	57	प्रति.फतेह स्कूल, उदयपुर	गिर्वा	बालक	1990-91	75	75
उदयपुर	58	प्रति. झामर कोटडा	गिर्वा	बालक	1991-92	50	48
उदयपुर	59	कस्तूरबा (मघुबन), उदयपुर	गिर्वा	बालिका	1997-98	100	100
उदयपुर	60	उमरडा	गिर्वा	बालिका	2002-03	75	75
उदयपुर	61	बच्छार	गिर्वा	बालिका	2011-12	50	50
उदयपुर	62	सरू	गिर्वा	बालिका	2016-17	50	50
उदयपुर	63	सराडा	सराडा	बालक	1987-88	50	49
उदयपुर	64	केजड	सराडा	बालक	1991-92	50	49
उदयपुर	65	झाडोल (सराडा)	सराडा	बालक	1998-99	50	49
उदयपुर	66	परसाद	सराडा	बालक	1998-99	75	65
उदयपुर	67	चावण्ड	सराडा	बालिका	1998-99	75	55
उदयपुर	68	अदवास	सराडा	बालिका	2003-04	75	65
उदयपुर	69	सराडा	सराडा	बालिका	2006-07	50	50
उदयपुर	70	टोकर	सेमारी	बालक	1997-98	50	42
उदयपुर	71	भौराईपाल	सेमारी	बालक	1997-98	50	50
उदयपुर	72	रठौडा	सेमारी	बालिका	2016-17	50	50
उदयपुर	73	बम्बोरा	कुराबड	बालक	2009-10	50	45
		योग 73, बालक 39, बालिका 34				**4500**	**4378**
सिरोही	1	मीन तलेटी	आबूरोड	बालक	1997-98	80	72
सिरोही	2	दोयतरा	आबूरोड	बालक	1998-99	130	130
सिरोही	3	गिरवर	आबूरोड	बालक	1983-84	130	130
सिरोही	4	सियावा	आबूरोड	बालक	1987-88	50	50
सिरोही	5	किवरली	आबूरोड	बालक	1988-89	50	50
सिरोही	6	सांतपुर	आबूरोड	बालक	1988-89	100	89
सिरोही	7	ओर	आबूरोड	बालक	1997-98	75	75
सिरोही	8	आमथला	आबूरोड	बालक	2011-12	50	46
सिरोही	9	मानपुर	आबूरोड	बालिका	1996-97	150	142
सिरोही	10	ओर	आबूरोड	बालिका	1996-97	130	128
सिरोही	11	मोरस	पिण्डवाडा	बालक	1996-97	140	140
सिरोही	12	आपरीखेडा	पिण्डवाडा	बालिका	1996-97	100	100
सिरोही	13	भुला	पिण्डवाडा	बालिका	2017-18	50	50

सिरोही	14	वरली	पिण्डवाडा	बालिका	2018	50	50
		योग 14 बालक 9, बालिका 5				**1285**	**1252**
प्रतापगढ	1	देवगढ	प्रतापगढ	बालक	1981-82	105	105
प्रतापगढ	2	थडा	प्रतापगढ	बालक	1987-88	100	98
प्रतापगढ	3	बोरी	प्रतापगढ	बालक	1990-91	80	69
प्रतापगढ	4	धमोत्तर	प्रतापगढ	बालक	1997-98	75	75
प्रतापगढ	5	बारावरदा	प्रतापगढ	बालक	1997-98	50	50
प्रतापगढ	6	गन्धेर	प्रतापगढ	बालक	1997-98	50	50
प्रतापगढ	7	कुलथाना	प्रतापगढ	बालक	1997-98	75	62
प्रतापगढ	8	प्रति. प्रतापगढ	प्रतापगढ	बालक	1997-98	50	47
प्रतापगढ	9	प्रतापगढ	प्रतापगढ	बालक	2004-05	100	98
प्रतापगढ	10	देवगढ	प्रतापगढ	बालिका	2004-05	50	50
प्रतापगढ	11	कुलथाना	प्रतापगढ	बालिका	2004-05	75	75
प्रतापगढ	12	प्रतापगढ	प्रतापगढ	बालिका	1995-96	100	100
प्रतापगढ	13	अवलेश्वर	प्रतापगढ	बालिका	2004-05	50	28
प्रतापगढ	14	लोहारिया	प्रतापगढ	बालिका	2006-07	50	50
प्रतापगढ	15	थडा	प्रतापगढ	बालिका	2012-13	75	75
प्रतापगढ	16	बारावरदा	प्रतापगढ	बालिका	2012-13	50	50
प्रतापगढ	17	मधुरा तालाब	प्रतापगढ	बालिका	2015-16	50	50
प्रतापगढ	18	नकोर	प्रतापगढ	बालिका	2016-17	50	45
प्रतापगढ	19	झांसडी	प्रतापगढ	बालिका	2016-17	50	50
प्रतापगढ	20	अचलपुरा	प्रतापगढ	बालिका	2018-19	50	49
प्रतापगढ	21	पानमोडी	प्रतापगढ	बालिका	2016-17	50	50
प्रतापगढ	22	नागदी	अरनोद	बालक	1990-91	80	70
प्रतापगढ	23	अरनोद	अरनोद	बालक	1990-91	80	77
प्रतापगढ	24	सालमगढ	अरनोद	बालक	1997-98	75	75
प्रतापगढ	25	दलोट	अरनोद	बालक	1998-99	75	75
प्रतापगढ	26	जांजली	अरनोद	बालक	1997-98	50	43
प्रतापगढ	27	चूपना	अरनोद	बालक	2004-05	75	75
प्रतापगढ	28	बडी सॉखथली	अरनोद	बालिका	2006-07	50	38
प्रतापगढ	29	सांखथली थाना	अरनोद	बालिका	2004-05	50	45
प्रतापगढ	30	अरनोद	अरनोद	बालिका	2011-12	50	38
प्रतापगढ	31	दलोट	अरनोद	बालिका	1996-97	100	87
प्रतापगढ	32	सेवना	अरनोद	बालिका	2016-17	50	50
प्रतापगढ	33	पीपलखूँट	पीपलखूँट	बालक	1996-97	130	130

प्रतापगढ	34	घन्टाली	पीपलखूँट	बालक	1997-98	75	75
प्रतापगढ	35	घन्टाली	पीपलखूँट	बालिका	2018-19	50	50
प्रतापगढ	36	सुहागपुरा	प्रतापगढ	बालक	1981-82	100	100
प्रतापगढ	37	रामपुरिया	पीपलखूँट	बालक	1983-84	100	100
प्रतापगढ	38	रामपुरिया	पीपलखूँट	बालिका	2018-19	50	50
प्रतापगढ	39	डूंगलावानी	पीपलखूँट	बालिका	2004-05	50	50
प्रतापगढ	40	पीपलखूँट	पीपलखूँट	बालिका	2006-07	75	75
प्रतापगढ	41	सुहागपुरा	पीपलखूँट	बालिका	2002-03	75	70
प्रतापगढ	42	पण्डावा	पीपलखूँट	बालिका	2002-03	50	50
प्रतापगढ	43	मोटा धामनिया	पीपलखूँट	बालिका	2015-16	50	50
प्रतापगढ	44	डाबडा	प्रतापगढ	बालिका	2017-18	50	50
प्रतापगढ	45	गोठडा	धरियावद	बालक	1979-80	105	105
प्रतापगढ	46	पारसोला	धरियावद	बालक	1998-99	75	70
प्रतापगढ	47	पारसोला	धरियावद	बालिका	2011-12	50	50
प्रतापगढ	48	धरियावद	धरियावद	बालिका	1987-88	70	70
प्रतापगढ	49	खून्ता	धरियावद	बालिका	2012-13	75	72
प्रतापगढ	50	जलोदिया केलुखेडा	छोटी सादड़ी	बालिका	2017-18	50	39
प्रतापगढ	51	करजू	छोटी सादड़ी	बालिका	2003-04	50	48
प्रतापगढ	52	धौलापानी	छोटी सादड़ी	बालक		50	50
प्रतापगढ	53	धौलापानी	छोटी सादड़ी	बालिका	2017-18	130	98
प्रतापगढ	54	भाट खेडी (देवाक माता)	छोटी सादड़ी	बालिका	2017-18	50	47
प्रतापगढ	55	गणेशपुरा	छोटी सादड़ी	बालिका	2017-18	50	50
प्रतापगढ	56	पीलीखेडा	छोटी सादड़ी	बालिका	2017-18	50	35
		योगः–56				**3780**	**3583**
		बालिका–34 **बालक –22**					

अनुसूचित क्षेत्र में संचालित आश्रम छात्रावास सत्र 2019–20

जिला	क्र.स.	आश्रम छात्रावास का नाम		वर्ग	चालू वर्ष	प्रवेश क्षमता	प्रवेशित विद्यार्थी
पाली	1	भीमाना	बाली	बालक	1996-97	100	100
	2	दानवरली	बाली	बालक	1996-97	100	100
		योग				**200**	**200**

अनुसूचित क्षेत्र में संचालित आश्रम छात्रावास सत्र 2019–20

जिला	क्र.स.	आश्रम छात्रावास का नाम		वर्ग	चालू वर्ष	प्रवेश क्षमता	प्रवेशित विद्यार्थी
चित्तौडगढ	1	मुंझवा	बड़ी सादडी	बालक	2002-03	150	150
		योग				**150**	**150**

माडा क्षेत्र में आश्रम छात्रावासों की सूची

जिला	तहसील	विधानसभा क्षेत्र	पंचायत समिति	छात्रावास का नाम	क्र. स.	वर्ग	प्रवेश क्षमता	प्रवेशित
सवाई माधोपुर	बामनवास	बामनवास	चौथ का बरवाडा	बरवाडा	1	बालक	100	85
	गंगापुरसिटी	गंगापुरसिटी	गंगापुरसिटी	वजीरपुर	2	बालक	100	85
	गंगापुरसिटी	गंगापुरसिटी	गंगापुरसिटी	डिबस्या	3	बालिका	50	50
उदयपुर	भीण्डर	वल्लभनगर	भीण्डर	भरडियो	4	बालक	100	50
राजसमन्द	कुम्भलगढ	कुम्भलगढ	कुम्भलगढ	कुम्भलगढ, केलवाडा	5	बालिका	50	47
दौसा	बान्दीकुई	बान्दीकुई	बान्दीकुई	भांवता–भावती	6	बालिका	100	89
			सिकराई	नांदरी	7	बालिका	50	50
	मउवा	मउवा	मउवा	उकरूंद	8	बालक	100	76
	लालसोट	लालसोट	लालसोट	बिलौनीकलां	9	बालक	50	40
	लालसोट	लालसोट	लालसोट	रालावास	10	बालक	100	70
	दौसा	दौसा	दौसा	काली पहाडी	11	बालक	100	86
	बांदीकुई	बांदीकुई	बांदीकुई	निहालपुरा	12	बालक	50	50
			सिकराय	घुमना	13	बालक	50	50
	दौसा	दौसा	दौसा	मोहनपुरा	14	बालिका	100	95
	बांदीकुई	बांदीकुई	बांदीकुई	आलियापाडा	15	बालिका	50	50
	दौसा	दौसा	दौसा	नांगलराजावतान	16	बालिका	50	50
	लालसोट	लालसोट	लालसोट	बिदरखां	17	बालिका	50	46
	महुआ	महुआ	महुआ	मोनापुरा	18	बालिका	50	50
अलवर			रेणी	रेणी	19	बालिका	100	100
			राजगढ़	राजगढ	20	बालिका	100	54
				दुब्बी	21	बालिका	50	25
				पालपुर	22	बालिका	100	48
				जयसिंहपुरा	23	बालिका	50	30
				मल्लाना	24	बालिका	50	0

				नाथलवाडा	25	बालिका	50	18
			थानागाजी	थानागाजी	26	बालिका	100	98
झालावाड		खानपुर	खानपुर	मउबोरदा	27	बालक	50	50
		मनोहरथाना	अकलेरा	पचौला	28	बालक	50	50
करौली			सपोटरा	सपोटरा	29	बालिका	100	100
			टोडाभीम	नांगलशेरपुर	30	बालक	100	100
			सपोटरा	करणपुर	31	बालक	50	48
			सपोटरा	नयागांव	32	बालिका	50	0
			हिण्डोन	कटकड	33	बालक	100	85
भीलवाडा		जहाजपुर	जहाजपुर	लुहारी कलां	34	बालक	90	90
		बिजौलिया	बिजौलिया	श्यामपुरा	35	बालक	50	50
		जहाजपुर	जहाजपुर	धौड	36	बालिका	50	50
चित्तौडगढ			भैंसरोड़गढ	लक्ष्मीपुरा	37	बालक	100	100
				रावतभाटा	38	बालिका	100	100
सिरोही			पिण्डवाडा	सरूपगंज	39	बालक	50	50
कोटा			लाडपुरा	मण्डाना	40	बालिका	50	50
बून्दी			हिण्डाली	पेच की बावडी	41	बालक	50	50
टोंक			देवली	राजकोट	42	बालिका	50	40
जयपुर			चाकसू	ठीकरिया मीना	43	बालक	50	37
			जमवारामगढ़	दतालामीना	44	बालक	50	50
			आमेर	ढण्ड	45	बालक	50	21
			बस्सी	झर	46	बालिका	50	48
				जयराम का वास	47	बालिका	50	46
				खतेपुरा	48	बालिका	50	48
				अणतपुरा	49	बालिका	50	49
				हरडी	50	बालिका	50	46
				पाटन	51	बालिका	50	16
				गुढा मीना	52	बालिका	50	14
				लालगढ	53	बालिका	50	46
			चाकसू	भगवतसर कांकरिया	54	बालिका	50	44
				गिरधारीलाल पुरा	55	बालिका	50	21
बारां			छीपा बडोद	पछाड	56	बालिका	50	40
			कुल 56				**3690**	**3031**
			बालिका – 34					
			बालक –22					

बिखरी क्षेत्र में आश्रम छात्रावासों की सूची

जिला	पंचायत समिति	छात्रावास का नाम	क्र.स.	वर्ग	प्रवेश क्षमता	प्रवेशित	प्रारम्भ वर्ष
बारां	अन्ता	बटावदी	1	बालिका	50	50	2016
सवाई माधोपुर	बौली	बौली	2	बालिका	50	50	2016
उदयपुर	भीण्डर	भीण्डर	3	बालिका	50	35	2006
	भीण्डर	लूणदा	4	बालिका	50	50	2017
राजसमन्द	राजसमन्द	राजसमन्द	5	बालक	50	48	2006
	खमनोर	सेमा	6	बालिका	50	50	2003
	राजसमन्द	पुठोल(मूण्डोल)	7	बालिका	50	39	2016
	खमनोर	नाथुवास	8	बालिका	50	42	2017
	राजसमन्द	राजसमन्द	9	बालिका	50	11	2019
अलवर	राजगढ़	टहला	10	बालिका	50	25	2015
	थानागाजी	क्यारा	11	बालिका	100	92	1987
चित्तौडगढ	बेगूं	काटून्दा	12	बालिका	50	39	2016
	बेगूं	तेजपुर	13	बालिका	50	18	2017
जोधपुर	शेरगढ	शेरगढ	14	बालिका	50	49	2015
बून्दी	तालेडा	डाबी	15	बालिका	50	49	2003
	बून्दी	खटकड	16	बालिका	50	47	2015
धौलपुर	बसेडी	आंगई	17	बालिका	50	50	2016
	बसेडी	सरमथुरा	18	बालिका	50	50	2016
जयपुर	बस्सी	ग्वालिनी	19	बालिका	50	41	2004
	बस्सी	बडवा	20	बालिका	50	31	2015
जैसलमेर	जैसलमेर	जेठवाई	21	बालिका	50	28	2017

अजमेर	केकडी	केकडी	22	बालिका	50	25	2016
पाली	सुमेरपुर	नौवी	23	बालिका	50	50	2018
कुल 23 **बालिका – 22** **बालक –1**					1200	969	

सहरिया क्षेत्र में आश्रम छात्रावासों की सूची

क्र. सं.	जिला	तहसील	विधानसभा क्षेत्र	पंचायत समिति	क्र. सं.	आश्रम छात्रावास का नाम	वर्ग	शिक्षा स्तर	चालू वर्ष	छात्र क्षमता	प्रवेशित
1	बारां	शाहबाद	किशनगंज	शाहबाद	1	आगर	बालक	सी.मा.वि	2007	25	25
		शाहबाद	किशनगंज	शाहबाद	2	कस्बाथाना	बालक	सी.मा.वि	2007	40	40
		शाहबाद	किशनगंज	शाहबाद	3	चौराखाडी	बालक	मा.वि	2007	25	25
		शाहबाद	किशनगंज	शाहबाद	4	बमनगवां	बालक	सी.मा.वि	1989	50	50
		शाहबाद	किशनगंज	शाहबाद	5	देवरी	बालक	सी.मा.वि	1988	50	50
		शाहबाद	किशनगंज	शाहबाद	6	खाण्डा सहरोल	बालक	सी.मा.वि	2007	25	25
		शाहबाद	किशनगंज	शाहबाद	7	राजपुर	बालक	सी.मा.वि	2004	50	50
		शाहबाद	किशनगंज	शाहबाद	8	समरानियां	बालक	सी.मा.वि	1989	65	65
		शाहबाद	किशनगंज	शाहबाद	9	शाहाबाद	बालक	सी.मा.वि	2010	50	50
		शाहबाद	किशनगंज	शाहबाद	10	हाटरी	बालक	मा.वि	2014	25	25
		किशनगंज	किशनगंज	किशनगंज	11	खण्डेला	बालक	मा.वि	2007	25	25
		किशनगंज	किशनगंज	किशनगंज	12	भंवरगढ	बालक	सी.मा.वि	1988	65	65
		किशनगंज	किशनगंज	किशनगंज	13	गरडा	बालक	सी.मा.वि	1991	65	65
		किशनगंज	किशनगंज	किशनगंज	14	रेलावन	बालक	सी.मा.वि	1993	50	48
		किशनगंज	किशनगंज	किशनगंज	15	विलासगढ़	बालक	सी.मा.वि	2007	65	65
		किशनगंज	किशनगंज	किशनगंज	16	बजरंगगढ	बालक	सी.मा.वि	2007	40	40
		किशनगंज	किशनगंज	किशनगंज	17	केलवाडा	बालक	सी.मा.वि	2011	50	50
		किशनगंज	किशनगंज	किशनगंज	18	किशनगंज	बालक	सी.मा.वि	2010	65	65

		किशनगंज	बांरा, अटरू	बांरा	19	बांरा	बालक	सी.मा. वि	2001	65	65
		किशनगंज	बांरा, अटरू	अटरू	20	अटरू	बालक	सी.मा. वि	2015	50	50
		किशनगंज	किशनगंज	शाहबाद	21	शाहबाद	बालिका	सी.मा. वि	1988	65	65
		किशनगंज	किशनगंज	शाहबाद	22	केलवाडा	बालिका	सी.मा. वि	1988	65	65
		किशनगंज	किशनगंज	शाहबाद	23	समरानियां	बालिका	सी.मा. वि	2010	50	50
		किशनगंज	किशनगंज	शाहबाद	24	रामगढ	बालिका	सी.मा. वि	2014	50	50
		किशनगंज	किशनगंज	किशनगंज	25	घट्टी	बालिका	सी.मा. वि	1995	65	65
		किशनगंज	किशनगंज	किशनगंज	26	नाहररगढ़	बालिका	सी.मा. वि	2011	50	45
		किशनगंज	बांरा, अटरू	बारां	27	बारां	बालिका	सी.मा. वि	2000	65	64
		किशनगंज	किशनगंज	बारां	28	बासंथूनी	बालक	सी.मा. वि	2016	50	50
		किशनगंज	किशनगंज	बारां	29	जलवाडा	बालक	सी.मा. वि	2017	50	40
	सहरिया में कुल 29 आश्रम छात्रावास बालिका – 7 बालक – 22						योग			1455	1437

वर्ष 2019–20 में संचालित आश्रम छात्रावासों का क्षेत्रवार विवरण

क्र. स 0	जिले / क्षेत्र का नाम	वर्गवार छात्रावास सं.			वर्गवार छात्रावास क्षमता			वर्गवार प्रवेशित		
		बालक	**बालिका**	**योग**	**बालक**	**बालिका**	**योग**	**बालक**	**बालिका**	**योग**
1	उदयपुर	39	34	**73**	2205	2295	**4500**	2145	2233	**4378**
2	बांसवाडा	26	41	**67**	2325	2625	**4950**	2325	2617	**4942**
3	प्रतापगढ	22	34	**56**	1755	2025	**3780**	1699	1884	**3583**
4	डूंगरपुर	31	20	**51**	2480	1500	**3980**	2373	1444	**3817**
5	पाली	2	0	**2**	200	0	**200**	200	0	**200**
6	चित्तौडगढ	1	0	**1**	150	0	**150**	150	0	**150**
7	आबूरोड (सिरोही)	9	5	**14**	805	480	**1285**	782	470	**1252**
	योग	**130**	**134**	**264**	**9920**	**8925**	**18845**	**9674**	**8648**	**18322**
1	माडा	22	34	**56**	1590	2100	**3690**	1373	1658	**3031**
2	बिखरी	1	22	**23**	50	1150	**1200**	48	921	**969**
3	सहरिया	22	7	**29**	1045	410	**1455**	1033	404	**1437**
	योग	**45**	**63**	**108**	**2685**	**3660**	**6345**	**2454**	**2983**	**5437**
	महायोग	**175**	**197**	**372**	**12605**	**12585**	**25190**	**12128**	**11631**	**23759**

विभाग द्वारा संचालित समस्त छात्रावासों की स्थिति 2019–20

क्र.स	जिला का नाम	वर्तमान में संचालित कुल छात्रावास	बालक	बालिका	सह शिक्षा	क्षमता	प्रवेशित
1	आश्रम छात्रावास	372	175	197	-	25190	23759
2	खेल छात्रावास	13	7	6	-	875	866
3	कॉलेज छात्रावास	7	2	5	-	350	350
4	बहुउद्देशीय छात्रावास	6	0	6	-	650	535
5	आवासीय विद्यालय	36	17	12	7	9505	8378
	योग	**434**	**201**	**226**	7	**36570**	**33888**

Details of Running EMRS - 2019-20

Total : 21 **Boys-9 Girls-5, Co-Education-7**

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति	विद्यालय का नाम	वर्ग	शिक्षा स्तर	चालु वर्ष	प्रवेशित क्षमता	प्रवेशित संख्या
1	उदयपुर	कोटडा	कोटडा	बालक	सी.मा.वि	2002	350	323
2		गोगुन्दा	गोगुन्दा	बालिका	मा.वि	2019	150	128
3		खेरवाडा	खेरवाडा	बालक	सी.मा.वि	2002	350	312
4	बांसवाडा	कुशलगढ	कुशलगढ	बालक	सी.मा.वि	2002	350	350
5		आनन्दपुरी	सुन्द्राव	बालक	मा.वि	2018	205	202
6		आनन्दपुरी	पाडोला	सह शिक्षा	मा.वि	2015	340	333
7	डूॅगरपुर	सीमलवाडा	सीमलवाडा	बालक	सी.मा.वि	2002	480	396
8		साबला	पारडा चुण्डावत	बालिका	सी.मा.वि	2016	210	204
9	प्रतापगढ	प्रतापगढ	टिमरवा	बालिका	सी.मा.वि	2012	350	350
10	सिरोही	आबूरोड	आबूरोड	बालक	सी.मा.वि	2002	480	435
11	टोंक	निवाई	निवाई	बालिका	सी.मा.वि	2002	480	443
12	बारां	शाहबाद	हनोतिया –शाहबाद	बालक	सी.मा.वि	2002	350	300
13	करोली	टोडाभीम	रानोली	सह शिक्षा	सी.मा.वि	2015	240	194
14	अलवर	राजगढ	मल्लाणा	सह शिक्षा	सी.मा.वि	2015	240	212
15		रेणी	पाटन	सह शिक्षा	सी.मा.वि	2016	300	202
16	जयपुर	तुगा बस्सी	बिहारीपुरा	सह शिक्षा	सी.मा.वि	2015	360	218
17	सवाई माधोपुर	बामनवास	बरनाला	सह शिक्षा	सी.मा.वि	2016	300	259
18	उदयपुर	सराड़ा	सराड़ा	बालिक	मा.वि.	2019	80	36
19	डूंगरुपर	डूॅगरपुर	डूंगरपुर	बालक	मा.वि.	2019	80	61
20	प्रतापगढ	पीपलखूंट	पीपलखूंट	बालक	मा.वि.	2019	80	56
21	बांसवाडा	आम्बापुरा	आम्बापुरा	सह शिक्षा	मा.वि.	2019	80	80
			योग				**5855**	**5094**

Details of State Run residential Schools - 2019-20

Total : 13 **Boys : 7, Girls : 6**

क्र. सं.	जिला		विद्यालय का नाम	वर्ग	शिक्षा स्तर	चालु वर्ष	प्रवेशित क्षमता	प्रवेशित संख्या
1	उदयपुर	सलूम्बर	सलूम्बर	बालिका	सी.मा.वि	2002	350	348
2	बांसवाडा	घाटोल	हरेगजी का खेडा	बालिका	सी.मा.वि	2011	210	210

3	डूॅगरपुर	सागवाडा	सागवाडा	बालिका	सी.मा.वि	2011	210	204
4	प्रतापगढ	प्रतापगढ	प्रतापगढ	बालक	सी.मा.वि	2002	350	350
5	झालावाड	झालरापाटन	झालरापाटन	बालक	सी.मा.वि	2007	300	192
6	दौसा	महुवा	नयागांव महुवा	बालक	सी.मा.वि	2002	270	188
7		किशनगंज	किशनगंज	बालिका	सी.मा.वि	2007	270	231
8		किशनगंज	रामगढ	बालक	सी.मा.वि	2012	180	170
9		शाहबाद	शाहबाद	बालिका	सी.मा.वि	2012	210	175
10	बारां	शाहबाद	खुशियारा	बालिका	मा.वि.	2016	150	136
11		बांरा	कोयला	बालक	मा.वि.	2017	150	115
12		अटरू	कवाई	बालक	मा.वि.	2017	150	139
13		किशनगंज	परानियॉ	बालक	मा.वि.	2017	150	127
			योग				**2950**	**2585**

Details of State Run Model Public Residential Schools - 2019-20

Total : 2 **Boys : 1, Girls : 1**

क्र.सं.	जिला		विद्यालय का नाम	वर्ग	शिक्षा स्तर	चालु वर्ष	प्रवेश क्षमता	प्रवेशित संख्या
1	डूॅगरपुर	डूॅगरपुर	सूरपुर	बालक	सी.मा.वि	2011	350	350
2	उदयपुर	बडगावं	ढीकली	बालिका	सी.मा.वि	2011	350	349
			योग				**700**	**699**

सहरिया क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालयों की सूची

क्र. स.	विद्यालय का नाम	छात्र क्षमता	प्रवेशित
1	आवासीय विद्यालय किशनगंज (कन्या)	**270**	**231**
2	आवासीय विद्यालय शाहबाद (कन्या)	**210**	**175**
3	आवासीय विद्यालय रामगढ़ (बालक)	**180**	**170**
4	आवासीय विद्यालय खुशियाऱा (बालिका)	**150**	**136**
5	आवासीय विद्यालय परानियां (बालक)	**150**	**127**
6	आवासीय विद्यालय कोयला (बालक)	**150**	**115**
7	आवासीय विद्यालय कवाई (बालक)	**150**	**139**
8	आवासीय विद्यालय हनोतिया (शाहाबाद)	**350**	**300**
योग आवासीय विद्यालय :–		**1610**	**1393**

खेल छात्रावास (सत्र 2019–20) में प्रवेश की स्थिति

क.सं.	जिला	क.सं.	खेल छात्रावास/ एकेडमी का नाम	वर्ग	शिक्षा का स्तर	चालू वर्ष	प्रवेश क्षमता	प्रवेशित संख्या
1	बॉसवाड़ा	1	एकलव्य खेल छात्रावास, लोधा	बालक	सी.मा.वि.	1996	100	100
		2	तलवाड़ा	बालिका	सी.मा.वि.	2015	75	75
		3	घाटोल	बालिका	सी.मा.वि.	2016–17	50	50
2	उदयपुर	4	खैरवाड़ा	बालक	सी.मा.वि.	2003	50	50
		5	सरदारपुरा	बालक	सी.मा.वि.	2003	50	49
		6	मधुवन	बालिका	सी.मा.वि.	2015–16	75	75
		7	तीरन्दाजी ऐकेडमी खेलगांव	बालक	सी.मा.वि.	2015–16	75	75
3	डूंगरपुर	8	डूंगरपुर (तीजवड)	बालक	सी.मा.वि.	2013	75	75
		9	पुनाली	बालिका	सी.मा.वि.	2015	50	50
4	प्रतापगढ़	10	प्रतापगढ़	बालक	सी.मा.वि.	2014	75	75
		11	प्रतापगढ़	बालिका	सी.मा.वि.	2014	75	75
5	सिरोही	12	आबुरोड	बालक	सी.मा.वि.	2014	50	45
		13	सान्तपुर	बालिका	सी.मा.वि.	2015	75	70
योग (13 खेल छात्रावास)							**875**	**864**

कॉलेज छात्रावास के प्रवेश की स्थिति 2019–20

जिला का नाम	वर्तमान में संचालित कुल छात्रावास	बालक	बालिका	प्रवेश क्षमता		योग	प्रवेशित		योग
				बालिका	बालक		बालिका	बालक	
अनुसूचित क्षेत्र									
बांसवाडा	3	1	2	100	50	**150**	100	50	**150**
डूंगरपुर	2	0	2	100	0	**100**	100	0	**100**
प्रतापगढ	2	1	1	50	50	**100**	50	50	**100**
योग	**7**	**2**	**5**	**250**	**100**	**350**	**250**	**100**	**350**

बालिका बहुउद्देशीय छात्रावास में प्रवेश क्षमता की स्थिति 2019–20

जिला का नाम	वर्तमान में संचालित कुल छात्रावास	प्रवेश क्षमता
बारां	1	50
कोटा	1	150
डूंगरपुर	1	100
बांसवाडा	1	100
प्रतापगढ	1	100
योग	**6**	**650**

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

जयपुर, दिनांक : 4.7.2016

अधिसूचना

राजस्थान के राज्यपाल द्वारा दिये गये निम्नलिखित निर्देश सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।

निर्देश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अधीन पंचम अनुसूची के पैरा 5 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, कल्याण सिंह, राज्यपाल, राजस्थान निर्देश देता हूं कि राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2008(2009 का अधिनियम संख्यांक 12), राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 32) एवं राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 33) एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों और जारी की गयी अधिसूचनाओं में किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 19(2)80–एल–1 दिनांक 12–02–81 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में, राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी। अनुसूचित क्षेत्र की शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी का योग्यता के आधार पर वरीयता क्रम में नियमानुसार चयन किया जायेगा, चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हो।

रिक्तियों का अवधारण तथा पदों की भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी :–

1. जहां भर्ती खण्ड स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा इनकी संगणना भी खण्ड स्तर पर की जानी हो, वहां ऐसी समस्त रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी। अनुसूचित क्षेत्र की शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी का योग्यता के आधार पर वरीयता क्रम में नियमानुसार चयन किया जायेगा, चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हो।

2. जहां भर्ती जिला स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगणना भी जिला स्तर पर की जानी हो, वहां अनुसूचित खण्ड के लिए रिक्तियां प्रकल्पित रूप से उस अनुपात के आधार पर अवधारित की जायेंगी, जो जिलों के अनुसूचित खण्डों की कुल जनसंख्या का जिले की कुल जनसंख्या के साथ है। इस प्रकार प्रकल्पित रूप से अवधारित रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित

जातियों के अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी। अनुसूचित क्षेत्र की शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी का योग्यता के आधार पर वरीयता क्रम में नियमानुसार चयन किया जायेगा, चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हो।

3. जहां भर्ती राज्य स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगणना भी राज्य स्तर पर की जानी हो, वहां अनुसूचित क्षेत्र के लिए रिक्तियां प्रकल्पित रूप से उस अनुपात के आधार पर अवधारित की जायेंगी, जो राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित खण्डों की कुल जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या के साथ है। इस प्रकार प्रकल्पित रूप से अवधारित रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जायेंगी एवं शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी का योग्यता के आधार पर वरीयता क्रम में नियमानुसार चयन किया जायेगा, चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हो।

4. यदि अनुसूचित क्षेत्र के एक जिले में उपलब्ध रिक्तियों को भरते समय 45 प्रतिशत स्थानीय अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति उपलब्ध नहीं हों तो सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र को एक इकाई के रूप में मानकर किसी जिले/उपखण्ड/विकास खण्ड स्तर पर कोई रिक्ति है और उस जिले/उपखण्ड/विकास खण्ड में अनुसूचित जनजाति का योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र के अन्य जिलों/विकास खण्डों में उपलब्ध अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थियों से ऐसी रिक्तियां भरी जायेंगी ताकि 45 प्रतिशत विशेष आरक्षण रखे जाने के उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

5. राज्य स्तर अथवा जिला स्तर पर अनुसूचित खण्डों की रिक्तियों से भिन्न राज्य/जिले की शेष रिक्तियां विद्यमान नियमों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए 12 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिए 16 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए 21 प्रतिशत एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए 5 प्रतिशत अथवा समय-समय पर प्रवृत्त आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेंगी।

स्पष्टीकरण .— 'अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों' से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी हैं और जो स्वंय या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी 1970 के बाद हुआ है तो, उनके माता-पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हैं।

ये निर्देश दिनांक 16-06-2013 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

ह0/-
(कल्याण सिंह)
राज्यपाल, राजस्थान
(क्र. एफ. 13(20)कार्मिक/क 2/91/पार्ट)

(ओ.पी. गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

27/2016

5

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

जयपुर, दिनांक : 4.7.2016

अधिसूचना

राजस्थान के राज्यपाल द्वारा दिये गये निम्नलिखित निर्देश सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।

निर्देश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अधीन पंचम अनुसूची के पैरा 5 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, कल्याण सिंह, राज्यपाल, राजस्थान निर्देश देता हूं कि राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 12) एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों और जारी की गयी अधिसूचनाओं एवं आदेशों व निर्देशों में किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 19(2)80–एल–1 दिनांक 12–02–81 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में, राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर पदोन्नति में अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति के कार्मिकों को 5 प्रतिशत तथा अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों को 45 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

ह0/–
(कल्याण सिंह)
राज्यपाल, राजस्थान
(क्र. एफ. 13(20)कार्मिक/क–2/91/पार्ट)

(ओ.पी. गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

28/2016

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

प.7 (147)/डीएमई/एके./2016/ 4379 दिनांक 26.6.2016

आदेश

चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा पी.एम.टी. परीक्षा में आदेश क्रमांक प.3 (2) एमई/ग्रुप–1 / 94 प.टी–1 दिनांक 31.8.1998 एवं कैबिनेट आज्ञा 04.05.1920 के अनुसरण में सम्पूर्ण राज्य में जनजाति वर्ग को लिये अनुसूचित जनजाति को देय कुल आरक्षण 12 प्रतिशत में से 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित रखे जाने का प्रावधान किया गया है, इसी के अनुरूप निम्नांकित पाठ्यक्रम एवं प्रवेश परीक्षाओं में सम्पूर्ण राज्य में जनजाति वर्ग के लिये अनुसूचित जनजाति को देय कुल आरक्षण 12 प्रतिशत में से 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित किया जाने का प्रावधान लागू किया जाता है:–

1. मेडीकल एवं डेन्टल स्नातकोत्तर कोर्सेज (एम.डी./एम.एस./ डिप्लोमा एवं एम.डी.एस.)
2. समस्त नर्सिंग कोर्सेज (स्नातक /स्नातकोत्तर/डिप्लोमा)।
3. समस्त पैरा मेडिकल कोर्सेज (स्नातक /स्नातकोत्तर/डिप्लोमा)।
4. समस्त फार्मेसी कोर्सेज (स्नातक /स्नातकोत्तर/डिप्लोमा)।
5. समस्त फिजियोथेरेपी कोर्सेज (स्नातक /स्नातकोत्तर/डिप्लोमा)।

इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5(68) चि.स्वा./ग्रुप–5/2000 दिनांक 19.2.2001 के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में स्थित ए.एन.एम./जी.एन.एम. के संस्थानों में अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के लिये लागू की गई व्यवस्था को यथावत रखा जावें।

विशिष्ठ शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री राज. सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज. सरकार।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. निदेशक (जन स्वास्थ्य), निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर।
7. निजी सचिव,विशिष्ठ शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग।
8. अति0 निदेशक (प्रश0) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा।
9. अति0 निदेशक (एन0बी0) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा
10. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
11. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/जोधपुर/कोटा /अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/झालावाड़/आर.यू.एच.एस. कॉलेज ऑफ मेडिकल साइन्सेज/ आर.यू.एच.एस. कॉलेज ऑफ डेन्टल साइन्सेज।
12. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ठ शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:– प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग/उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

1. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग/उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। ....
2. निजी विश्वविद्यालय.......................................

डॉ. एस.के. सोनी
अति. निदेशक (चि.शि.)

राजस्थान सरकार

तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक F 1(6)त०शि०/99   जयपुर, दिनांक ९-५-१६

आदेश

विषयः– अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य में स्थित समस्त अभियांत्रिकी महाविद्यालय/पॉलोटेक्निक/एम.सी.ए./प्रबन्धकीय आदि शैक्षणिक संस्थानों में संचालित समस्त सर्टिफिकेट स्नातक एवं स्नातकोत्तर में आरक्षण दिये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा बी.एस.टी.सी. परीक्षा एवं सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों यथा– बी.एड/एम.एड./बी.पी.एड/शिक्षाशास्त्री/एस.टी.सी. आदि में लागू आरक्षण व्यवस्था की तर्ज पर समस्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों के जिन भी पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू है। उन सभी में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत में से 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान निम्न प्रकार होंगे –

"राज्य में स्थित समस्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों यथा-इंजीनियरिंग/पॉलोटेक्निक/प्रबंधकीय/एम.सी.ए. आदि में संचालित सर्टिफिकेट, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत आरक्षण में से 45 प्रतिशत (अर्थात् 5.5 प्रतिशत) आरक्षण भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.19(2)80–एल–1 दिनांक 12.02.81 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे"। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत के अध्यधीन ही देय होगा तथा प्रवेश स्थान रिक्त रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।

यह आदेश विभाग द्वारा जारी पूर्व आदेश दिनांक 15.09.2011 के अतिक्रमण में जारी किया गया है तथा इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1(6)त.शि./99 दिनांक 19.08.2013 से राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बांसवाड़ा के संबंध में जारी आदेश यथावत लागू रहेंगे।

स्पष्टीकरण:– "अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी है और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता–पिता/पूर्वज 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे है, का स्पष्टीकरण शामिल करावें।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है तथा उक्त व्यवस्था आदेश जारी होने की दिनांक से लागू होगी।

आज्ञा से

(राजहंस उपाध्याय)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक: प. 10 (6) शिक्षा–4 / 2007 जयपुर, दिनांक 04/08/2016

आदेश

विषय–अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के निवासियों को राज्य में स्थित समस्त कॉलेज शिक्षा संस्थाओं (महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय) में संचालित समस्त व्यावसायिक एवं अन्य प्रबन्धकीय पाठ्यक्रम आदि में संरक्षण दिये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा पी.एम.टी. परीक्षा एवं सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा बी.एड. / एम. एड. / बीपी.एड. / शिक्षाशास्त्री / एस.टी.सी. आदि में लागू आरक्षण व्यवस्था की तर्ज पर समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों के जिन भी पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण लागू है, उन सभी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत में से 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के निवासियों के लिए आरक्षित रखे जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान निम्न प्रकार होंगे:–

" राज्य में स्थित समस्त उच्च शिक्षा विभाग संबंधी प्रवेश परीक्षाओं एवं समस्त उच्च शिक्षा संबंधी संस्थाओं (महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय) में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों यथा–एम.सी.ए., बी.सी.ए., एम.बी.ए. बी.बी.ए. एवं अन्य प्रबन्धकीय पाठ्यक्रम होटल मैनेजमेंट, बायो टेक्नोलोजी की स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, स्नातक डिग्री स्नातक डिप्लोमा तथा अन्य सभी सर्टिफिकेट कोर्सेज में अनुसूचित जनजाति वर्ग लिए निर्धारित 12 प्रतिशत आरक्षण में से 45 प्रतिशत (अर्थात 5.5 प्रतिशत) आरक्षण भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 19 (2) 80-एल–1 दिनांक 12.02.81 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति निवासियों के लिए आरक्षित रखे जायगें"। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत के अध्यधीन ही देय होगा तथा प्रवेश स्थान रिक्त रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों से भरे जायेंगे।

उक्त प्रावधान के तहत केवल अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के निवासी ही लाभ लेंगे तथा "अनुसूचित क्षेत्र के निवासी" से तात्पर्य गृह विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों / निर्देशों एवं विहित प्रक्रिया की अनुपालना में जारी प्रमाण–पत्र धारक से है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है तथा उक्त व्यवस्था आदेश जारी होने की दिनांक से लागू होगी।

आज्ञा से

(राजहंस उपाध्याय)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा

105

D:/gov/letter/Central

राजस्थान सरकार

कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

क्रमांक : प.( ) त.शि. / कौनिउ / 2016 F1(6) त.शि./1999. — :: आदेश :: — दिनांक :04/07/16.

विषय :— सत्र 2016—17 से अनुसूचित जनजाति योजना क्षेत्र के स्थानीय जनजाति युवाओं को राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के विभिन्न पाठ्यक्रमो में प्रवेश हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 % आरक्षण में से अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्थानीय अभ्यर्थियो के लिए 45 % आरक्षण को सम्पूर्ण राज्य में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:—प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के यू.ओ. नोट क्रमांक:PS/PSTAD/16/537 दिनांक 22.06.2016

संदर्भित यू.ओ. नोट के क्रम में निर्णय लिया गया है कि राज्य की समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (क्राफ्टसमैन ट्रेनिंग स्कीम) के विभिन्न पाठ्यक्रमो (नियमित एवं स्ववित्तपोषित योजना) में प्रवेश हेतु निर्धारित 12 % आरक्षण में से 45 % आरक्षण को सत्र 2016—17 से अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओ के लिए आरक्षित किया जाता है। उक्त निर्णय के अनुसार आरक्षण के प्रावधान इस प्रकार रहेगे।

1. राज्य की समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमो में प्रवेश हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 % आरक्षण में से अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्थानीय अभ्यर्थियो के लिए 45 % स्थान आरक्षित रहेगा। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के 12 % आरक्षण के अध्याधीन ही देय होगा। सीटे खाली रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियो से भरी जा सकेगी । इसके पश्चात् भी स्थान रिक्त रहने पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियो से योग्यता क्रम अनुसार प्रवेश लिये जावेगे।
2. यह आदेश सहरिया जाति के युवाओं के लिये खोली गई औ.प्र.संस्थान शाहबाद जिला बारां एवं देवनारायण योजनान्तर्गत खोली गयी औ.प्र.संस्थान बानसूर जिला अलवर, सैपऊ जिला धौलपुर, झालरापाटन जिला झालावाड़, नादौती एवं सपोटरा जिला करौली एवं खण्डार जिला सवाई माधोपुर तथा एवं अल्पसंख्यक के हितार्थ औ.प्र.संस्थान टोंक में मैकेनिक ट्रैक्टर एवं औ.प्र.संस्थान जैसलमेर में मेकेनिक मोटर व्हीकल व्यवसाय पर लागू नहीं होंगे।

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक :- प.25(7)आयु/2015 जयपुर, दिनांक :-

-: आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक पत्र क्रमांक प. 25(26)आयु/2003 दिनांक 22.10.2005 द्वारा राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी महाविद्यालय में सीटों के आरक्षण के क्रम में राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 29.06.2005 का अनुमोदन किया गया था।

उक्त अधिसूचना की अनुपालना में राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अनुसूचित जनजाति वर्ग को देय 12 प्रतिशत आरक्षण में से 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित किये गये थे परन्तु स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स में उक्त प्रावधान लागू नहीं किया गया था।

अतः उक्त अधिसूचना दिनांक 29.06.2005 के क्रम में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा संचालित स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स में उक्त प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू करने के एतद्द्वारा आदेश प्रदान किये जाते हैं।

(सेवा राम स्वामी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग
3. शासन सचिव जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
4. आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर
5. जिला कलक्टर बांसवाड़ा/डूंगरपुर/प्रतापगढ़/उदयपुर/सिरोही
6. कुल सचिव राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
7. निदेशक आयुर्वेद विभाग, अजमेर/निदेशक यूनानी एवं होम्योपैथी विभाग, जयपुर
8. राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर।
9. रक्षित पत्रावली

(ओम प्रकाश शर्मा)
सहायक शासन सचिव

Sandeep Pachauria desktop file

राजस्थान सरकार
कृषि एवं [illegible] विभाग

क्रमांक प.4 (25) कृषि/ग्रुप-3/2016

जयपुर दिनांक : [illegible]/7/2016

-: आदेश :-

विषय:- कृषि शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने बाबत।

राजस्थान राज्य में वर्तमान में कृषि शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु संचालित संस्थाओं में विभिन्न प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति वर्ग को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति वर्ग को 12 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 21 प्रतिशत एवं विशेष पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाने का प्रावधान है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अपने आदेश क्रमांक प. 3(2)एमई/ग्रुप-1/84 पार्ट-1 दिनांक 25.6.98 एवं संशोधित आज्ञा दिनांक [illegible].1999 द्वारा पी.एम.टी. में अनुसूचित जनजाति को देय कुल आरक्षण 12 प्रतिशत में से 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित किये जाने का प्रावधान किया है। इसी तरह शिक्षा विभाग द्वारा आदेश क्रमांक प. 10(6)शिक्षा-1/2004 दिनांक 10.2.2010 द्वारा राज्य में स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में एस.टी.सी., बी.एड., शिक्षा शास्त्री एवं एस.टी.सी. के लिए स्वीकृत सीटों पर जनजाति के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत आरक्षण में से अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के लिए 45 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के विकास तथा इस वर्ग के अभ्यर्थियों को कृषि शिक्षा तथा कृषि आधारित व्यवसाय के लिये शिक्षित/प्रशिक्षित कर आगे लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा उक्त विभागों के अनुरूप एतद् द्वारा निर्णय लिया गया है कि कृषि शिक्षा प्रवेश परीक्षाओं एवं राज्य में संचालित स्नातक कृषि, उद्यानिकी एवं वानिकी, मत्स्य पालन, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी, गृह विज्ञान, कृषि अभियान्त्रिकी आदि संकायों में स्नातक डिग्री, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर, विद्या वाचस्पति, कृषि प्रबन्ध एवं एग्री बिजनेस आदि पाठ्यक्रमों में राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग को देय 12 प्रतिशत आरक्षण में से 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित होंगे। इस वर्ग के ऐसे स्थानों के रिक्त रहने की स्थिति में अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से भरी जा सकेगी।

उक्त प्रावधान केवल अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु ही लागू होंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी से तात्पर्य गृह विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों एवं निर्धारित प्रक्रिया की अनुपालना में जारी प्रमाण पत्र धारक से है।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(नील कमल दरबारी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- निजी सचिव, सचिव, राज्यपाल राजस्थान, जयपुर
2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री राजस्थान।
3- विशिष्ठ सहायक, कृषि मंत्री राजस्थान।
4- निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान।
5- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कृषि विभाग।
6- निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
7- निजी सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
8- निजी सचिव समस्त कुलपति/कुलसचिव, कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान
9- समन्वयक एवं अधिष्ठाता, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
10- रक्षित पत्रावली

[illegible]/2016

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

पशुपालन विभाग

क्रमांक : पं.6(15)पपा/2016

जयपुर, दिनांक [illegible] 2016

<u>आदेश</u>

विषयः— अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य में स्थित समस्त प्रशिक्षण संस्थाओं में सेवा पूर्व पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी शिक्षा एवं प्रशिक्षण संबंधी संस्थाओं में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों यथा स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, स्नातक डिग्री, पशुधन सहायक डिप्लोमा एवं बी.एफ.एस.सी. डिग्री प्रवेश पूर्व परीक्षण में आरक्षण दिये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा टी.एम.टी. परीक्षा एवं सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों यथा— बी.एड/एम.एड/बी.पी.एड/शिक्षाशास्त्री/एस.टी.सी. आदि में लागू आरक्षण व्यवस्था की तर्ज पर समस्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों के जिन भी पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू है, उन सभी में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत में से 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान निम्न प्रकार होंगे —

"राज्य में स्थित समस्त सेवा पूर्व पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी शिक्षा एवं प्रशिक्षण संबंधी संस्थाओं में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों यथा स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, स्नातक डिग्री, पशुधन सहायक डिप्लोमा एवं बी.एफ.एस.सी. डिग्री प्रवेश पूर्व परीक्षण में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत आरक्षण मे से 45 प्रतिशत (अर्थात् 5.5 प्रतिशत) आरक्षण भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.19(2)80—एल—1 दिनांक 12.02.81 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे"। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत के अध्यधीन ही देय होगा तथा प्रवेश स्थान रिक्त रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण: "अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी है और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो, उनके माता–पिता/पूर्वज 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे है।

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः– प. 13(20)कार्मिक/क–2/91पार्ट जयपुर, दिनांकः 21.05.2013

निर्देश

इस विभाग के समसख्यक निर्देश दिनांक 12.09.2007 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों में निवासित सहरिया आदिम जाति जंगलों में दुर्गम स्थानों में निवास करती है इसलिये काफी पिछड़ी हुई है व सहरिया परियोजना क्षेत्र में अधिकतर पद रिक्त रहते हैं । अतः बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां स्थानीय सहरिया आदिम जाति के अभ्यार्थियों से भरी जायेगी और अनुसूचित जन जातियों के लिए 6 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों के लिए 8 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेगी । शेष 51 प्रतिशत रिक्तियां सामान्य वर्ग के अभ्यार्थियों से भरी जायेगी।

राज्य के बारां जिले की समस्त तहसीलों में निवास करने वाली सहरिया आदिम जाति दुर्गम स्थानों पर निवास करती है। इन सहरिया परिवारों का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक स्तर काफी पिछड़ा हुआ है। सहरिया परियोजना क्षेत्र में अधिकतर पद रिक्त रहते हैं। अतः राज्य सरकार यह आदेश देती है कि बारां जिले की समस्त तहसीलों में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां स्थानीय सहरिया आदिम जाति के अभ्यार्थियों से भरी जायेगी और अनुसूचित जन जातियों के लिए 6 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों के लिए 8 प्रतिशत, पिछड़ी वर्ग की जातियों के लिए 10 प्रतिशत एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेगी । शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां अनारक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों से भरी जायेगी।

रिक्तियों का अवधारण तथा पदों पर भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी :–

1– यदि भर्ती खण्ड स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा इनकी संगणना भी खण्ड स्तर पर हो वहां ऐसी समस्त रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां बारां जिले की समस्त तहसीलों की स्थानीय सहरिया जाति के लिए आरक्षित की जायेगी ।

2– यदि भर्ती जिला स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगणना भी जिला स्तर पर की जावे वहां 25 प्रतिशत रिक्तिया बारां जिले की समस्त तहसीलों के स्थानीय सहरिया आदिम जाति के लिए आरक्षित की जायेगी।

3– यदि भर्ती राज्य स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगणना भी राज्य स्तर पर की जावे तो बारां जिले की समस्त तहसीलों की कुल जनसंख्या एवं राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर रिक्तियां प्रकल्पित की जाकर उन रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां बारां जिले की समस्त तहसीलों के स्थानीय सहरिया आदिम जाति के लिए आरक्षित की जायेगी ।

4– यदि भर्ती राज्य स्तर पर की जानी हो तो राज्य की शेष रिक्तियां विद्यमान नियमों के अनुसार अनुसूचित जन जातियों के लिए 12 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिए 16 प्रतिशत, पिछडा वर्ग की जातियों के लिए 21 प्रतिशत एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेगी ।

राज्यपाल महोदया की आज्ञा से,

(दिनेश कुमार यादव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान,जयपुर ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान,जयपुर ।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान,जयपुर ।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
5. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास, उदयपुर ।
6. उप शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ।
7. समस्त संभागीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष ।
8. मंत्रिमण्डल सचिवालय को मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 84/2013 दिनांक 06.05.13 के कम में ।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी:–

1. सचिव,राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा,जयपुर ।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर ।
4. पंजीयक, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
5. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर /जोधपुर ।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण,जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव

34/2013

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क—ग्रुप—2) विभाग

जयपुर, दिनांक 21 OCT 2019

अधिसूचना

राजस्थान के राज्यपाल द्वारा दिये गये निम्नलिखित निर्देश सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते है।

निर्देश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अधीन पंचम अनुसूची के पैरा 5 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, कलराज मिश्र, राज्यपाल, राजस्थान निर्देश देता हूँ कि राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2008(2009 का अधिनियम संख्यांक 12) एवं राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 38) एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों और जारी की गयी अधिसूचनाओं में किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या प.सं 1(31)/2017—वि.1 दिनांक 19.5.18 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में, राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी। अनुसूचित क्षेत्र की शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी का योग्यता के आधार पर वरीयता क्रम में नियमानुसार चयन किया जायेगा, चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हो।

रिक्तियों का अवधारण तथा पदों की भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी:—

1. जहां भर्ती खण्ड स्तर पर की जानी हो ओर रिक्तियों का अवधारण तथा इनकी संगणना भी खण्ड स्तर पर की जानी हो, वहां ऐसी समस्त रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जानियों के अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी। अनुसूचित क्षेत्र की शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी का योग्यता के आधार पर वरीयता क्रम में

38/2019

नियमानुसार चयन किया जायेगा, चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हो।

2. जहां भर्ती जिला स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगणना भी जिला स्तर पर की जानी हो, वहां अनुसूचित खण्ड के लिए रिक्तियां प्रकल्पित रूप से उस अनुपात के आधार पर अवधारित की जायेंगी, जो जिलों के अनुसूचित खण्डों की कुल जनसंख्या का जिले की कुल जनसंख्या के साथ है। इस प्रकार प्रकल्पित रूप से अवधारित रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी। अनुसूचित क्षेत्र की शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी का योग्यता के आधार पर वरीयता क्रम में नियमानुसार चयन किया जायेगा, चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हो।

3. जहां भर्ती राज्य स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगणना भी राज्य स्तर पर की जानी हो, वहां अनुसूचित क्षेत्र के लिए रिक्तियां प्रकल्पित रूप से उस अनुपात के आधार पर अवधारित की जायेंगी, जो राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित खण्डों की कुल जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या के साथ है। इस प्रकार प्रकल्पित रूप से अवधारित रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जायेंगी। अनुसूचित क्षेत्र की शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी का योग्यता के आधार पर वरीयता क्रम में नियमानुसार चयन किया जायेगा, चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हो।"

4. यदि अनुसूचित क्षेत्र के एक जिले में उपलब्ध रिक्तियों को भरते समय 45 प्रतिशत स्थानीय अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति उपलब्ध नहीं हों तो सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र को एक इकाई के रूप में मानकर किसी जिले/उपखण्ड/विकास खण्ड स्तर पर कोई रिक्ति है और उस जिले/उपखण्ड/विकास खण्ड में अनुसूचित जनजाति का योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र के अन्य जिलों/विकास खण्डों में उपलब्ध अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थियों से ऐसी रिक्तियां भरी जायेंगी ताकि 45 प्रतिशत विशेष आरक्षण रखे जाने के उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

5. राज्य स्तर अथवा जिला स्तर पर अनुसूचित खण्डों की रिक्तियों से भिन्न राज्य/जिले की शेष रिक्तियां विद्यमान नियमों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए 12 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिए 16 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए 21 प्रतिशत एवं अति पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए 5 प्रतिशत अथवा समय-समय पर प्रवृत्त आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेंगी।

स्पष्टीकरण .– इन निर्देशों के प्रयोजनार्थ "अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो–

(क) 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है;

(ख) यदि उसका जन्म 1जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उसके माता-पिता 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हैं और वह अपने जन्म से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है; या

(ग) उक्त खण्ड (क) या (ख) के अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है।

ये निर्देश दिनांक 16.6.2013 से प्रवृत्त हुए समझे जायेगे।

ह0
(कलराज मिश्र)
राज्यपाल, राजस्थान,

(क. एफ.13(20)कार्मिक/क-2/91 पार्ट)

(जय सिंह)
उप शासन सचिव

38/2019

2019